

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2012—फाल्गुन 12, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2012

फा. क्र. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्र.-05).—राज्य शासन, श्री गौरव कुमार पुत्र श्री सुभाष चंद को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला हरिद्वार है. उसकी जन्मतिथि 08 दिसम्बर, 1982 है.

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), (मेरिट क्र.-10).—राज्य शासन, सुश्री चेतना पालीवाल पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार पालीवाल को मध्यप्रदेश निम्नस्तर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर है. उसकी जन्मतिथि 08 नवम्बर, 1982 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. एफ. 1-1-2004-छप्पन.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2006 द्वारा जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए नीति की कंडिका 5. b.v. अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 15 के पश्चात् बिन्दु क्रमांक 16 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है:—

16. नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी.-बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बी.पी.ओ निर्यातक कम्पनियों को निम्नानुसार अतिरिक्त छूट/सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी—
- 16 (i) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी.-बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर ऐसी कम्पनियों को भूमि आवंटन एवं अन्य छूट/सुविधाओं के संबंध में प्रकरण दर प्रकरण आधार पर राज्य की मंत्री-परिषद् द्वारा निर्णय लिया जायेगा.
- 16 (ii) इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित किये जाने वाले समझौता ज्ञापन/करारनामा (एम.ओ.यू.) का अनुमोदन भी मंत्री-परिषद् द्वारा किया जायेगा.
- 16 (iii) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी.-बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें भूमि के बाजार मूल्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत निर्धारित मूल्य के अन्तर की राशि की बैंक गारण्टी जमा करने से छूट प्रदान की जायेगी.
- 16 (iv) नैस्काम द्वारा जारी नवीनतम सूची में सूचीबद्ध शीर्ष 20 आई.टी. कम्पनियों, शीर्ष 20 आई.टी.-बीपीओ नियोक्ता कम्पनियों एवं शीर्ष 15 बीपीओ निर्यातक कम्पनियों के मध्यप्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों के आधार पर लीज पर आवंटित भूमि के प्रत्येक लीज नवीनीकरण के अवसर पर ऐसी कंपनियों को ऐसे नवीनीकरण पर किसी प्रकार का लीज प्रीमियम देय नहीं होगा.

2. सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में आंशिक संशोधन करते हुए नीति की कंडिका 5. b.v. अन्तर्गत बिन्दु क्रमांक 16 के पश्चात् बिन्दु

क्रमांक 17 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है—

17. सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों एवं ऐसे प्रस्तावों के आधार पर शासकीय भूमि आवंटन किये जाने की स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर भू-भाटक, कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य वास्तविक भू-प्रब्याजि का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रभारित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2012

क्र. एफ. 1-1-2004-छप्पन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासन की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 में विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1-1-2004-छप्पन, दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा जारी संशोधन आदेश का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.

Bhopal, the 28th January 2012

No. F. 1-1-2004-LVI.—The State Government, hereby makes the following amendments in the Information Technology Policy, 2006 Government of Madhya Pradesh issued *vide* Information Technology Department order of even number dated 3rd April 2006 by incorporating point No. 16 after point No. 15 of para 5.b.v.:—

16. Following additional exemptions/incentives will be available to the top 20 IT companies, top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest lists issued by the NASSCOM—

- 16 (i) In the event of proposal for investment in the IT sector in the State of Madhya Pradesh received from top 20 IT companies Top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest list issued by the NASSCOM, the decision regarding land allotment and other exemptions/incentives will be taken by the Council of Ministers on a case to case basis.

- 16 (ii) The Memorandum of Understanding (MOU) to be signed with these companies will also be approved by Council of Ministers.
- 16 (iii) In the event of proposal for investment in the state received from top 20 IT companies, top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest list issued by the NASSCOM, they will be exempted from providing Bank Guarantee for the differntail amount of the market value of the land and the price fixed for the said land under the State Information Technology Policy.
- 16 (iv) In the event of Lease renewal of the land allotted to any of the Top 20 IT companies, top 20 BPO employer companies and top 15 BPO export companies appearing in the latest lists issued by the NASSCOM, no lease premium will be charged on each such renewal.

2. Following amendments are incorporated in the Information Technology Policy 2006 of Government of Madhya Pradesh by incorporating point No. 17 after point No. 16 of para 5.b.v.—

17. In the event of proposal for investment in the state received under the IT policy and if government land has been allotted on the basis of that proposal, the lease rent will be charged at one percent per year of the actual lease premium payable by the company.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
SUDHIR KUMAR KOCHAR, Under Secy.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. एफ. 30-4-2002-दस-तीन.—मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-4-2002-दस-3, दिनांक 22 जुलाई 2009 जो दिनांक 31 जुलाई, 2009 को “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित की गई थी, के तारतम्य में, राज्य सरकार,

एतद्वारा, लोकहित में वन तथा पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उनकी संरक्षा की दृष्टि से नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के क्षेत्रों को छोड़कर आरक्षित या संरक्षित वन की सीमाओं के बाहर 20 किलोमीटर रेडियस के भीतर के क्षेत्रों को, दिनांक 8 अगस्त 2012 से 3 वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है:

परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई साधिकार समिति द्वारा मुक्त किए गए क्षेत्रों जैसे बालाघाट जिले के किरनापुर, हिर्री, खैरलांजी, लांजी, दल्हापुर, लालबर्वा, मानपुर, अमलाझिरी तथा कोसमी और ऐसे समस्त क्षेत्र जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा मुक्त किया गया है या ऐसी आरा मशीनें (मिल्स) जिन्हें केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा उनके निरन्तर प्रचालन हेतु अनुज्ञात किया गया है, उक्त घोषित किए गए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से मुक्त रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. एफ. 30-4-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 30-4-2002-दस-3, दिनांक 15 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एन. पाण्डेय, सचिव.

Bhopal, the 15th February 2012

No. F. 30-4-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kasthan Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), and in continuation of this Department's Notification No. F. 30-4-2002-X-3, dated 22nd July, 2009 published in Madhya Pradesh Gazette on 31st July, 2009, the State Government, hereby, in order to conserve and protect forest and environment in public interest, declare the areas within 20 KM radius, outside the boundaries of the reserved or protected forest, except the areas of Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayat and Special Area Development Authorities, to be prohibited area for the purpose of the said Act for a period of 3 years with effect from 8th August, 2012.

Provided that the areas exempted by the Empowered Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court

i.e. Kirnapur, Hirri, Khairlanji, Lanji, Dulhapur, Lalbarra, Manpur, Amlajhirri and Kosmi of District Balaghat and all such areas which have been exempted by the Central Empowered Committee or such Saw Mills which have been allowed to continue their operation by the Central Empowered Committee Shall be free from said declared prohibited areas.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
V. N. PANDEY, Secy.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1(ए) 153-95-ब-2-दो.—श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल को दिनांक 28 मई से 26 जून 2012 तक, कुल तीस दिवस के अर्जित अवकाश की दिनांक 27 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सुधीर लाड, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1(ए) 28-2009-ब-2-दो.—पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. पु.मु.-1-भापुसे-1-76-2011, दिनांक 10 जनवरी 2012 द्वारा श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे, तत्का. अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 26 नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक कुल

एक सौ बीस दिवस का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृति संबंधी आदेश राज्य शासन द्वारा निरस्त किया जाकर श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे, सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड को दिनांक 26 नवम्बर 2011 से 24 मार्च 2012 तक कुल एक सौ बीस दिवस की चाईल्ड केयर लीव, दिनांक 25 मार्च 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 17वीं वाहिनी, विसबल, भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिका जैन जिंदल, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ-1(ए) 280-76-ब-2-दो.—श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 1 अप्रैल 2012 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में निम्नानुसार अवधि के लिये सपत्नीक गृह नगर "दिल्ली" जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री एच. के. सरीन - स्वयं 31 मार्च 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक.
2. श्रीमती रीना सरीन - पत्नी (9 फरवरी 2012 से 2 अप्रैल 2012 तक).

(2) श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल दिनांक 14 मई से 18 मई 2012 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 12, 13, 19 एवं 20 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यात्रा के तहत "गंगटोक (सिक्किम)" परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री एच. के. सरीन - स्वयं
2. श्रीमती रीना सरीन - पत्नी

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. सरीन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक,

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री एच. के. सरिन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरिन, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. डी-15-4-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6324-2936-चौदह-एक, दिनांक 19 अक्टूबर 1963 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी, सागर जिला सागर के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—
स्थान

ग्राम पंचायत करीपुर तहसील सागर जिला सागर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 4.960 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	772/1	0.060
2	777	1.180
3	778/1	0.800
4	768/5	0.080
5	769/2	0.900
6	770/2	0.400
7	779	0.080
8	772/2	0.020
9	775	0.320
10	776/2	0.720
11	776/3	0.400
	कुल योग . .	4.960

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्री वीरेन्द्र सिंह बल्द श्री रणबीर सिंह की भूमि.

दक्षिण में—श्री सत्यनारायण बल्द श्री नन्दूराम की भूमि.

पूर्व में—श्री राघवेन्द्र सिंह बल्द श्री दयाराम सिंह की भूमि.

पश्चिम में—श्मशानघाट का रास्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. डी-15-4-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd February 2012

No. D-15-04-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare the following place including all structures, enclosures, open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi, Sagar of Sagar district has been established *vide* this department's Notification No. 6324-2936-XIV-1, dated 19th October 1963 shall be sub market yard namely :—

PLACE

An area of 4.960 Hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat, Karrapur in Tehsil Sagar of District Sagar :—

S. No.	Khasra No.	Area (in hectare)
(1)	(2)	(3)
1	772/1	0.060
2	777	1.180
3	778/1	0.800
4	768/5	0.080
5	769/2	0.900
6	770/2	0.400

(1)	(2)	(3)
7	779	0.080
8	772/2	0.020
9	775	0.320
10	776/2	0.720
11	776/3	0.400

Total . . 4.960

BOUNDED BY

1. **On the North by**—Land of Shri Virendra Singh S/o Shri Ranvir Singh.
2. **On the South by**—Land of Shri Satyanarayan S/o Shri Nanduram.
3. **On the East by**—Land of Shri Raghvendra Singh S/o Shri Dayaram.
4. **On the West by**—Way of Graviyard.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. डी-15-04-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 फरवरी 2012 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सागर जिला सागर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है :-

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत कर्रापुर तहसील सागर, जिला सागर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र —
 - (1) कर्रापुरा, (2) लुहारी, (3) तिन्सुआ, (4) चिटार्ई, (5) करदा, (6) बेरखड़ी, (7) केरवना, (8) सिमरिया, (9) गोरा, (10) धारखेड़ी, (11) मजगुवा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. डी-15-04-2012-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd February 2012

No. D-15-04-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 22nd February 2012 the following area in the Market area of Sagar of district Sagar shall be the Market proper :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Karrapur in Tehsil Sagar of District Sagar.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :—
 - (1) Karrapur, (2) Luhari, (3) Tinsua, (4) Chital, (5) Karda, (6) Berkhedi, (7) Kerwana, (8) Simriya, (9) Gora, (10) Dharkhedi, (11) Majgua.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 19-152-2005-आठ.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 17 फरवरी 2012 द्वारा अधिसूचित "मध्यप्रदेश उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका योजना, 2012" के पैरा-2 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश के निम्न तालिका में दर्शित जिलों के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से

नवीन पंजीकृत वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाया जाना अनिवार्य होगा:—

क्रमांक (1)	जिला (2)	अधिसूचित तिथि (3)
1	ग्वालियर	12 मार्च, 2012
2	इंदौर	20 मार्च, 2012
3	जबलपुर	30 मार्च, 2012

No. F-19-152-2005-VIII.—Pursuant to Para-2 of the “Madhya Pradesh High Security Registration Plate Scheme, 2012” notified in the Madhya Pradesh, Gazette (Extra Ordinary), dt. 17th February 2012 affixation of High Security Registration Plates on the newly registered vehicle shall be mandatory in the districts from the date shown in the table below:—

S.No. (1)	District (2)	Notified Date (3)
1	Gwalior	12 th March, 2012
2	Indore	20 th March, 2012
3	Jabalpur	30 th March, 2012

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-3-2009-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2012 से,—

- 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 तक (10 पटवारी हल्के) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक (18 पटवारी हल्के) (कुल 40 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक (12 पटवारी हल्के)

राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 (10 पटवारी हल्के) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक (18 पटवारी हल्के) (कुल 40 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बुढार का सृजन करती है, जिसमें कुल 40 पटवारी हल्के होंगे तथा 74 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बुढार में होगा.

2. 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर एवं जैतपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 (16 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त चुहिरी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 (17 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक (18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक (7 पटवारी हल्के) (कुल 58 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 (16 पटवारी हल्के) राजस्व वृत्त चुहिरी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 (17 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक (18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक (7 पटवारी हल्के) (कुल 58 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील गोहपारू का सृजन करती है, जिसमें कुल 58 पटवारी हल्के होंगे तथा 129 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय गोहपारू में होगा.
3. 1 अप्रैल 2012 से नीमच जिले की तहसील मनासा की सीमाएं, उसमें से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का नम्बर 74 से 100 तक (कुल 27 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का नम्बर 74 से 100 तक (27 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रामपुरा का सृजन करती है, जिसमें कुल 27 पटवारी हल्के होंगे तथा 120 ग्राम (73 आबाद ग्राम, 25 वीरान ग्राम तथा 22 वीरान डूब ग्राम, को सम्मिलित करते हुए) होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय रामपुरा में होगा.
4. 1 अप्रैल, 2012 से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 42 (21 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा उक्त दिनांक से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी

हल्का नंबर 22 से 42 (21 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील चांद का सृजन करती है जिसमें कुल 21 पटवारी हल्के होंगे तथा 105 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय चांद में होगा.

5. 1 अप्रैल, 2012 से बालाघाट जिले की तहसील बैहर की सीमाएं, उसमें से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 (20 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 (20 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बिरसा का सृजन करती है जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 173 ग्राम (169 राजस्व ग्राम एवं 4 वनग्राम सम्मिलित करते हुए) होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बिरसा में होगा.
6. 1 अप्रैल, 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील देवसर तथा तहसील सिंगरौली की सीमाएं, उसमें से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 (3 पटवारी हल्के) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नंबर 17 से 31 (15 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 (3 पटवारी हल्के) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 (4 पटवारी हल्के) (कुल 32 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 (3 पटवारी हल्के) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 31 (15 पटवारी हल्के) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 (3 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 (4 पटवारी हल्के) (कुल 32 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सरई का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 122 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सरई में होगा.
7. 1 अप्रैल 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील सिंगरौली की सीमाएं उसमें से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 (7 पटवारी हल्के) व

पटवारी हल्का 18 के 3 ग्राम (कुल 20 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 व (7 पटवारी हल्के) तथा पटवारी हल्का नम्बर 18 के 3 ग्राम को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील माड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 84 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय माड़ा में होगा.

8. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-1 कट्टीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 (19 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-1 कट्टीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 (19 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील कट्टीवाड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 19 पटवारी हल्के होंगे तथा 3 वीरान ग्राम सम्मिलित कर 125 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय कट्टीवाड़ा में होगा.
9. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-3 सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37, 45, 46 एवं 48 से 69 तक (25 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-3, सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37, 45, 46 एवं 48 से 69 तक (कुल 25 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सोंडवा का सृजन करती है, जिसमें कुल 25 पटवारी हल्के होंगे तथा 134 ग्राम (1 वीरान ग्राम एवं 26 डूब ग्राम सम्मिलित कर) होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सोंडवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-3-2009-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-3-2009-सात-शा-6, दिनांक 27 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27 February 2012

No.F. 1-3-2009-VII-S-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the state Government, hereby,—

1. alter the limits of Sohagpur Tehsil of District Shahdol with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 112 to 123 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 (10 Patwari Halkas) of Revenue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas) of Sohagpur Tehsil and create a new Tehsil Bhudhar comprising of Patwari Halkas No. 112 to 123 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 (10 Patwari Halkas) of Revenue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas) of Tehsil Sohagpur with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 40 and Village shall be 74. The headquarter of the said Tehsil shall be at Budhar.
2. alter the limits of Sohagpur Tehsil and Jaitpur of District Shahdol with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No.1 to 16 (16 Patwari Halkas) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 (17 Patwari Halkas) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Latda of Jaitpur Tehsil (total 58 Patwari Halkas), and create a new Tehsil Gohparu comprising of Patwari Halkas No. 1 to 16 (16 Patwari Halkas) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 (17 Patwari Halkas) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Lafda of Jaitpur Tehsil, with effect from the said date in which the total Patwari Halkas

shall be 58 and Village shall be 129. The Headquarter of the said Tehsil shall be at Gohparu.

3. alter the limits of Manasa Tehsil of District Nimach with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas) of Revenue circle Rampura of Manasa Tehsil and create a new Tehsil Rampura comprising of the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas) of Revenue circle Rampura with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 27 and Village shall be 120 (including 73 abad village, 25 veeran village and 22 veeran submerged village). The headquarter of the said Tehsil shall be at Rampura.
4. alter the limits of Chaurai Tehsil of District Chhindwada with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil and create a new Tehsil Chand comprising of Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 21 and Village shall be 105. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chand.
5. alter the limits of Baihar Tehsil of District Balaghat with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 51 (20 Patwari Halkas) of Revenue circle Birsa of Baihar Tehsil and create a New Tehsil Birsa comprising of Patwari Halkas No. 32 to 51 (20 Patwari Halkas) of Revenue circle Birsa at Baihar Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20 and Village shall be 173 (including 169 Revenue Villages and 4 forest villages). The headquarter of the said Tehsil shall be at Birsda.
6. alter the limits of Devsar Tehsil and Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 34 (3 Patwari Halkas) and 6 village of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas) of Revenue circle

- Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 (4 Patwari Halkas) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas), and create a new Tehsil Sarai comprising of Patwari Halkas No. 32 to 34 (3 Patwari Halka) and 6 village of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas) of Revenue circle Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 (4 Patwari Halkas) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas), with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 32 and Village shall be 122. The Headquarter of the said Tehsil shall be at Sarai.
7. after the limits of Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 43, 49 to 52 and 57 to 63 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Moda and Patwari Halkas No. 4 to 10 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil (Total 20 Patwari Halkas) and create a new Tehsil Mada comprising of Patwari Halkas No. 43, 49 to 52 and 57 to 63 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Mada and Patwari Halkas No. 4 to 10 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20
- and Village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mada.
8. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 (19 Patwari Halkas) Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Katthiwara comprising of Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 (19 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur (Total 19 Patwari Halkas) with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 19 and Village shall be 125 (including 3 veeran village). The headquarter of the said Tehsil shall be at Katthiwara.
9. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 37, 45, 46 and 48 to 69 (25 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Sondawa comprising of Patwari Halkas No. 37, 45, 46 and 48 to 69 (25 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur (Total 25 Patwari Halkas) with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 25 and Village shall be 134 (including 1 veeran village and 26 submerged village), The headquarter of the said tehsil shall be at Sondawa.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAV, Principal Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. एफ. 6-2-2012-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये कॉलम (4) यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान

मजिस्ट्रेटों के रूप में पदांकित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उज्जैन	उज्जैन	श्री विवेक शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी & IVth CJ-1
2	देवास	देवास	कु. नीता गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
3	डिंडोरी	डिंडोरी	श्रीमती रश्मि बॉल्टर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी.
4	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्री डी.एन. पाटिल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
5	बालाघाट	बालाघाट	कु. प्रतिभा सथवाने, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
6	शिवपुरी	शिवपुरी	श्री आर. एम. भगवती, II nd सिविल जज प्रथम श्रेणी & न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी .

No. F-6-2-2012-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column (4) as Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quatrer	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ujjain	Ujjain	Shri Vivek Sharma, Judicial Magistrate, First Class & IV th CJ-1
2	Dewas	Dewas	Ku. Neeta Gupta, Chief Judicial Magistrate
3	Dindori	Dindori	Smt. Rashmi Balter, Judicial Magistrate First Class.
4	Tikamgarh	Tikamgarh	Shri D. N. Patil, Chief Judicial Magistrate
5	Balaghat	Balaghat	Ku. Pratibha Sathwane, Chief Judicial Magistrate.
6	Shivpuri	Shivpuri	Shri R. M. Bhagwati, IInd Civil Judge Class-1 & Judicial Magistrate First Class.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़के, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्र. क्यू-2-ख-स्था-6-17-2-2010.—श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर को कार्यालयीन आदेश क्र. क्यू-2-ख-स्था-6-17-2-2010, दिनांक 19 जनवरी 2012 द्वारा मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1974 की धारा 3 ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी का कार्य सौंपा गया है।

2. अतः, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-1-40-87-2-ए, (3) दिनांक 10 जुलाई 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रकाश में डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर को मध्यप्रदेश लोक परिसर अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अन्तर्गत ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

पी. नरहरि, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-254-10-तीन-262.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा

संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मैहर, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्रीमती ज्योति सोनी, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद्, मैहर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पत्र क्र. 594/स्था.निर्वा.न.पा./2009-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती ज्योति सोनी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्रीमती ज्योति सोनी को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 19 मार्च 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्रीमती ज्योति सोनी को नोटिस दिनांक 8 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 23 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. तामिली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2011 में लेख किया कि “नोटिस तामील होने के बाद भी आज दिनांक अभ्यर्थी सुश्री श्रीमती ज्योति सोनी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में दाखिल नहीं किया गया है.” कलेक्टर से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 12 जनवरी 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. सुनवाई में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुईं. अभ्यर्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें मूल निर्वाचन व्यय लेखा एवं चिकित्सा

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कुछ समय चाहा गया। अभ्यर्थी ने मौखिक रूप से तीन दिवस में लेख/चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया, किन्तु 23 दिन व्यतीत होने के उपरांत भी अभ्यर्थी ने न तो आयोग से इस बाबत कोई सम्पर्क किया और ना ही लेख एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किये।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती ज्योति सोनी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् मैहर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ. 67-203-10-तीन-281.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत शाहगढ़, जिला सागर के आम निर्वाचन में सुश्री लक्ष्मी बाई, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत शाहगढ़, जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पत्र क्र. क. 754/स्था.निर्वा./10, दिनांक 12 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लक्ष्मी बाई द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लक्ष्मी बाई को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 अप्रैल, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के माध्यम से दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री लक्ष्मी बाई को नोटिस दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 5 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। तामिली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर, सागर ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 में लेख किया कि “सुश्री लक्ष्मी बाई को नोटिस की तामिली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये।”

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री लक्ष्मी बाई** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत शाहगढ़, जिला सागर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(**सुभाष जैन**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. एफ.-67-203-10-तीन-282.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत शाहगढ़, जिला सागर** के आम निर्वाचन में **सुश्री बेटीबाई आठिया**, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत शाहगढ़, जिला सागर** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **सागर** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सागर** के पत्र क्र. क. 754/स्था.निर्वा./10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री बेटीबाई आठिया** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री बेटीबाई आठिया** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 अप्रैल, 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **सागर** के माध्यम से दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री बेटीबाई आठिया को नोटिस दिनांक 21 मई, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 5 जून, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर, **सागर** ने अपने पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 में लेख किया कि “**सुश्री बेटीबाई आठिया को नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किये गये.**” उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 6 फरवरी, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की पावती प्राप्त हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा

32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री बेटीबाई आठिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत शाहगढ़, जिला सागर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

शुद्धि-पत्र

क्र. 1556-अका-वि.प्र.-2012.—प्रशा. अका. का विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम का पत्र क्रमांक 1219-अका.-2012, दिनांक 9-2-2012 उपर्युक्त विभागीय परीक्षा माह अप्रैल, 2012 से संबंधित सूचना तथा कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके पृष्ठ क्रमांक 586 आयुक्तों को दिनांक 19-7-2010 तक भेजेंगे अंकित है, के स्थान पर अब आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 पढ़ा जाए. इसी प्रकार से पृष्ठ 7 के बिन्दु क्रमांक 02, 03 एवं 05 पर भी आंशिक संशोधन किया गया है.

अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 20 जनवरी 2012

क्र. 517-स्था-34-99-2012.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, डॉ. सुदाम खाडें, कलेक्टर, जिला हरदा वर्ष 2012 में जिला हरदा के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3 अगस्त 2012	शुक्रवार	कजलियां (रक्षाबंधन का दूसरा दिन)
2	23 अक्टूबर 2012	मंगलवार	दुर्गा नवमी
3	14 नवम्बर 2012	बुधवार	दीपावली का दूसरा दिन

2. उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

सुदाम खाडें, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश

क्र. 274-भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 14 फरवरी 2012

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 14-अ-82-10-11

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ

से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय .कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कम्पनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 14 फरवरी 2012 को सम्पादित किया जा रहा है.

- (1) कम्पनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के सुलगांव/गोगावां की पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सुल्तानपुरा प.ह.नं. 27, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 28 कुल क्षेत्रफल 19.023 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम सुल्तानपुरा

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सुनिल, राधेश्याम, सेवन्ती, सुशीला, कलाबाई पिता केशव कुलमी करोंदिया	49/2	0.389	-
2	सुनिल, राधेश्याम, सेवन्ती, सुशीला, कलाबाई पिता केशव कुलमी करोंदिया	51/2	0.218	-
3	महेश पिता बालमकुन्द कुलमी करोंदिया	53/3/2	0.745	पियत अन्य कुएं से
4	विष्णु, पारू, बसंती, दुर्गा पिता मांगीलाल, कुलमी करोंदिया	55	0.287	-
5	हरिराम पिता सीताराम, कुलमी करोंदिया	56	1.356	सिंचाई नर्मदा पाईप लाईन द्वारा
6	भुवानीराम पिता चंपालाल, बलाई करोंदिया	59/1	0.555	कुंआ पक्का 1
7	राधाकृष्ण पिता ख्यालीराम, कुलमी करोंदिया	59/2, 61 65/1ख	1.902	पाईप लाईन करोंदिया से
8	मोहनलाल, लक्ष्मीबाई, शिवकुंवरबाई पिता मंशाराम, भारूड़ सुल्तानपुरा	59/3, 67/4	1.133	कुंआ पक्का 1
9	शिवराम पिता मांगीलाल, कुलमी सा. करोंदिया	59/4, 65/3	0.757	ट्यूबवेल 1
10	रामकृष्ण पिता श्रीराम कुलमी करोंदिया	62	0.809	पियत ख.नं. 64/3 के कुएं से एवं नर्मदा पाईप लाईन द्वारा
		63/1 peki	0.615	
		64/1 peki	0.247	
11	शान्तिलाल पिता भुवानीराम, कुलमी करोंदिया	65/1क	0.202	पियत ख.नं. 66/1 से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	भुवानीराम पिता हीरालाल कुलमी करोंदिया	65/2 66/2 67/2 68	0.632 0.445 0.032 0.938	ट्यूबवेल 1
13	शांतिलाल पिता भुवानीराम कुलमी करोंदिया	66/1 67/1	0.630 0.538	ट्यूबवेल 1
14	सुभाष पिता भगवान, कुलमी करोंदिया	74 75 पैकि	0.282 0.405	पियत सीतामउ के कुए से
15	भगवान पिता बाबुलाल कुलमी, करोंदिया	76/1 पैकि	0.462	कुंआ पक्का 1
16	नारायण पिता बाबुलाल कुलमी करोंदिया	76/2	1.000	पियत ख.नं. 76/1 के पारिवारिक कुए से
17	कन्हैयालाल पिता छगनलाल कुलमी करोंदिया	86/1 पैकि	0.170	पियत ख.नं. 86/2 के कुएं से
18	राधाकृष्ण-पिता छगनलाल, कुलमी करोंदिया	86/2 पैकि	0.324	कुंआ पक्का 1
19	बलराम पिता शंकर कुलमी करोंदिया	91/2, 92/2	1.295	सिंचाई ख.नं. 91/3 और 92/3 के कुए से
20	मुकेश पिता शंकर कुलमी करोंदिया	91/3, 92/3	1.295	कुंआ पक्का 1, शामलाती 1/2 स्वत्व
21	शेख मुसा इब्राहिम पिता शेख ईमाम मुसलमान सा. इन्दौर	147	1.360	मकान पक्का 2, पीपल 1, नीम 2.
		योग . .	28	19.023

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कम्पनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-28-2010-सात-2ए भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2010 द्वारा भू-अर्जन की शर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कम्पनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कम्पनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- (क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बासाहट हेतु ग्राम सुल्तानपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 18 नवम्बर 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम सुल्तानपुरा की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 19.023 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगे.
2. कंपनी (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कम्पनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
 17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
 18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
 19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
 20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
 21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरालाल मण्डलोई

पता : 220 पुष्प कुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : गोपाल यादव

पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

क्र. 273-भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 14 फरवरी 2012

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 15-अ-82-10-11

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतयार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पावर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 14 फरवरी 2012 को सम्पादित किया जा रहा है.

- (1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम सुलगांव/गोगावां की पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सीतामउ प.ह.नं. 27, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 18 कुल क्षेत्रफल 18.313 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 में अंकित है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम सीतामउ

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सुनिल पिता केशव कुलमी करोंदिया	38/1	0.421	-
2	राधेश्याम पिता केशव कुलमी करोंदिया	38/2	0.417	-
3	सुनिल पिता केशव कुलमी करोंदिया	40/1	0.951	सिंचाई खसरा नं. 40/2 के पारिवारिक कुंए द्वारा
4	राधेश्याम पिता केशव कुलमी करोंदिया	40/2	0.951	कुंआ कच्चा 1, नीम 1
5	विष्णु, पारू, बसंती, दुर्गा पिता मांगीलाल, रूमाबाई बेवा मांगीलाल कुलमी करोंदिया	40/3	1.962	पियत खसरा नं. 40/2 के कुंए से. पारिवारिक कुंए द्वारा
6	धनीबाई बेवा रामलाल कुलमी करोंदिया	41	3.213	सिंचाई किराये से नर्मदा पाईप लाईन द्वारा
7	घनश्याम, श्रीराम, हरिराम पिता गजानन्द, कुलमी करोंदिया	130/1 पैकि	1.540	कुंआ कच्चा 1
8	धर्मेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया	130/2 पैकि	0.219	पियत ख.नं. 131/8 के कुंए से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया	130/3 पैकि	0.182	सिंचाई खसरा नं. 131/1 के कुंए से
10	जितेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया	130/4 पैकि	0.189	पियत ख.नं. 131/8 के कुंए से
11	महेश पिता श्रीराम कुलमी करोंदिया	131/1	1.199	कुंआ कच्चा 1
12	घनश्याम, श्रीराम, हरिराम पिता गजानन्द, कुलमी करोंदिया	131/2	2.152	पियत ख. नं. 130/1 के कुंए से
13	धर्मेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया	131/3	0.473	पियत ख. नं. 131/8 के कुंए से
14	कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया	131/4	0.101	सिंचाई ख.नं. 131/1 के कुंए से
15	कैलाश पिता सुखदेव कुलमी करोंदिया	131/5	1.133	पियत ख. नं. 131/6 के कुंए से
16	सुखदेव पिता जगन्नाथ कुलमी करोंदिया	131/6	1.962	कुंआ कच्चा 1
17	जितेन्द्र पिता मेवालाल कुलमी करोंदिया	131/7	0.449	पियत ख. नं. 131/8 के कुंए से
18	देवेन्द्र पिता सुभाष कुलमी करोंदिया	131/8	0.799	कुंआ पक्का 1
		योग	18	18.313

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.

3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2010 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-29-2010-सात-2ए भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2010 द्वारा भू-अर्जन की शर्त अनुमति प्रदान की है इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.

4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि —

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—

(i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम गोगावां/सुलगांव के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम सीतामड की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 18 नवम्बर 2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील महेश्वर, जिला खरगोन के ग्राम सीतामड की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 18.313 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.

1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31 अक्टूबर 2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कम्पनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
2. कंपनी (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
4. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावें.
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करनी होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.

16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
 17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
 18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
 19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
 20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
 21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र. 1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र. 2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर, जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरालाल मण्डलोई

पता : 220 पुष्प कुंज बजरंग नगर जैतापुर, खरगोन

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : गोपाल यादव

पता : रुद्रेश्वर कालोनी, खरगोन

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पाँवर कार्पो. लिमि., मण्डलेश्वर.

प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. 1557-21-2-12.—प्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 9 अप्रैल, 2012 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, चम्बल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

प्र. पत्र (1)	प्रश्न-पत्र का विषय (2)	समय (3)
सोमवार, दिनांक 9 अप्रैल 2012		
1	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,	प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे
2	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित.)	—तदैव—
3	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना—पुलिस, सामान्य प्रशासन भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
7	दूसरा प्रश्नपत्र—सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
8	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
60	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	—तदैव—

मंगलवार, दिनांक 10 अप्रैल 2012

9	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक
---	---	--

(1)	(2)	(3)
10.	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-बी	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
11	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग-सी.	—तदैव—
12	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
13	प्रश्नपत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
14	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
61	विद्युत् संस्थापनाएँ—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—
15	दूसरा प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
16	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान— उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
17	तीसरा प्रश्न पत्र—बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
18	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
19	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया—द्वितीय प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
62	लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—

बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2012

20	तीसरा प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना—सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
21	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
22	प्रश्नपत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
23	पहला प्रश्नपत्र प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
24	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	—तदैव—
63	स्विच गेयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये.	—तदैव—
25	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
26	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
27	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
28	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
29	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
30	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
31	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
32	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
64	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु) के लिये.	—तदैव—

गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल 2012

33	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक
34	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
35	प्रथम प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
36	प्रश्नपत्र—न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
37	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
38	लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
39	लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
40	लेखा (पुस्तकों सहित)—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
41	लेखा (पुस्तकों सहित)—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
66	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
42	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
43	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
44	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
67	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012

45	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्न-पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	—तदैव—
47	प्रश्नपत्र—लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48	प्रथम प्रश्नपत्र—विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
49	प्रश्नपत्र, द्वितीय—मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
50	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—तदैव—
65	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया—सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
68	तृतीय प्रश्नपत्र—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
51	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न-पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.
52	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
53	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे.
54	तृतीय प्रश्न पत्र—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—तदैव—
55	द्वितीय प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
56	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक
57	प्रश्नपत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—तदैव—
69	चतुर्थ प्रश्नपत्र—पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

सोमवार, दिनांक 16 अप्रैल 2012

58	हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 10.00 से 12.00 बजे.
----	--	------------------------------

नोट :-

- उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.
- सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1/15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 9-4-2012 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंको में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोस्टक में (प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

नस्ती क्रमांक 219-2010-एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 51-अ-82-09-10.—शुद्धिपत्र—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवा वितरण शाखा की प्रस्तावित सब माईनर के विस्तार हेतु ग्राम मोहना, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 51-अ-82-09-10, में भू-भूजन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 1 अक्टूबर 2010 को, समाचार-पत्र अग्निबाण में दिनांक 3 मार्च 2010 को, चौथा संसार में दिनांक 2 अक्टूबर 2010 को तथा ग्राम में आम इशितहार का प्रकाशन दिनांक 24 सितम्बर 2010 हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ (1)	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि (2)	सही संशोधित प्रविष्टि (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 1 अक्टूबर 2010	3.69 हे.	3.52 हे.
अग्निबाण में दिनांक 3 मार्च 2010	3.69 हे.	3.52 हे.
चौथा संसार में दिनांक 2 अक्टूबर 2010	3.69 हे.	3.52 हे.
आम इशितहार का प्रकाशन दिनांक 24 सितम्बर 2010	3.69 हे.	3.52 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 3.69 हेक्टर के स्थान पर कुल रकबा 3.52 हे. होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. 49-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	महेबा	34.869	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा (म. प्र.).	शंकरपुर तालाब के शीर्ष एवं नहर कार्य निर्माण हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 56-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	शंकरपुर	1.584	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा (म. प्र.).	शंकरपुर तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 59-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योथर	छदहना	4.936	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग रीवा (म. प्र.).	छदहना बांध एवं नहर निर्माण हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी तालाब).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 16 फरवरी 2012

क्र. भूमि संपादन-2012-1395.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कड़छा	0.55	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील उज्जैन.	डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2012-1397.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	नरवर	1.86	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील उज्जैन.	डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2012-1401.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	गांवड़ी	10.36	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील उज्जैन.	डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-2012-1399.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	मुंजाखेडी	3.27	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील उज्जैन.	डी.एम.आय.सी. योजनान्तर्गत नॉलेज सिटी की स्थापना हेतु निजी भूमि अधिग्रहण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. भूमि संपादन-12-1505.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	नकूचाखेड़ी	14.30 (खुली भूमि)	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

(2)भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-12-1506.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	बरड़िया	104.50 (खुली भूमि)	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

(2)भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है.

क्र. भूमि संपादन-12-1507.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	बड़नगर	बालोदाकोरन	13.95 (खुली भूमि)	भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर	बांध निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़नगर में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र. 1085-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	मझगवां	मझगवां	—	8.493	म. प्र. सड़क विकास निगम, रीवा (म. प्र.).	सतना-चित्रकूट राज्यमार्ग क्र. 11 के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण (डी.बी.एफ. ओ.टी. योजनान्तर्गत) 2 लेन मार्ग.

(2) कुल 60 कित्ता रकबा का कुल योग 8.493 है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

सतना, दिनांक 17 फरवरी 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 11 पत्र क्र. 1087-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	कुटाई	3.327	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मैहर/सतना.	बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
		सोनवारी	1.271		
		पोड़ी	1.994		
		हरनामपुर	1.609		
		सोनवारी	0.286		
		आमाडाडी	0.021		
		घुनवारा	0.250		
		हरदुआ	2.877		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 11 पत्र क्र. 1088-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	रमपुरवा	0.412	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मैहर/सतना.	बरगी व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
		मुगहनी खुर्द	1.004		
		कुशली	0.676		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. 05-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	रजौआ	10.24 योग . . 10.24	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1, डबरा ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 06-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	कछौआ	6.774 योग . . 6.774	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्रमांक 1, डबरा ग्वालियर.	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. भू-अर्जन-2012-56.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (3) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि का विवरण (हेक्टर में)			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	शासकीय	आबादी	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	नलखेड़ा	रूपारेल	—	0.95	0.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर, म. प्र.	पिल्लियाखाल बांध
			योग . .	0.95	0.95		

नोट—भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 2303-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	भूमरिया	4.069	कार्यपालन यंत्री,	भूमरिया तालाब के वेस्टीवेयर
		हरिपुरा	4.100	जल संसाधन संभाग,	एवं नहर निर्माण में भूमि
		नयापुरा	0.362	राजगढ़.	का अर्जन.
			कुल योग . .	8.531	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2305-भू-अर्जन-12-खिलचीपुर.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	मेहराजपुरा बरूखेड़ी	1.137 0.696	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कटारमल तालाब की नहर निर्माण में भूमि का अर्जन.
			कुल योग . . . 1.833		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2307-भू-अर्जन-11-नरसिंहगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की उपधारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	मोतीपुरा खरेटियाखुर्द	0.071 0.207	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़. (म. प्र.).	मोतीपुरा तालाब के अन्तर्गत नहर कार्य हेतु भूमि.
			कुल योग . . . 0.278		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 फरवरी 2012

क्र. 356-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हूजूर	कपुरी	0.302	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा माइनर नहर की 0.302 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 358-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	जोकहा कोठार (छुटे हुए)	0.034	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर नहर की 0.034 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 360-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	डिहिया (छुटे हुए)	0.126	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की पुरवा माइनर की 0.126 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 362-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	खम्हरिया	0.120	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म.प्र.).	सिरमौर वितरक नहर की मझबोगा सब माइनर की 0.120 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 फरवरी 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि उक्त धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	बिनती	2.10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	बिनती जलाशय योजना में छूटी हुई भूमि.
		योग . .	2.10		

- (1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है बिनती जलाशय योजना की स्पल एवं एप्रोच चैनल के निर्माण प्रयोजन हेतु आने वाली भूमि.
- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय दमोह एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवाणन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 19 जनवरी 2012

क्र. 13-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—पड़खुरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 4.273 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1289	0.460
1285	0.002
1290	0.046
1291	0.030
1292	0.001
1297	0.171
1293	0.030
1295	0.064
1302	0.034
1303	0.023
1305	0.115
1306	0.040
1313	0.011
1314	0.107
1315	0.080
1326	0.043
1327	0.064
1328	0.256

(1)	(2)
1329	0.002
1330	0.064
1331	0.108
1332	0.048
1333	0.200
1413	0.189
1414	0.032
1415	0.105
1416	0.061
1370	0.028
1371	0.064
1410	0.325
1412	0.120
1411	0.027
1407	0.120
1415	0.067
1390	0.526
1386	0.125
1392	0.096
1393	0.029
1386	0.320
1408	0.024
1409	0.016
योग . . . 4.273	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा सीधी नई बड़ी रेल्वे लाईन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्र. क्यू-कले.-राजस्व-भू-अर्जन-प्र. क्र. 06-2009-10/अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भिण्ड

(ख) तहसील—भिण्ड

(ग) ग्राम—बरही

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 12.826 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1026

0.464

1034

0.032

1025

0.210

1021

0.120

1020

0.500

1018

0.538

1019

0.560

1013

0.391

1012

0.210

1004

0.131

1010

0.290

1011

0.140

1009

0.220

1005

0.079

1006

0.120

1007

0.320

1008

0.180

682

0.222

681

0.020

683

0.126

674

0.310

676

0.009

678

0.044

679

0.110

680

0.878

1376

0.090

1375

0.190

1377

0.880

1378

0.157

1373

0.352

(1)

(2)

1374

0.370

1372

0.247

1371

0.288

1343

0.200

1345

0.355

1344

0.370

1342

0.080

1341

0.070

1346

0.166

1340

0.010

1339

0.200

1337

0.150

1336

0.180

1335

0.111

1338

0.030

1128

0.480

1129

0.230

1130

0.137

1134

0.110

1133

0.140

1132

0.251

1135

0.066

1136

0.035

1137

0.074

1332

0.069

1334

0.020

1556

0.019

1557

0.233

1558

0.049

1022

0.142

1024

0.057

1035

0.015

योग . . 12.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भिण्ड इटावा मार्ग पर ग्राम बरही पर वार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु ग्राम बरही में की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी जिला भिण्ड एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,		
राजस्व विभाग	443	0.321
	444	0.059
शिवपुरी, दिनांक 6 फरवरी 2012	463	0.009
	464	0.02
क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-204.—चूँकि, राज्य शासन को इस	520	0.001
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)	521	0.226
में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक	522	0.054
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	837	0.342
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह	838	0.113
घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	873	0.006
आवश्यकता है :—	874	0.037
	875	0.06
अनुसूची	876	0.05
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	877	0.044
(क) जिला—शिवपुरी	879	0.004
(ख) तहसील—कोलारस	880	0.10
(ग) ग्राम—सुनाज	881	0.057
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 104.092 हेक्टेयर.	886	0.138
	887	0.112
खसरा नम्बर	888	0.10
	895	0.237
(1)	(2)	
184/13	0.10	1029
184/14	0.10	1035
184/16	0.05	1036
184/17	0.10	1039
211	0.25	1040
259	0.003	1049
263	0.02	1051
264	0.05	1058
265	0.12	1198
268	0.004	1204
269	0.079	1206
270	0.029	1225
273	0.038	1230
274	0.026	1398
275	0.049	1400
276	0.034	1403
280	0.03	1579
382	0.218	1580
402	0.024	1583
403	0.101	1586
404	0.046	1601
408	0.10	1605

(1)	(2)	(1)	(2)
1606	0.124	1900	0.621
1625	0.001	1903	0.191
1628	0.105	1904	0.455
1629	0.093	1975	0.217
1630	0.010	1976	0.152
1631	0.088	1977	0.169
1635	0.05	1979	0.211
1656	0.381	2119	0.100
1657	0.120	2120	1.45
1661	0.181	2121	0.20
1662	0.08	2122	0.63
1704	0.003	2124	0.54
1780	0.182	2125	1.50
1824	0.137	2126	0.52
1825	0.05	2127	0.568
1833	0.078	2135	2.42
1859	0.739	2137/1	2.00
1860	0.37	2149	0.159
1862	0.27	2151	0.90
1863	0.40	2152	0.70
1865	1.55	2155	0.15
1866	0.246	2156	1.13
1870	0.98	2158	0.86
1872	1.00	2160	0.45
1873	0.72	2161	1.00
1874	1.78	2162	0.33
1875	1.97	2163	0.30
1877	1.00	2164	0.32
1878	0.70	2165	1.25
1879	1.05	2166	1.57
1880	2.00	2168	0.43
1881	2.02	2169	1.55
1882	2.02	2170	0.45
1883	1.699	2171	0.10
1888	1.42	2173	0.50
1889	1.20	2178	1.65
1890	1.00	2179	0.20
1891	0.42	2180	1.60
1892	2.02	2181	0.30
1893	1.05	2182	0.09
1894	0.23	2183	0.43
1895	0.68	2184	1.20
1896	3.24	2185	0.30
1898	0.413	2186	0.82

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
2188	0.15	एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
2190	0.20	राजस्व विभाग
2191	0.60	
2192	0.50	अलीराजपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012
2196	2.02	क्र. भू-अर्जन-2012-167-प्र.क्र. 05-अ-82-2011-
2197	2.02	12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
2198	0.40	नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद
2199	2.02	(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः
2200	2.02	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6
2201	2.02	के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि
2208	1.15	की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
2210	1.60	
2213	1.40	अनुसूची
2214	0.25	(1) भूमि का वर्णन—
2215	0.872	(क) जिला—अलीराजपुर
2216	2.00	(ख) तहसील—चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)
2217	1.04	(ग) ग्राम—सेजावाड़ा
2218	1.711	(घ) लगभग क्षेत्रफल— 4.50 हेक्टर.
2219	2.00	सर्वे नम्बर
2220	1.38	रकबा
2221	2.00	(हेक्टर में)
2222	2.00	(1)
2223	0.19	35 पैकी 0.03
2225	0.20	39 0.10
2226	0.183	73 0.06
2232	0.20	98 पैकी 0.11
1179	0.038	42 0.05
2234	1.60	38 पैकी 0.02
2237	0.12	50 0.03
2238	1.00	37 पैकी 0.02
2166/2298	0.43	40 0.03
253	0.083	48 0.04
योग . . .	104.092	76 0.16
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सुनाज		77 0.06
तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.		72 0.06
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी		75 0.16
राजस्व, कोलारस के कार्यालय में किया जा सकता है.		46 0.04
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		49 0.04
जॉन किंग्सली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		77 0.16
		79 0.48
		80 0.26
		149 1.58
		300 0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
101	पैकी 0.17	575	पैकी 0.15
296	0.10	224	पैकी 0.06
297	पैकी 0.06	472	0.10
298	0.10	459	0.71
306	पैकी 0.14	487	0.18
778	0.15	474	0.51
780	0.04	511	पैकी 0.15
	योग . . 4.50	461	0.39
		463	0.35
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेजावाडा तालाब क्रमांक-03 योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		465	0.26
		502	पैकी 0.03
		503	पैकी 0.02
		462	0.42
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		464	0.21
		473	0.37
		514	पैकी 0.10
		513	पैकी 0.34
		512	पैकी 0.18
क्र. भू-अर्जन-2012-169-प्र.क्र. 06-अ-82-2011-		476	0.54
12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		478	0.55
		479	0.44
		480	0.31
		481	0.34
		482	0.16
		483	0.87
		486	0.33
		484	0.63
		490	0.63
		500	0.64
		488	0.05
		489	0.12
		499	0.25
		501	पैकी 0.07
		493	पैकी 0.17
		545	पैकी 0.15
		546	पैकी 0.16
		547	पैकी 0.03
		582	पैकी 0.02
		586	पैकी 0.12
		585	पैकी 0.08
			योग . . 13.10
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-173-प्र.क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर

(ख) तहसील—जोबट

(ग) ग्राम—जवास

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 20.46 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2	0.23
7	पैकी 1.05
3	0.40
4	1.39
5	0.03
28	0.49
31	0.75
32	पैकी 0.81
35	0.40
45	0.35
83	पैकी 0.64
6	0.81
8	1.49
85	0.61
96	पैकी 2.04
98	पैकी 0.04
10	0.78
13	1.19
25	पैकी 0.36
26	1.02
33	पैकी 0.56
43	0.25

(1)

(2)

47	पैकी 0.25
19	पैकी 0.10
22	0.04
29/1	0.23
29/2	0.23
30	0.26
36	0.02
40	0.07
44	0.13
48	पैकी 0.57
77	पैकी 0.05
78	पैकी 0.06
39	पैकी 0.58
41	0.18
49	पैकी 0.32
51	0.14
53	पैकी 0.07
86	0.57
87	0.36
92	पैकी 0.11
88	पैकी 0.22
99	पैकी 0.10
54	पैकी 0.11
	योग . . 20.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-175-प्र.क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर

(ख) तहसील—जोबट	(1)	(2)
(ग) ग्राम—उबगारी		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.42 हेक्टर.	512	0.40
	513	0.42
सर्वे नम्बर	रकबा	
	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
	514	0.62
	554	पैकी 0.09
	555	पैकी 0.07
	556	पैकी 0.05
113	पैकी 0.02	558
146	पैकी 0.18	505
115	पैकी 0.60	
142	0.68	योग . . 17.42
141	0.09	
145/2	पैकी 0.08	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
190	0.20	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
193	1.07	
194	0.44	
196	0.40	
197	0.61	
209	1.33	
195	0.42	
208	0.59	
199	पैकी 0.10	क्र. भू-अर्जन-2012-171-प्र.क्र. 09-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
200	0.15	
201	0.19	
202	0.10	
518	0.06	
203	0.39	
204	0.52	
205	0.64	
206	1.11	
211	0.12	
212	पैकी 0.70	
221	पैकी 0.05	
213/1	0.67	
494	पैकी 0.25	
495	पैकी 0.20	
496	पैकी 0.25	
497	पैकी 0.20	
498	पैकी 0.05	
524	पैकी 0.15	
499	0.30	
509	0.61	
510	0.33	
511	0.80	
517	पैकी 0.60	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) ग्राम—बडीजुवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.55 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
624	0.14
625	0.08
636	पैकी 0.15
637	0.20
646	0.25
635	पैकी 0.15
642	0.08

(1)	(2)
641	पैकी 0.10
644	पैकी 0.50
645	पैकी 0.30
648	पैकी 0.25
652	पैकी 0.35
	योग . . 2.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—उबगारी तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-177-प्र.क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा)
(ग) ग्राम—झीरण
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.50 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
232	पैकी 0.04
235	पैकी 0.05
239	1.07
507	पैकी 0.52
254	पैकी 0.13
256	पैकी 0.10
262	पैकी 0.07
509	0.15
510	0.17
511	0.20
	योग . . 2.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—झीरण सिंचाई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जोबट तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 13 फरवरी 2012

नस्ती क्र. 219-2010-एल.ए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 51-अ-82-09-10-शुद्धि-पत्र.—इंदिरा सागर परियोजना के अन्तर्गत केलवां वितरण शाखा की प्रस्तावित सबमाइनर के विस्तार हेतु ग्राम मोहना, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-51-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 10 जून 2011 को चौथा संसार में दिनांक 9 जून 2011, नवभारत में दिनांक 8 जून 2011 एवं आम इशतहार दिनांक 4 जून 2011 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)
	(1)	(2)	(1)	(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 10 जून 2011	4	0.12	विलोपित	विलोपित
	5/1	0.05	विलोपित	विलोपित
	52	0.07	विलोपित	विलोपित
	43	0.07	43	0.14
चौथा संसार में दिनांक 9 जून 2011	4	0.12	विलोपित	विलोपित
	5/1	0.05	विलोपित	विलोपित
	52	0.07	विलोपित	विलोपित
	43	0.07	43	0.14
नवभारत में दिनांक 8 जून 2011	4	0.12	विलोपित	विलोपित
	5/1	0.05	विलोपित	विलोपित
	52	0.07	विलोपित	विलोपित
	43	0.07	43	0.14
आम इशतहार दिनांक 4 जून 2011	4	0.12	विलोपित	विलोपित
	5/1	0.05	विलोपित	विलोपित
	52	0.07	विलोपित	विलोपित
	43	0.07	43	0.14

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.69 हे. के स्थान पर कुल रकबा 3.52 हे. होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 13 फरवरी 2012

क्र. भू-अर्जन-14-(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—घुघरी
(ग) ग्राम—बगली, प.ह.नं.47 एवं खैरी. प.ह.नं. 48
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 1.26 हेक्टर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
19/1	0.08
62/4	0.14
59/2	0.30
59/3	0.70
59/1	0.04
योग . . .	1.26

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चाबी जलाशय के अन्तर्गत डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 14 फरवरी 2012

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 10-11-109.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—हरदौट
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 2.743 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
18/1	0.300
19/1	0.250
19/2	0.120
20/4	0.110
20/6	0.110
20/3	0.140
13/3	0.190
13/2	0.270
13/5	0.020
7/4	0.190
4/1	0.070
4/4	0.380
10	0.019
13/1	0.571
योग . . .	2.743

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा मुख्य नहर का निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष 10-11-110.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बीना
(ग) ग्राम—इटैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 1.750 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
161	0.420
162	0.010
146	0.410
148	0.020
147	0.010
136/2	0.110
137	0.030
136/1	0.340
134	0.190
133	0.020
132/2	0.170
131	0.010
130	0.010
योग	1.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना जिला विदिशा मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी बीना एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्र. 539-री-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 5अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौदा
(ग) ग्राम—मुंदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 19.53 हेक्टर.

खसरा सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है. (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.60
9	0.75
4	0.60
10	0.75
5	0.65
8	0.70
6	1.35
11	3.23
12	0.42
14	0.24
16/4	0.01
17/2	0.02
15/1	0.17
16/1	0.02
16/6	0.02
25	0.28
26	0.12
15/2	0.07
15/3	0.14
29/1	0.01

(1)	(2)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.
27	0.12		
15/4	0.07		
16/3	0.03	(2)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
16/5	0.02		
17/1	0.18		
18	0.10		
19	0.74		
21/1	0.06		
21/2	0.23		
22/1	0.13		
34	0.03		
35	0.23		
24/681/1	0.07		
21/3	0.24		
21/4	0.20		
23	0.18		
22/2	1.06		
24	0.10		
32	0.01		
37	0.08		
38	0.01		
24/681/2	0.03		
28	0.08		
33	0.02		
36	0.12		
43	0.20		
68	0.11		
44	0.04		
63	0.14		
45	0.10		
62	0.04		
47/1	0.60		
47/2	0.19		
48	0.55		
49	0.24		
51/1	0.09		
52	0.06		
57	0.80		
59	0.95		
60	0.01		
29/2	0.02		
51/2	1.10		
	योग . . . 19.53		
		खसरा सर्वे	क्षेत्रफल जो
		क्रमांक	अर्जन होना है.
			(हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
		2/1	0.30
		3	0.13
		5	0.40
		10	0.21
		12	0.21
		4/1	0.10
		22	0.12
		11	0.06
		13	0.14
		16	0.31
		30/2	0.18
		54	0.11
		79	0.09
		359/2	0.10
		2/2	0.04
		4/2	0.02
		14	0.38
		15	0.22

(1)	(2)	(1)	(2)
433	0.30	29	0.21
437	1.22	42	0.10
438	0.18	49	0.29
439	0.40	50	0.10
444	0.56	76	0.07
443/1	3.36	45/1	0.16
17	0.05	129	0.12
62	0.03	130	0.12
19	0.06	131	0.31
63	0.03	132	0.31
25	0.65	45/2	0.16
26	0.77	46	0.15
33	0.07	47	0.14
34	6.27	493	1.01
39	0.21	526	0.24
41	0.18	527	0.63
66	0.29	537	0.03
68	0.32	540	0.12
69	0.21	52	0.52
74	0.27	55	0.15
360	0.34	56	0.14
27	0.21	57	0.19
40	0.33	134/1	0.08
65	0.20	135/1	0.05
77	0.08	58	0.58
28	0.21	133	0.33
44	0.08	59	0.08
51	0.11	341	0.04
64	0.19	60	0.08
75	0.08	18	0.05
30/1	0.18	61	0.03
31	0.20	67	0.13
32	0.15	72	0.10
78	0.09	73	0.12
359/1	0.11	82/1	0.08
35	0.25	115/1	0.31
36	0.12	392/3	0.11
43	0.11	394	0.28
37	0.16	448/1	0.10
48	0.15	83	0.24
38	0.16	116/2	0.16
53	0.15	391/1	0.02
80	0.07	393/1	0.14
424/2	0.12	447/1	0.40
425	0.38	82/2	0.16
435	0.50	115/2	0.27

(1)	(2)	(1)	(2)
		392/2	0.04
388	0.04	395	0.04
392/1	0.02	116/1	0.17
84	0.26	124	0.07
95	0.12	393/4	0.15
99	0.08	116/3	0.16
108	0.12	387	0.10
85	0.15	393/3	0.15
94	0.12	116/4	0.20
100	0.11	447/2	0.40
109	0.12	393/2	0.15
86	0.07	120	0.06
96	0.13	122	0.65
104	0.10	126	0.17
87	0.05	149	0.36
103	0.06	112/1	0.25
105	0.05	112/3	0.95
88	0.05	380	0.19
98	0.04	125	0.01
102	0.06	139	0.01
106	0.05	134/2	0.08
89	0.05	135/2	0.05
101	0.15	134/3	0.08
107	0.10	135/3	0.05
90	0.29	134/4	0.09
443/3	0.60	135/4	0.06
523	0.10	144	0.17
91	0.15	146	0.02
127	0.02	258	0.04
136	0.20	260	0.09
137	0.01	261	0.90
92	0.08	384	0.31
93	0.09	432	2.08
128	0.43	267	0.01
113/1	1.20	355	0.54
113/2	0.75	356	0.61
113/6	0.24	357	0.30
113//7	0.95	358	1.54
113/3	0.45	363/1	0.27
113/8	0.52	363/2	0.26
112/2	0.55	364/1	0.33
113/4	0.24	365/1	0.80
113/5	0.19	367/1	0.18
113/9	1.45	370/3	0.16
379	0.18	373/1	0.03
115/3	0.25	413/2	0.11
		416	0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
364/2	0.33	402	0.12
365/2	0.10	404	0.12
367/2	0.17	337/2	0.26
368/2	0.40	407	0.06
370/2	0.16	409	0.12
347/2	0.08	410	0.11
413/1	0.12	418	0.27
417/2	0.20	426	0.20
364/3	0.32	427	0.66
365/3	0.10	428	0.83
367/3	0.17	429	0.85
368/1	0.40	430	1.17
370/1	0.15	431	0.02
413/3	0.12	434	2.10
417/1	0.21	436	1.47
366	0.45	442	0.21
414	0.25	491	0.25
415	0.26	451	0.46
419	0.21	483	0.65
420	0.16	489	1.90
421	0.41	492	0.95
422	0.18	539	0.06
369	0.98	488	0.47
375	0.61	525	0.04
376	0.34	495	0.61
371	0.47	524	0.01
374	0.43	542	0.30
377/1	0.04	543	0.82
377/2	0.20	544	0.12
378	0.18	552	0.22
403	0.09	443/2	0.65
405	0.16	337/1	0.24
412	0.06		योग . . 78.71
381	0.41		
382	0.50		
383	0.44		
385	0.16		
399	0.19		
400	0.12		
411	0.09		
396	0.18		
397	0.18		
398	0.08		
406	0.06		
408	0.10		
401	0.12		

नोट.—(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब में आने वाली भूमि बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, शाजापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, अधिकारी आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्र.क्र. 57-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—भितरवार

(ग) ग्राम—रिठौदन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.577 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में)	(1)	(2)	(3)
			464	0.31	0.012
			465	0.19	0.092
			466	0.20	0.034
			467	0.33	0.046
			472	0.24	0.046
			468	0.56	0.092
			861	0.48	0.057
			863	0.14	0.057
			864	0.26	0.034
			866	0.21	0.034
			872	0.29	0.057
			871	0.35	0.046
			869	0.25	0.012
			890	0.40	0.012
			892	0.42	0.057
			891	0.16	0.057
			1758	0.43	0.012
			1754	0.18	0.012
			1755	0.22	0.069
			1756	0.14	0.057
			1757	0.14	0.046
			1772	0.35	0.081
			1778	0.52	0.081
			1780	0.11	0.024
			1719	0.21	0.034
(1)	(2)	(3)	1782	0.18	0.034
			1783	0.28	0.081
83	1.51	0.069	1785	0.27	0.012
81	0.68	0.012	1714	0.26	0.057
82	2.14	0.184	1713	0.10	0.034
72	1.60	0.138	1789	0.27	0.012
74	0.90	0.115	1712	0.36	0.034
75	0.64	0.138	1709	0.15	0.115
591	0.62	0.128	1708	0.20	0.012
589	0.46	0.024	1660	0.72	0.218
588	0.41	0.266	1663	0.51	0.012
601	0.63	0.105	1664	0.26	0.034
602	0.63	0.117	1618	0.13	0.012
576	0.62	0.128	1616	0.18	0.080
577	0.61	0.132	1613	0.19	0.046
558	0.58	0.103	1675	0.12	0.012
555	0.26	0.057	1612	0.16	0.057
556	0.22	0.069	1606	0.32	0.046
557	0.24	0.012	1607	0.16	0.046
554	0.42	0.080			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
			519	0.110	0.110
100	0.470	0.230	512	0.140	0.200
99	0.270	0.140	511	0.240	0.070
98	0.260	0.170	587	0.240	0.070
97	0.260	0.170	584	1.370	0.040
96	0.260	0.190	574	0.250	0.230
95	0.260	0.150	565	0.290	0.220
94	0.220	0.130	566	0.260	0.140
93	0.550	0.410	571	0.270	0.010
92	0.420	0.150	573	0.110	0.010
156	0.680	0.680	575	0.100	0.010
91	1.250	0.110	576	0.040	0.010
157	0.410	0.090	578	0.770	0.580
158	0.410	0.410	592	1.000	0.200
159	1.510	0.050	582	0.530	0.120
161	0.150	0.070	583	0.750	0.180
162	0.310	0.010	588	0.200	0.040
163	0.420	0.390	586	0.950	0.900
164	0.610	0.250	585	1.440	0.390
166	0.750	0.040	591	1.250	0.010
167	0.410	0.160	520	0.320	0.270
168	0.260	0.200			
170	0.040	0.370			
172	0.490	0.220			
171/653	0.250	0.140			
173	0.480	0.180			
487	0.190	0.100			
488	0.350	0.250			
493	0.210	0.130			
492	0.320	0.120			
494	0.530	0.500			
491	16.000	0.100			
497	0.650	0.210			
496	0.730	0.300			
499	0.620	0.320			
500	0.420	0.010			
501	0.190	0.190			
504	0.230	0.160			
505	0.310	0.260			
506	0.480	0.350			
508	0.070	0.010			
522	1.030	0.280			
546	0.770	0.010			
510	0.710	0.540			
509	0.330	0.010			
				योग . .	14.400
			(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर निर्माण हेतु.	
			(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.	
				प्र. क्र. 25-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	
				अनुसूची	
			(1)	भूमि का वर्णन—	
				(क) जिला—ग्वालियर	
				(ख) तहसील—भितरवार	
				(ग) ग्राम—पलायछा	
				(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.756 हेक्टर.	
			सर्वे नं.	सर्वे नम्बर का कुल क्षेत्रफल (है. में)	प्रभावित क्षेत्रफल जो अर्जित किया जाना है (हेक्टेयर में)
			(1)	(2)	(3)
			286/3	0.836	0.073
			286/4	0.518	0.293

(1)	(2)	(3)	(घ) क्षेत्रफल—3.86 हेक्टेयर.		
			सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे.में)
			(1)	(2)	(3)
290	0.439	0.042			
291	0.231	0.021			
292	0.921	0.084			
295	3.908	0.491			
306 मिन	0.738		7 मिन	0.642	
306 मिन	0.739	0.042	7 मिन	0.474	0.14
306 मिन	0.739		7 मिन	1.673	
316	2.581	0.125	9	1.254	0.02
317 मिन	0.358	0.105	35 मिन	0.096	
317 मिन	0.359		35 मिन	0.096	
318	1.975	0.052	35 मिन	0.096	0.05
322/2 मिन	0.324	0.261	35 मिन	0.096	
322/2 मिन	0.314		35 मिन	0.097	
323	0.272	0.115	52	0.251	0.01
330/4-7	0.711		53	0.209	0.04
330 मिन	0.345	0.052	55	0.251	0.07
330 मिन	0.345		58	0.188	0.04
			59	0.209	0.05
			62 मिन	0.21	0.01
योग . .	16.652	1.756	62 मिन	0.42	
			63	0.031	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत दो आब नहर की खेड़ा मायनर निर्माण हेतु.			65	0.376	0.16
			66	0.418	0.07
			67	0.387	0.16
			68	0.303	0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.			88 मिन	0.167	
			88 मिन	0.465	0.18
			88 मिन	0.465	
			93 मिन	0.611	0.18
			93 मिन	1.903	
			189 मिन	0.063	
			189 मिन	0.045	0.08
			189 मिन	0.063	
			189 मिन	0.045	
			190 मिन	0.063	
			190 मिन	0.006	0.04
			190 मिन	0.063	
			190 मिन	0.007	
			190 मिन	0.007	0.04
			197	0.408	0.08
(1) भूमि का वर्णन—			198	0.251	0.04
(क) जिला—ग्वालियर			199	0.543	0.02
(ख) तहसील—भितरवार			200	0.334	0.06
(ग) ग्राम—रिछारीखुर्द					

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—भितरवार

(ग) ग्राम—रिछारीखुर्द

(1)	(2)	(3)
201	0.26	0.04
202	0.261	0.05
205	0.23	0.05
206	0.240	0.05
228 मिन	0.146	0.06
228 मिन	0.136	
229	0.167	0.04
230	0.199	0.04
232 मिन	0.188	0.06
232 मिन	0.188	
233	0.418	0.06
234	0.334	0.06
235 मिन	0.178	0.05
235 मिन	0.177	
257	0.157	0.03
258	0.167	0.01
259	0.125	0.07
260	0.146	0.05
269	0.157	0.01
270	0.146	0.05
271	0.251	0.05
274	0.648	0.15
308	0.293	0.08
309 मिन	0.178	0.05
309 मिन	0.188	
310	0.460	0.02
330	0.293	0.01
334	0.042	0.02
335	0.366	0.14
336	0.282	0.01
347	0.282	0.10
456	0.188	0.03
459	0.146	0.05
461	0.157	0.06
462	0.157	0.05
463	0.188	0.10
384	0.23	0.06
387	0.314	0.04
388	0.366	0.10
391	0.209	0.06
392	0.240	0.06
394	0.157	0.03
395	0.157	0.03
396	0.449	0.08

(1)	(2)	(3)
457	0.282	0.05
458	0.146	0.07
योग . .		3.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की वितरण प्रणाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. भूमि संपादन-11-1509-प्र. क्र. 1 व 2/11-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—बड़नगर

(ग) ग्राम—दौलतपुर एवं सोहड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.68 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—दौलतपुर

203

0.95

258

0.01

204

0.03

208

0.84

209

0.75

210

0.45

(1)	(2)	(ग) ग्राम—तेन्दुहा	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.
215	0.10	खसरा नम्बर	रकबा
216	0.16		(हे. में)
217	0.49	(1)	(2)
255	0.04	105/1	0.11
259	0.45		
260	0.02		
256/1	0.12	योग :	<u>0.11</u>
256/2	0.19		
256/3	0.17		
257	0.10		
264	0.55		
265	0.21		
ग्राम-सोहड			
349	0.05		
योग . .	<u>5.68</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रतलाम-महू आमान (गेज) परिवर्तन कार्य के लिये ग्राम दौलतपुर एवं सोहड में निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बडनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 368-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—तेन्दुहा	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.11 हेक्टर.
खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
105/1	0.11
योग :	<u>0.11</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 फरवरी 2012

क्र. 1086-भू-अर्जन-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—कन्हवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी खाता- 0.896 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
728/3	0.120
728/2	0.061
734/2	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
734/1	0.061	3862	0.039
266/2	0.178	3864	0.042
267	0.051	3867	0.063
678	0.205	3869	0.010
306	0.111	3870	0.054
733	0.056	3863/1	0.016
		3877/1	0.030
योग :	0.896	3875	0.016
		3873	0.010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.		4123	0.229
		4165	0.047
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		4170	0.004
		4171	0.043
		4172	0.031
		4182	0.056
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		4183	0.005
		4169	0.153
		4667	0.012
		4180	0.084
		योग :	1.093

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2012

प्र. क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ग्राम—पृथ्वीपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.093 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3900	0.086
3860	0.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है—सतीघाट तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, निवाडी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 608-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.70 हेक्टेयर

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—सारंगी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.51 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1253	0.15
1254	0.03
1256	0.03
1257	0.02
1261	0.10
1262	0.08
1263	0.10
योग . .	<u>0.51</u>

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1236/1	0.03
1236/2	0.20
1238	0.10
1239	0.05
1241/1	0.20
1248	0.15
1256	0.10
1257	0.17
1258	0.14
1273	0.12
1274	0.04
1276	0.01
1294	0.12
1304	0.27
योग . .	<u>1.70</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की सारंगी सबमाईनर नहर के निर्माण होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर-2 के निर्माण होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 610-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—सारंगी

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—कचनारिया

क्र. 612-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.51 हेक्टेयर.		(1)	(2)
सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
निजी भूमि		1000	0.13
		1051	0.24
		1052	0.17
		1050	0.12
363	0.45	73	0.07
368	0.02	74	0.09
369/1	0.23	75	0.10
372	0.15	76	0.02
373	0.08	88/2	0.51
374/1	0.06	89	0.05
400	0.02	282	0.18
401	0.18	283	0.15
402/1	0.20	278	0.06
402/2	0.05	270	0.18
403	0.07	275	0.01
योग . .	<u>1.51</u>	274	0.02
		273	0.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की बडलीपाड़ा सबमाईनर नहर-2 के निर्माण होने से.		271	0.15
		261	0.13
		258	0.03
		259	0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.		256	0.03
		260	0.01
		255	0.04
क्र. 616-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		251	0.04
		248	0.04
		250	0.08
		249	0.08
		243	0.06
		242	0.06
		241	0.06
		240	0.20
		370	0.34
(1) भूमि का वर्णन—		374	0.08
(क) जिला—झाबुआ		378	0.16
(ख) तहसील—पेटलावद		389	0.10
(ग) ग्राम—बोलासा		388	0.28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.35 हेक्टेयर		387	0.02
		397	0.01
सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)	योग . .	<u>4.35</u>
(1)	(2)		
निजी भूमि			
999	0.04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की बोलासा माईनर नहर के निर्माण होने से.	
1002/1	0.12		

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 618-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बोलासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.29 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1654	0.29
योग . .	<u>0.29</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर-2 के निर्माण होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 620-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद

- (ग) ग्राम—बोलासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.82 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	निजी भूमि
1441	0.24
1443	0.08
1496	0.02
1499	0.08
1502	0.10
1504	0.10
1589	0.02
1590	0.02
1591	0.12
1592	0.04
योग . .	<u>0.82</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की सारंगी सब-माईनर नहर के निर्माण होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 622-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बोलासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.64 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
	निजी भूमि
856	0.15
858	0.16

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.02 हेक्टेयर	
		सर्वे नम्बर	रकबा
		(1)	(2)
859	0.06		
866	0.05		(हे. में)
867	0.10		
869	0.07		निजी भूमि
870	0.22	705	0.32
902	0.05	804	0.02
1001/1	0.17	807	0.05
1001/2	0.23	808	0.18
1006	0.07	809	0.13
1009/1	0.09	810	0.11
1009/2	0.09	811	0.10
1009/3	0.09	812	0.25
1010/1	0.15	842	0.03
1010/2	0.16	843	0.40
1014	0.10	846	0.08
1015	0.10	848	0.07
1016	0.12	883	0.25
1024	0.05	884	0.12
1025	0.24	892	0.16
1051	0.06	894	0.25
1535	0.06	907	0.08
	योग . . . 2.64	909	0.13
		1129	0.20
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की बोलासा सब-माईनर नहर के निर्माण होने से.		1143	0.08
		1439	0.05
		1441	0.12
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.		1442/5	0.05
		1442/6	0.04
		1442/7	0.04
		1442/8	0.04
		1442/9	0.10
क्र. 624-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र.-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-		1442/10	0.20
		1479	0.15
		1482	0.10
		1483	0.12
		योग . . .	4.02

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—सारंगी

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना की सारंगी माईनर नहर-1 के निर्माण होने से.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 626-भू-अर्जन-2011-12-संशोधन.—कार्यालयीन उद्घोषणा क्रमांक 2329-भू-अर्जन-2011-झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 11 में प्रकाशित उद्घोषणा में आंशिक संशोधन करते हुए, अनुसूची के कॉलम नंबर (03) में प्रकाशित रकबा के स्थान पर कॉलम नंबर (02) में अंकित सर्वे नंबर का रकबा कॉलम नंबर (05) में अंकित रकबा पढ़ा जावे:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—हिण्डोलाबावडी

स.क्र.	पूर्व में प्रकाशित हेक्टर		सही प्रकाशित रकबा	
	सर्वे नम्बर	रकबा	सर्वे नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	132	0.13	132	0.15
2.	133	0.01	133	0.02
3.	142	0.02	142	0.03
4.	146	0.05	146	0.12

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

क्र. 628-भू-अर्जन-2011-12-संशोधन.—कार्यालयीन उद्घोषणा क्रमांक 2337-भू-अर्जन-2011-झाबुआ, दिनांक 6 जुलाई 11 में प्रकाशित उद्घोषणा में कम्प्यूटर त्रुटि से सर्वे नंबर 195 का रकबा 0.16 हेक्टर के स्थान पर 0.06 हेक्टर का प्रकाशन होने से निम्नानुसार प्रकाशित रकबा 0.06 के स्थान पर कॉलम नंबर (02) में अंकित सर्वे नंबर का रकबा कॉलम नंबर (05) में अंकित रकबा 0.16 हेक्टर पढ़ा जावे:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—छावनी

स.क्र.	पूर्व में प्रकाशित हेक्टर		सही प्रकाशित रकबा	
	सर्वे नम्बर	रकबा	सर्वे नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	195	0.06	195	0.16

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 23 फरवरी 2012

क्र. 1717-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—अकोलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.737 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
47/2/1	0.080
47/2/3	0.080
50/1	0.044
50/2	0.044
51	0.095
52/1/1	0.020
52/1/2	0.020
52/2	0.040
81/5	0.015
88/1/1	0.020
88/1/2	0.030
88/2	0.050
88/3	0.180
89 पै.	0.194
93/2/1	0.023
93/2/2 पै.	0.028
93/2/3	0.012
93/3	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
93/4/1/1	0.017	157/6	0.006
93/4/1/4	0.005	157/7	0.005
93/4/1/5	0.005	157/8	0.005
97	0.325	157/10	0.005
98	0.260	157/11	0.005
	योग . . 1.737	157/1 पै.	0.005
		158/2	0.450
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महू-घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.		159	0.140
		161/1/1	0.115
		248/1	0.950
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		248/2	0.008
		249/1	0.020
		249/2	0.180
		249/2 पै.	0.049
		157 पै.	0.005
		योग . . 2.034	
क्र. 1722-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महू-घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—मंडलावदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.034 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
154/2	0.010
157/1	0.030
157/2	0.010
157/3	0.020
157/4	0.006
157/5	0.008

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1727-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार

(ग) ग्राम—खेड़ा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.028 हेक्टर.		
सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित	
(1)	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
169	0.028	
	योग . . 0.028	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महू-घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.	392/1/2	0.014
	392/1/4	0.007
	392/2	0.115
	392/3	0.045
	399/1/1	0.076
	399/1/2	0.028
	399/1/3/1	0.025
	399/1/3/2	0.024
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	402/1/2	0.016
	402/2	0.020
	413/1	0.162
	413/2	0.161
	414 पै.	0.045
	414 पै.	0.016
	420/1/1/पै.	0.075
	420/2/1	0.140
	421/1/1	0.121
	421/2/1	0.054
	योग . . 1.462	

क्र. 1732-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—पीथमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.462 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित
(1)	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
391/1/क/1	0.116
391/2/1 पै.	0.139
402/1/1	0.045
392/1/1	0.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महू-घाटाबिल्लोद फोरलेनिंग निर्माण में प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2012

क्र. 1286-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—बगदरी, प. ह. नं.-40,
ब. नं.-65, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.220 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/12, 29/1, 29/2 } 30/2, 30/3, 31/2 } 33/1, 34/1, 35/1, } 41/1, 42/1 } 35/2, 36/1 36/2 36/3 347/1, 2	0.720 0.020 0.110 0.180 0.090 0.100
कुल : 01.220	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बगदरी जलाशय योजना के अन्तर्गत स्पिल निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1287-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—हिवरखेड़ी, प. ह. नं.-01,
ब. नं.-166, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किया जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.172 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
272/3, 273/3, 274/3 272/2, 273/2, 274/2 271/1 269/3, 270/3 263/3 269/2, 270/2 269/1, 270/1 287, 288 123 132 126 263/2 263/1, 261	0.120 0.068 0.135 0.090 0.105 0.165 0.202 0.140 0.072 0.126 0.036 0.085 0.101

(1)	(2)	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
262/1	0.045		
262/2	0.100		
260/2	0.112		
282, 283	0.045	286/1, 2	0.083
284/1	0.135	56/1	0.108
286/1	9.135	287/3	0.060
286/2	0.135	306/3	0.011
289	0.020	154/1, 4	0.115
	<u>कुल : 02.172</u>	306/1	0.012
		215/4	0.195
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पिण्डरई सराफ जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		311/2	0.010
		302/1	0.068
		215/7	0.112
		302/2	0.068
		342/2	0.045
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		302/3	0.068
		301/1, 304/1क	0.135
		342/3	0.247
		301/2, 304/1घ	0.203
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		305	0.020
		58	0.045
		307	0.020
		308	0.020
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		310/1	0.018
		309	0.020
		310/2	0.015
		311/1	0.010
		317/2, 317/3	0.045
		312/2	0.015
		316	0.015
		312/3, 314	0.018
		313/2	0.004
		315/2	0.010
		315/1	0.010
		312/4	0.010
		313/1	0.004
		369/2, 374/2	0.068
		372/3	0.022
		372/1	0.008
		372/2, 372/18	0.020
		367/1	0.065
		366/2, 3	0.180
		366/1	0.175
		359/1, 361/1	0.130
		359/2	0.112

क्र. 1288-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—महेन्द्रवाड़ा, प. ह. नं.-40,
ब. नं.-226, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.642 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(1)	(2)
68/2	0.090
323	0.115
215/2, 215/3	0.112
154/3	0.101
154/2	0.068
306/4	0.011
199, 200/3, 215/1ड	0.069
343/5	0.112
306/2	0.010
59/1	0.010
57/2, 63/1, 60/1, 61/1	0.190
53/1, 2, 3	0.135
कुल योग : 3.642	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गुरैया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1289-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—हरई

(ग) नगर/ग्राम—भेडा, प. ह. नं.-20,
ब. नं.-60, रा. नि. मंडल-हरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—2.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
85/1	2.041
89	0.082
कुल योग : 2.123	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भेडा जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1290-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—बडेला, प. ह. नं.-61/44,
ब. नं.-186, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—3.228 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.162
36/2	0.180
37/4, 54/4, 55/5, 56/5, 57/5	0.054
37/3, 54/3, 55/4, 56/4, 57/4	0.036
39/2, 40/2	0.198
285/6	0.252
43/1, 46/1, 47/1	0.072
87/3, 88/3, 89/3, 94/3, 94/4	0.108
87/2, 88/2, 89/2	0.216
90, 91, 92	0.042
111/1	0.054
109/2	0.072
109/1	0.090
140/1, 141/1	0.090
140/3, 141/3	0.084
135/5, 210/2	0.126
138	0.090
134	0.020
132/2	0.138
137/1, 144/1	0.042
135/8	0.020
135/7, 187/4	0.025
210/7	0.030
135/16	0.042
219/2	0.035
217/1, 218/1	0.054
216	0.108
210/8	0.110
208/2, 215/1, 215/2	0.036
223/4	0.026
225	0.020
283/2	0.145
275	0.216
136/1	0.036
44/1	0.055
223/6	0.144
कुल योग :	3.228

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खामी बडेला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1291-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—खामी, प. ह. नं.-57/44,

ब. नं.-46, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.430 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
230/2, 232/3	0.072
200/2, 459/1	0.054
200/7, 459/5	0.108
523/1	0.126
524/1, 524/2	0.090
530/2, 531/8	0.108

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—जटलापुर, प. ह. नं.-33, ब. नं.-183, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1.		
432/3	0.052			
432/1	0.053			
472/4	0.135			
492/1, 493/1	0.068			
491, 492/2, 493/2	0.158			
489/1ख	0.090			
489/2	0.130			
500	0.030			
617/2	0.068			
385/2	0.180			
195/1	0.020			
202/1	0.098			
203	0.045			
कुल योग : 4.707				
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बागला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.				
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
क्र. 1293-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—				
अनुसूची				
(1) भूमि का वर्णन—				
(क) जिला—छिन्दवाड़ा				
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा				
		प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
		(1)	(2)	
		29	0.100	
		40/1	0.679	
		40/2	0.355	
		41	0.280	
		45/2	0.100	
		47	0.040	
		48	0.405	
		49/1	0.405	
		49/2	0.760	
		50	0.231	
		51/3	0.640	
		51/10	0.365	
		51/4	1.118	
		51/9	0.170	
		51/8	0.325	
		53	0.890	
		56/2	0.600	
		56/3	0.600	
		56/4	0.600	
		56/1	0.190	
		60/1	0.433	
		60/3	0.813	
		60/2	0.381	
		62/1	0.433	
		62/2	0.180	
		68/1	1.578	
		68/3	2.043	
		68/2	2.043	
		68/4	2.511	
		69	5.617	
		70/1	2.040	
		70/2	2.043	
		71/1	1.096	
		71/2	1.821	

(1)	(2)
71/3	1.097
72/1	1.567
72/2	1.570
75/1	1.100
75/2	0.760
76/1	1.505
81	0.243
76/2	1.261
80	0.280
107	0.089
108	0.016
109	0.016
110	0.016
111/1	0.012
111/2	0.012
113	0.008
112	0.020
114	0.004
115	0.016
116	0.008
120	0.024
121/1	0.010
51/5	0.130
77/1	0.210
121/2	0.010
122	0.008
123	0.008
124	0.012
163/1	0.900
164/2	0.100
163/2	0.190
164/1	0.040
38/2	0.058
165/1	0.020
156	0.012
157	0.012
कुल योग : <u>43.229</u>	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1294-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—मंडुआढाना, प. ह. नं.-02,
ब. नं.-222, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—64.598 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
339/1	0.020
340/2, 341/3	1.000
368/1ग, 368/3, 369/2	0.704
381/5, 381/18, 389/1ख,	0.441
390/2क, 390/2ग.	
378/2, 379/2	0.202
394/3	0.101
383	0.486
384/3	0.624
406/1	0.922

(1)	(2)	(1)	(2)
406/4	0.308	408	0.105
345/3	0.497	384/1	0.692
339/3	0.075	385	0.518
343/1	0.047	389/2च	0.533
362/1	0.162	390/2ख	0.244
366/2	0.243	395	0.117
358	0.210	400/2	0.101
360/2	0.113	406/2	0.412
361	0.854	359/1	0.162
370	0.170	363/1	0.154
371	0.320	394/4	0.012
380/3	0.045	363/2	0.243
381/7	0.162	364	0.252
381/8	0.036	359/3	0.494
381/3, 389/2ग	1.027	384/5	0.040
406/3	0.769	418	1.546
407	0.061	414/1	0.646
426	0.793	414/2	0.645
410/1	0.077	381/17, 382/4	0.283
410/2	0.040	389/2घ, 389/2ङ	0.178
411/1	0.287	394/6	0.040
416/1	0.138	403/2	0.315
417/1	0.227	403/3	0.316
417/2	0.360	381/6, 390/2ट	0.081
424	0.567	381/11क, 382/2क	0.275
419	0.409	381/11ख, 382/2ख	0.275
404/1	1.000	381/14	0.085
405/1	1.465	390/2च	0.069
413	1.242	381/15	0.081
420	0.194	381/16, 382/3	0.283
429	0.219	403/4	0.381
378/1, 379/1	0.223	427/1	0.186
384/6	0.100	427/2	0.182
372	0.214	427/3	0.178
373	0.109	428	0.312
374	0.093	412/4	1.124
376	0.158	405/2	0.615
377/2	0.364	405/3	0.611
390/2घ	0.020	411/3	0.150
390/2ज	0.032	409/1ग	0.093
377/1	0.081	410/3	0.162
380/4	0.162	412/1	0.910
381/2ग	0.567	412/3	0.518
389/2ख	0.462	412/2	0.535
381/13	0.162	409/1क	0.231

(1)	(2)	(1)	(2)
415	1.376	357	0.239
422	0.417	365/1, 366/1	0.222
423/1, 2, 3	0.191	338/4	0.032
423/2	0.421	345/6	0.320
324, 325/1	0.035	347/2	0.197
340/1	0.809	348/2	0.029
340/5	0.178	349/2	0.257
341/5	0.145	336/2	0.425
325/2, 325/3, 326/1, 326/2,	1.438	352	0.036
327/1		338/2	0.065
340/3	0.194	346/2	0.109
330/5	1.092	351	0.134
334/1	0.085	355	0.170
334/2	0.470	356	0.138
398/2	0.611	360/1	0.121
399	0.138	367/3	0.089
400/1	0.101	362/2	0.158
330/4	1.213	365/2, 366/3	0.243
331	0.497	378/3, 379/3	0.223
332/1	0.191	388/2	0.006
350/2	0.064	384/2	0.110
155/1ख	0.939	367/2	0.089
337/1	0.200	392/6, 393/1	0.050
337/2	0.413	368/1ख	0.299
396	0.142	380/2, 381/9	0.202
397	0.105	381/1, 389/2क	0.672
398/1	0.445	390/2छ	0.061
401	0.028	329	0.085
338/1, 339/4	0.093	330/1	0.320
344	0.166	330/2, 330/3	0.843
345/2	0.632	332/2	0.315
346/1	0.032	333	0.243
339/2	0.075	403/1	1.086
340/4	0.100	403/5	0.652
341/1, 345/1	0.071	406/5	0.413
341/2	0.070	379/4	0.222
343/2	0.046	387	0.120
345/5	0.089	384/7	0.117
392/7, 393/7	0.098	341/4	0.101
202/5	0.210	367/1	0.194
345/4	0.320	368/1क	0.073
347/1	0.200	368/2, 369/1	0.279
348/1	0.028	421	0.093
349/1	0.258	381/12, 382/1	0.971
338/3	0.032	381/4, 389/1क, 390/2ख,	0.243
		390/2ङ	

(1)	(2)
384/4	0.405
318/4	0.140
327/2	0.081
335/2	0.284
336/1	0.035
380/1, 381/10	0.503
380/5, 381/11ग	0.181
381/19, 389/2ज, 381/2घ,	0.169
290/2झ	
388/3	0.025
393/3	0.202
393/6	0.050
394/2	0.020
394/5	0.081
404/3	0.306
404/4	0.399
409/1ख	0.194
409/2	0.081
411/2	0.543
416/2	0.227
404/5	0.399

कुल : 64.598

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1295-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—नेर, प. ह. नं.-28,

ब. नं.-302, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.423 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

560/1	0.360
560/2	1.101
561/1	0.300
562/1	0.429
562/2	0.684
591	0.316
590	0.162
592	0.219
589	0.401
588/2	0.330
588/1	0.081
579/11	0.040

कुल : 4.423

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.	(1)	(2)
क्र. 1296-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा		
(ग) नगर/ग्राम—करवे पिपरिया, प. ह. नं.-30/39, ब. नं.-47, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1.		
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—54.217 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		
प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
127/1	1.130	321
289	0.060	375/1
366/3	0.381	313
382/1	0.668	314
293	0.040	324/1
423	0.008	337/3
301/2	0.052	338
127/7	0.080	347/2
379	1.185	362
382/2	0.368	352
325	0.429	367
305/3	0.040	296
334	0.028	348
336	0.081	305/4
332	1.246	337/1
329	0.543	337/2
333	0.057	347/3
366/2	0.809	339
290/1	0.046	287

(1)	(2)	(1)	(2)
288	0.029	331	1.712
335	0.049	376	0.158
374	0.089	347/1	0.474
375/3	3.582	308	0.077
372	0.138	353	0.466
280	0.120	354	0.825
291	0.085	346	0.206
366/1	0.380	364	0.574
299	0.073	370	0.696
349	0.340	297	0.040
363	0.380	350	0.380
371	0.641		कुल : 54.217
320	0.360		
319	2.080	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
317	0.202	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
341	0.417	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
306	0.093	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
307	0.077		
311	0.490		
312	0.405		
127/4	0.160		
301/1	0.053		
418	0.050		
420	0.550		
286	0.023		
294	0.045		
309	0.849		
303	0.057		
361	0.526		
330	2.610		
375/2	1.262		
318/1	1.415		
290/2, 3	0.047		
302	0.049		
380/1	0.320		
381/1	0.324		
292/2	0.060		
327	1.635		
328	0.109		
295/2	0.024		
380/2	0.324		
381/2	0.324		
421	0.660		
292/3	0.030		
295/3	0.010		

क्र. 1297-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भूला, प. ह. नं.-30 ब. नं.-436, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1.	(1)	(2)
	222/1	0.317
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—195.434 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	380/1	1.433
	381	0.166
	222/2	0.317
प्रस्तावित खसरा नंबर	140	0.480
	141	0.571
(1)	143	0.559
	145/1	0.194
109/1	147/1	0.194
109/2	391/1	0.202
183	392/1	0.202
205/2	39	0.109
206/2	38/4	0.383
211	40/2	0.050
212	110/7	0.085
213	110/9	0.230
214	108	0.134
215	110/8	0.100
216	35	0.238
217	36	0.202
218	385	0.320
219	385	0.320
222/3	223/2	0.530
222/4	226/2	0.421
233	229	0.154
299	231	0.162
133/2	232	0.178
145/2	38/2	0.382
147/2	26	0.372
152/2	29/1	0.270
153	29/9	0.820
386	29/2	0.070
390/3	29/3	0.120
398	248/2	0.549
400/1	248/5	0.170
404/1	248/6	0.829
412	22/1	0.940
414	25/1	0.089
422	22/2	0.248
601	25/2	0.032
602	27	0.429
603	158/1	0.008
604	159	0.028
605	161/2	0.028
606	235/1	0.162
	235/2	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
235/3	0.254	336/2	0.085
236/1	0.857	448/3	0.008
191	0.028	609	0.141
199	0.049	333/1	0.113
204	0.263	335/6	0.070
205/1	1.302	336/4	0.130
206/1	0.032	336/6	0.056
220/2	0.456	337/1	0.178
243/2	0.198	333/2	0.110
207/2	0.055	334/3	0.060
207/5	0.584	335/1	0.080
220/1	0.472	335/5	0.020
243/3	0.202	336/3	0.121
207/3	0.050	336/5	0.143
207/6	0.542	337/2	0.180
220/3	0.528	333/3	0.111
243/1	0.224	334/1	0.130
221	0.700	335/2	0.095
224	0.057	335/3	0.080
532	0.012	336/1	0.056
533/1	0.036	337/3	0.201
538	0.219	337/4	0.040
546/1	0.020	352/3	0.303
533/2	0.036	353/1	0.450
534	0.012	353/2	0.271
546/2	0.025	431/2	0.378
547	0.214	431/3	0.378
427/8	0.263	357	0.070
245/2	0.483	433	1.416
349/3	0.136	359	0.275
440	0.214	362	0.121
443/1	0.405	363	0.032
475	0.672	364	0.259
248/1	0.394	242	1.243
248/3	0.133	360	0.486
248/8	0.430	429	1.108
248/9	0.252	361	0.417
501/3	0.261	365/1	0.781
301/2	0.237	430/2	0.413
301/3	0.101	431/4	0.189
333/1	0.186	431/5	0.189
334/2	0.130	365/2	0.162
335/4	0.060	430/3	0.405
335/7	0.010	367/2	0.526
335/8	0.010	365/3	0.101

(1)	(2)	(1)	(2)
348/1	0.413	593	0.174
366	0.548	594	0.413
358	0.291	595	0.024
367/1	0.481	596	0.563
368	0.101	600	0.615
430/1	0.405	392/4	0.809
369	0.397	393	1.939
371/1	0.833	409	0.097
428/1	0.952	410	0.291
428/2	0.759	411	0.101
370	2.020	446/2	0.276
371/2	0.243	438	0.518
372	0.769	439/2	0.004
373	0.032	445/3	0.522
428/3	0.813	445/4	0.324
451/1	0.205	448/2	0.213
562	0.024	448/4	0.405
380/2	0.323	390/2	0.276
402	1.032	390/4	0.121
423	1.359	391/2	1.041
424	0.624	392/3	0.207
566	0.306	391/3	0.040
567	0.081	392/2	0.080
568	0.166	399	4.046
578	0.336	403	0.652
382/2	1.390	401	0.704
383/2	0.152	577	0.097
382/1	1.317	579	0.332
383/1	0.075	580	0.526
382/3	1.214	400/2	2.526
383/3	0.020	404/2	0.137
396	0.753	416	0.539
413	0.828	418	0.506
415	1.530	420	0.267
419	0.486	425	0.890
421	0.551	563	0.028
426	0.129	564	0.251
569	0.061	565	0.223
575	0.016	587	0.421
576	0.105	588	0.441
581	0.097	417/1	0.190
583	1.036	427/4	0.421
590	0.040	427/7	0.360
591	0.251	560/2	0.384
592	0.061	522/4	0.193

(1)	(2)	(1)	(2)
427/2	1.189	235/6	0.170
522/2	0.219	236/2	0.202
561/2	0.150	236/3	1.274
417/2	0.134	236/4	0.142
427/3	0.421	240	0.474
427/6	0.559	30	1.007
558	0.065	152/1	0.198
559	0.061	158/2	0.085
560/1	0.187	239	0.328
522/3	0.219	32/1	0.235
427/1	0.187	32/2	0.202
427/5	0.922	33	0.029
560/3	0.162	550	1.396
561/1	0.158	29/4	1.194
354	1.542	29/5	0.328
355	0.182	29/6	0.741
356	0.049	241	0.947
434	1.307	248/4	0.154
437	0.595	248/7	0.699
436/2	0.372	29/6	0.741
543	0.282	29/10	0.405
348/2	0.227	29/11	0.779
441	0.202	29/8	1.147
444/2	0.380	248/10	0.781
444/1	0.591	146	1.202
446/1	0.275	150/1	0.004
347	1.068	163	0.024
448/1	1.055	167	0.049
448/5	1.799	168	0.350
439/1	0.267	148	0.045
350	0.316	149	0.704
150/2	0.509	405	0.129
151/1	0.206	406	0.845
151/2	0.236	407	0.210
151/3	0.283	394	1.854
161/1	0.029	395	0.138
162	0.134	508	1.348
208	0.120	519	0.486
209	0.454	518	1.780
223/1	0.531	520	0.061
226/1	0.381	521	0.413
234/1	0.118	492	0.797
234/2	0.121	493	0.125
235/4	0.170	494	0.287
235/5	0.344	495/3	0.164

(1)	(2)	(1)	(2)
503	0.324	445/1	0.405
504/2	0.848	445/2	1.214
505	0.040	539/1	0.769
507/2	1.165	539/2	1.518
512	0.032	245/1	0.484
513	0.105	443/2	0.534
541	0.376	474	0.405
542	0.919	184	0.190
544	0.295	197	0.295
495/1	0.132	200	0.081
507/1	0.361	201	0.040
516	1.437	202	0.437
517	0.356	523	0.081
449/1	0.381	524	0.020
450/1	0.420	527/1	0.500
463	0.223	529/1	0.066
464	0.567	530/1	0.054
501/2	0.922	535/1	0.197
449/2	0.388	535/2	0.197
450/2	0.421	525	0.121
462	1.023	527/2	0.480
499	0.129	529/2	0.066
501/1	0.260	530/2	0.197
452/2	0.154	584	1.035
472	0.487	585	1.028
473	0.368	526	0.045
453/1	0.365	527/3	0.500
456	0.077	528	0.057
457	0.308	529/3	0.066
484	0.178	530/3	0.054
243/1	0.224	535/3	0.197
486	0.243	453/4	0.668
495/2	1.128	461/3	0.536
496	1.385	476/2	0.051
498	0.332	477/2	0.133
504/1	0.900	478/2	0.133
487	0.308	432/2	0.352
488	0.543	453/2	0.567
540	0.619	453/3	0.465
490	0.040	454/1	0.120
491	0.757	459/1	0.090
497	0.065	461/1	0.447
431/1	0.169	476/1	0.052
432/1	1.752	477/1	0.135
244	0.930	478/1	0.181

(1)	(2)	चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
483/1	0.194	
453/1	0.365	
456	0.077	छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 फरवरी 2012
457	0.308	क्र. 1359-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—
461/4	0.749	
476/3	0.133	
477/3	0.133	
478/3	0.181	
454/2	0.018	
459/2	0.018	
461/2	0.431	
483/2	0.510	
509	0.368	अनुसूची
510/1	1.158	(1) भूमि का वर्णन—
511	0.049	(क) जिला—छिन्दवाड़ा
514	0.028	(ख) तहसील—चौरई
502/1	0.388	(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धनौरा, प. ह. नं.-08 ब. नं.-135, रा. नि. मंडल-चौरई.
502/2	0.191	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—308.687 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
436/1	0.656	
436/2	0.372	
442	0.016	
432/3	1.450	
379/2	4.047	
451/2	0.103	
452/1	0.308	
कुल योग : 195.434		
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना,		
	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	69/1, 70/1, 71/1, 72/2	0.782
	69/2, 70/2, 71/2, 72/2	0.594
	69/3	0.510
	69/5	0.486
	233/3	0.687
	69/4, 70/3, 71/3, 72/3	0.594
	69/6, 70/4, 71/4, 72/4	1.000
	73/1	0.365
	520/1	0.606
	73/2	0.949
	346	0.922
	348	0.886
	351	1.044
	352	0.934
	424/1	0.008
	73/3	0.949
	73/4	0.405
	73/5, 520/2	0.485
	293/2, 295/2	0.320
	312/2	0.197

(1)	(2)	(1)	(2)
312/9	0.291	420/2	0.142
444/2	0.044	420/3	0.142
73/6, 520/3	0.405	151/1, 151/3	0.615
293/7, 295/9	0.485	404/2, 405, 409/2	2.910
312/7	0.202	152	0.409
312/8	0.322	230	0.619
73/7	0.405	536	0.567
293/6, 295/8	0.408	153	0.247
311/3	0.188	161/1	0.356
312/5	0.121	449/1	0.012
321/6	0.120	163	0.162
122/2	0.142	158/2	1.618
123/1	0.304	159	0.073
122/3, 123/2	0.421	160/2	0.273
107/2	0.004	162/2	0.364
130	0.178	162/4	0.405
137	0.053	164/1	0.117
138/2	0.138	173/2	0.020
154/2	0.125	182	0.466
155	0.142	184/1	0.339
156	0.219	229/1	0.979
158/1	3.150	470/1, 471/1	0.012
138/3	0.105	472	0.036
139	0.239	149/4	1.021
148	1.546	367/2, 551/1	0.158
149/6	1.910	454/1	0.018
357/1, 358/1	0.198	149/5	1.295
360/1	0.110	367/3, 551/2	0.158
548	0.146	149/7	1.022
549/2	1.107	367/4, 551/3	0.158
147	0.129	454/2	0.018
149/1	0.882	549/3	0.494
149/3	0.728	549/4	0.125
142/2	0.008	160/1	0.346
149/2	1.773	162/1	0.405
150	0.627	162/3	0.369
226/1	0.291	164/2	0.118
227/1	0.291	165	0.125
411/3	0.105	171	0.255
415	0.121	173/5	0.020
416	0.073	174	0.085
466/1	0.006	175	0.085
470/2, 471/2	0.008	176	0.069
476	0.028	177	0.478
419/1	0.963	184/2	0.341

(1)	(2)	(1)	(2)
185	0.202	207	0.482
229/2	0.591	208/1, 209, 210	1.502
229/3-4	1.458	208/2	0.809
242/2	0.012	222	2.063
243	0.024	211/2	0.065
244	0.016	212	0.713
251/2	0.639	213	1.159
119/2	0.036	223/2	0.405
120	0.081	221/2	0.251
275/1-2, 276/1-2	0.904	271/1	0.243
161/2	0.335	271/2	0.405
451/1-2	0.044	271/3	0.081
161/3	0.381	273/1	0.324
251/1-	0.648	273/4	0.316
172	0.348	286/1	0.272
173/4	0.202	461	0.020
186	1.238	462	0.032
173/3	0.081	273/5	0.153
286/5	0.272	223/1	0.975
482/2	0.008	224/1-2	0.704
273/3	0.320	225/1-2	1.056
273/6	0.129	226/2-3	0.639
178	0.316	227/2-3	0.651
228	2.626	232/1, 233/1	0.620
246	0.162	376/5, 434/5, 500/5	0.124
253	0.833	376/6, 434/6, 500/6	0.044
272	0.821	445/2	0.023
179	0.178	504/2	0.073
181	0.449	232/2, 233/2	0.405
287	0.957	234/1	0.405
183	0.437	248/5	0.265
191	1.238	257/8	0.761
215	1.218	258/1	0.243
216	1.696	364/1	0.377
197/1	0.181	381/3	0.101
200/1	0.364	381/5	0.631
201	0.049	381/25	0.040
202	0.053	386/1	0.526
205/2	0.628	387	0.024
197/2	0.230	428/1	0.008
200/2	0.405	463/1	0.036
200/4	0.173	619/3	0.284
200/3	0.855	234/2	0.405
204	0.559	234/3	0.340
205/1	0.282	257/5	0.809

(1)	(2)	(1)	(2)
619/4	0.243	397/3	0.129
619/7	0.247	409/4	0.340
608	0.324	419/2	0.024
612	0.506	420/4	0.202
236/1, 237/1	0.227	446	0.057
236/3, 237/3	0.226	447/2	0.012
236/4, 237/4	0.226	450/1	0.012
236/5, 237/5	0.227	254/2	0.773
238	0.081	269/3	0.971
239	0.255	270	0.841
240	0.214	288	0.874
236/2, 237/2	0.222	292/1	0.386
293/3, 295/3	0.543	292/2	0.660
433/3	0.018	292/3	0.210
245	0.020	407/2	0.057
248/1	0.008	408	0.085
250/1	0.530	409/5	0.939
248/3	0.121	409/3	0.509
362/2	0.113	411/2	0.380
381/6	0.332	510/4	0.121
381/23	0.243	510/7	0.073
390/1	0.255	255	0.219
390/2	0.243	258/4	0.445
425	0.061	269/2	0.898
426/1	0.057	510/5	0.073
605/1	0.769	257/1	0.809
619/1	0.283	258/3	0.182
619/5	0.510	257/3	0.603
381/8	0.502	258/2	0.178
381/4	0.073	604/3	0.101
619/9	0.255	606/2	0.230
248/2, 362/1	0.370	619/12	0.247
250/2	0.263	257/2	0.259
275/5, 276/5	0.324	258/5	0.040
360/2	0.312	620/4	0.239
248/4	0.263	620/5	0.117
293/10, 295/12	0.421	257/4	0.607
388	0.417	257/7	0.648
389	0.494	381/19	0.073
249	0.089	619/10	0.292
250/3	0.263	384/4	0.097
252	0.858	381/20	0.369
254/1	1.655	381/21	0.510
273/2	0.308	386/2	0.454
397/1	0.129	426/2	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
426/3	0.028	292/4	0.387
257/6	0.583	293/1	0.291
257/9	0.518	295/5	0.518
258/6	0.081	293/4, 295/4	0.482
259	1.153	295/6	2.565
492	0.089	293/5, 295/7	0.203
260	0.251	293/8, 295/10	0.202
261/6	0.284	293/11, 295/13	0.364
267/9	0.307	433/1	0.018
267/10	0.308	295/1	0.809
468	0.012	319/2	1.477
261/1	0.638	320/2	0.951
267/3	0.040	381/1-2	0.535
267/4	0.114	381/10-12	1.335
279/6, 280/2	0.469	381/11-13-17-18	1.206
261/2	0.405	381/16	0.405
265	0.069	382/1	0.405
261/3	0.729	383/2	0.121
261/4	0.405	296	0.987
267/5	0.040	298/1	1.242
267/6	0.114	298/2	0.324
480/2	0.039	316	0.777
261/5	0.445	298/3	0.539
279/5	0.405	299/1, 300/1	0.412
267/7	0.040	302/1, 303/1	0.490
267/8	0.114	305/1, 306	0.521
263	0.065	308/1, 309/1	0.264
264	1.935	337	0.478
266	1.566	338/1	0.194
267/1	0.040	338/2	0.405
267/2	0.113	338/3	0.081
279/2, 280/1	0.939	339/1	0.405
269/1	0.866	339/2	0.906
275/3, 276/3	0.464	340, 341	0.161
275/4, 276/4	0.607	342	0.073
275/6, 276/6	0.459	343	0.097
420/6	0.243	349/2	0.809
353/1	0.405	423	0.057
360/3	0.202	479	0.040
275/7, 276/7	0.547	491/2	0.032
291/2	2.201	299/2	0.061
285/1	0.579		
291/1	0.303		
285/4	0.567		
291/3	0.303		

(1)	(2)	(1)	(2)
300/2	0.385	322	0.113
302/2	0.162	323/1	0.534
302/3, 303/2	0.445	324/1	0.528
305/2	0.202	323/4, 324/4	1.214
308/2, 309/2	0.182	323/5, 324/5	0.273
301/1	0.360	325/2	0.227
304/1	0.158	326	0.097
307/1	0.112	325/6	0.607
310/1	0.061	325/7	0.657
311/2	0.081	325/3	0.607
312/3	0.101	325/5	1.032
312/4	0.101	354/2	0.767
313/1, 314/1	0.267	328/1	0.105
317/3	0.122	329/1, 330/1	0.625
491/1	0.014	331/1, 332/1, 333/1	0.154
301/2	0.361	328/2	0.053
304/2	0.158	353/3	0.271
307/2	0.113	329/2, 330/2	0.311
310/2	0.060	331/2, 332/2, 333/2	0.081
311/4	0.081	334/1	0.121
312/10	0.101	334/2	0.174
312/11	0.101	335	0.142
313/2, 314/2	0.271	336	0.150
317/4	0.122	344	2.197
491/3	0.014	347	0.069
311/1	0.188	345	0.243
312/1	0.815	441	0.053
317/1	0.222	442	0.036
319/3, 320/3	1.214	443	0.040
323/3, 324/2	1.214	350	0.283
323/3, 324/3	0.274	353/2	0.271
325/4	0.749	424/2	0.040
317/2	0.607	354/1	0.502
325/1	0.202	354/4	0.159
318/1	1.449	354/5	0.162
318/2	2.468	354/8	0.054
318/4	0.008	354/9	0.014
318/3	1.072	354/10	1.533
319/1, 320/1	1.214	356/2	0.284
321/1	0.332	356/3	0.280
321/2	0.332	458/3	0.030
321/3	0.291	354/3	0.081
321/4	0.502	354/6	0.547
321/5	0.211	354/7	1.303
		356/1	0.599

(1)	(2)	(1)	(2)
356/6	0.285	369/4, 369/5, 369/8, 372/2	0.609
458/1	0.061	372/3, 372/8, 373/2-3, 373/4	
458/2	0.061	435	0.089
354/14	0.277	486/14-15-16	0.105
354/15	0.027	495/2	0.121
354/11	0.767	533/2	0.073
354/12	0.711	540/2	0.129
354/13	0.067	540/20	0.057
355	0.117	540/9	0.251
356/4	0.285	540/14	0.045
356/5	0.279	542/2, 545/2	0.947
458/4	0.031	546/4, 547/4	0.145
357/2, 358/2	0.199	546/8, 547/8	0.214
286/4	0.607	558/2	0.028
359	0.579	573/1	0.053
364/2	0.214	574/1	0.405
381/7	0.551	574/2	0.478
381/9	0.486	574/3	0.101
381/24	0.154	580/4	0.065
384/2	0.267	499/4	0.069
384/5	0.162	368/4	0.182
428/4	0.012	368/5	0.182
366/1, 367/1	0.226	369/1, 370/1, 371/1-2,	0.372
366/2	0.130	372/4, 373/1	
372/15	0.121	533/5	0.073
373/9	0.020	539/2	0.017
431/1	0.040	540/1	0.051
514/5	0.242	540/16	0.073
549/1	0.494	540/8	0.251
550	0.121	546/3	0.119
549/5	0.121	547/3	0.364
465/2	0.004	546/6, 547/6	0.145
368/1	0.287	574/7	0.473
368/2	0.202	574/8	0.101
368/3	0.243	575/1	0.477
369/2	0.421	533/3	0.073
369/3	0.372	432/1	0.028
374	0.688	432/2	0.032
375/2	0.243	377/1	0.089
378/1	0.405	369/6, 369/10, 372/1, 372/5	0.300
378/3	0.202	372/6, 373/5, 373/6	
431/2	0.036	380/2	0.320
529/1	0.315	433/2	0.036
581/1	0.145	537/2, 538/2	0.303
379/2	0.259		

(1)	(2)	(1)	(2)
539/1	0.162	504/1	0.073
539/3	0.036	373/11	0.142
540/6	0.110	499/5	0.069
540/10	0.251	540/13	0.097
540/24	0.053	540/21	0.057
558/3	0.028	377/2	0.085
369/7, 369/9, 370/2, 372/9	0.506	577/1	0.093
372/7, 372/10		378/2	0.202
372/16, 373/10	0.178	429/3	0.032
486/11-12-13	0.101	502/1	0.012
546/5, 547/5	0.145	503/2	0.061
430/2	0.016	541/1	0.849
438/1	0.045	544/1	0.085
485/1	0.024	379/1	0.518
496/3	0.008	430/3	0.016
499/3	0.069	495/3	0.242
540/11, 540/17	0.124	497/1	0.024
540/18	0.061	506	0.247
540/23	0.057	531/2	1.113
546/7, 547/7	0.210	530/1	0.749
558/4	0.028	530/2	0.759
539/4	0.036	509/1	0.279
540/4	0.129	509/2	0.267
573/2	0.053	509/3	0.267
574/4, 574/5	0.407	578	0.368
580/1	0.251	579	0.368
580/2	0.061	495/4	0.247
369/11, 370/3, 371/3, 372/11	0.372	531/1	1.125
369/12, 369/13, 372/12, 372/13	0.310	380/1	0.335
372/14, 373/7, 373/8		466/1	0.006
380/3	0.320	486/8-9-10	0.105
466/2	0.005	496/4	0.012
537/3, 538/3	0.318	497/2	0.020
546/2, 547/2	0.284	498	0.032
546/13, 547/13	0.172	499/2	0.065
574/6	0.050	533/4	0.073
575/2	0.236	537/1, 538/1	0.141
576/3	0.025	540/15	0.073
580/3	0.061	540/19	0.061
375/1	0.732	546/10, 547/10	0.080
376/1, 434/1, 500/1	0.276	546/11, 547/11	0.172
376/2, 434/2, 500/2	0.405	573/3	0.049
376/3, 434/3, 500/3	0.204	380/4	0.320
376/4, 434/4, 500/4	0.197	466/3	0.005
445/1	0.046	537/4, 538/4	0.165

(1)	(2)	(1)	(2)
540/3	0.104	399	0.255
540/30	0.100	396	0.539
444/1	0.045	422	0.032
496/1	0.008	482/1	0.012
496/2	0.008	528/2	0.324
539/5	0.016	564	0.186
540/5, 540/28	0.065	566	0.194
540/7	0.053	567	1.007
539/7	0.019	620/2	0.219
540/12	0.097	401	0.380
540/25, 540/29	0.028	420/1	1.214
540/27	0.050	464/2	0.008
546/12, 547/12	0.283	613	0.384
546/14, 547/14	0.172	620/3	0.118
574/9	0.051	404/1	0.081
575/3	0.237	407/1	0.073
576/2	0.024	409/1	0.898
381/14	0.024	412	0.032
382/2	0.125	417	0.231
382/3	0.121	428/2	0.061
381/15	0.093	619/2	0.924
384/1	0.295	429/1	0.065
384/3	0.154	429/2	0.032
385/2	0.761	502/2	0.012
428/3	0.061	503/3	0.060
605/2	0.174	541/2, 544/2	0.282
619/8	0.365	430/4	0.016
620/1	0.178	430/1	0.016
381/22	0.510	485/3	0.012
383/1	0.372	486/20	0.051
385/1	0.202	495/1	0.121
604/2	0.101	558/1	0.028
606/1	0.230	573/4	0.049
619/11	0.243	438/2	0.045
392/1	0.769	439	0.036
392/2	0.768	570	0.125
392/3	0.769	600	0.069
393	0.368	440	0.057
395	0.672	467	0.004
397/2	0.243	447/1	0.065
420/5	0.352	526/1	0.405
464/1	0.016	525/3	0.405
464/3	0.004	525/5	0.324
394	0.291	524/1	0.134

(1)	(2)	(1)	(2)
522/1	0.081	564/9, 547/9	0.214
522/2	0.113	484	0.028
522/3	0.040	485/2	0.012
450/3	0.016	486/2, 486/3, 486/5	0.050
448	0.053	499/1	0.065
449/2	0.016	493	0.101
449/3	0.016	503/1	0.162
450/2	0.012	503/4	0.061
522/12, 523/3	0.302	539/6	0.016
522/13, 523/4	0.142	540/22	0.085
522/10, 523/1	0.142	540/26	0.105
452/1	0.020	541/3, 544/3	0.688
452/2	0.016	508	0.113
453	0.024	511	0.202
459, 460	0.036	512	0.259
465/1	0.008	513	0.223
473/1	0.014	510/1	0.627
494/1	0.039	581/2	0.150
590/1	0.242	510/2	0.129
594/1	0.914	510/3	0.053
595/1	0.400	510/6	0.178
596/1	0.630	515/3, 516/3, 517/3, 518/5	0.566
592/1	0.008	519/3	0.155
473/2	0.013	522/4, 522/5	0.080
494/2	0.039	522/14	0.187
591	0.247	525/6	0.135
592/2	0.526	514/1	0.135
593/2	0.149	514/2	0.079
588	0.405	514/3	0.101
589	0.619	514/4	0.081
590/2	0.037	514/6	0.314
473/2	0.013	519/2	0.295
494/3	0.039	522/9	0.186
593/1	0.114	525/2	0.135
598	0.522	525/4	0.283
594/2	1.000	515/1, 516/1, 517/1, 518/1	0.186
595/2	0.421	515/2	0.053
596/2	0.006	516/2	0.020
475	0.032	517/2	0.182
477	0.020	518/2	0.186
478	0.053	515/4, 516/4, 517/4, 518/6	0.227
480/1	0.115	519/4	0.202
483	0.016	522/15	0.081
486/17-18-19	0.101	522/16	0.186

(1)	(2)	(1)	(2)
524/2	0.129	474	0.020
525/7	0.135	298/4	0.540
526/2	0.380	299/3, 300/3	0.344
518/3	0.502	308/3, 309/3	0.101
528/3	0.401	198	0.250
518/4	0.146	278/1, 278/2	1.793
519/1	0.388	279/1	3.076
521/1	0.809	279/3	0.417
521/4	0.960	289/1	0.510
521/2	0.809	289/2	0.510
521/3	0.954	290/1	0.243
522/6, 522/7	0.169	290/2	0.206
522/11, 523/2	0.142	290/3	0.211
524/3	0.121	285/3, 285/5	0.826
525/1	0.323	285/2	0.930
522/8	0.559	279/4	1.214
616/1	0.364	284/2	0.971
526/3	0.567	284/3	0.890
527	0.053	283/3	0.525
528/1	0.202	284/4	0.809
616/2	0.219	282, 283/4	0.473
617	0.077	283/1	0.525
529/2	0.311	283/2	0.116
533/1	0.036	283/5	0.607
533/6	0.036	286/2	0.343
542/3, 545/3	0.486	286/3	0.351
546/1, 547/1	0.146	398	1.971
542/1, 545/1	0.489	400	0.502
560	0.502	469	0.069
577/2	0.093	281	0.878
580/5	0.065	105/3	0.201
582	0.223	105/12	0.160
601	0.279	105/7	0.120
602	0.316	105/8	0.485
603	0.146	457 (म. प्र. शासन)	मकान कच्चे-75
604/1	0.243	411/1 (म. प्र. शासन)	मकान कच्चे-51,
619/6	0.514		मकान पक्के-02
621	0.676	410 (म. प्र. शासन)	मकान कच्चे-05
622	0.061	421/2 (म. प्र. शासन)	मकान कच्चे-32
623	0.914	456 (म. प्र. शासन)	मकान कच्चे-28
619/13	0.283	486/7 (म. प्र. शासन)	मकान कच्चे-24
583, 584, 585	0.774		कुल : 308.687
293/9, 295/11	0.291		
284/1	1.813		
463/2	0.032		

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.	403/1 12/3 12/4 397/4 401/4 403/4	0.405 0.040 0.070 0.303 0.430 0.425
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	60/6 60/7 78/2 86/4	0.320 0.377 0.334 0.139
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.	79/1 97/5 98/2 74/13 13/2	0.130 0.138 0.162 0.234 1.153
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.	421/2 191 200/1 201 386/1 147/1 ख	0.198 0.421 0.424 0.454 1.517 0.283
क्र. 1360-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	209/2 79/6 97/1 98/6 90 54/2 55/3	0.742 0.167 0.085 0.176 0.202 0.465 0.219
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—	59/4	0.117
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	59/6	0.400
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा	59/10	0.239
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम काराघाट, प. ह. नं.-29	74/10	0.182
ब. नं.-55, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1	74/14	0.250
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—317.799 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	128	1.509
	76/1	0.700
	76/2	0.696
	69/2	0.110
	397/5	0.097
प्रस्तावित खसरा नंबर	400	0.510
	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	401/5
(1)	(2)	0.546
112	1.423	0.425
234/2	0.413	0.239
235/2	0.817	0.239
397/1	0.303	0.648
401/1	0.477	0.141
	56	0.125
	57	1.052
	8/2	
	9	

(1)	(2)	(1)	(2)
419/4	0.121	7/9	0.284
419/6	0.122	7/12	0.284
420/1	0.109	7/10	0.121
419/3	0.231	7/29	0.135
419/5	0.121	7/17	0.089
419/2	0.121	7/22	0.101
419/7	0.231	7/21	0.101
420/2	0.219	7/20	0.101
413	0.032	7/16	0.094
414	0.239	7/15	0.093
210/9	0.186	7/13	0.122
211/4	0.021	7/14	0.284
212/3	0.056	7/30	0.186
220/3	0.045	79/5	0.163
221/5	0.037	97/2	0.105
222/10	0.077	98/5	0.162
224/2	0.291	145/1	0.767
224/5	0.101	417/1	0.368
225	0.049	418/1	0.121
228/3	0.437	418/5	0.413
387/2	0.429	147/2	0.858
135/2	1.575	377/1	0.356
7/4	0.405	377/2	0.344
7/5	0.202	410	1.015
7/6	0.405	64/3	0.838
29/1	0.072	64/4	0.607
29/3	0.180	94	0.081
110/2	0.121	138/2	0.344
111/2	0.243	374/3	0.057
113/2	0.664	378/2	0.760
397/3	0.244	393/2	0.336
401/3	0.474	394/2	0.356
403/3	0.383	122/4	1.315
84/2	0.991	359/3	0.333
208	0.684	381/1	0.460
209/1	0.743	210/2	0.219
404/1	0.400	211/1	0.004
79/4	0.159	214/1	0.045
97/3	0.109	221/3	0.073
98/4	0.162	220/4	0.020
7/24	0.202	221/4	0.105
7/26	0.122	222/11	0.251
7/27	0.184	224/3	0.243
7/28	0.135	224/4	0.069
7/8	0.122	228/2	0.364

(1)	(2)	(1)	(2)
387/3	0.016	54/1	0.204
388/2	0.412	54/4	0.023
147/3	0.284	54/5	0.061
412/1	1.983	55/2	0.235
415	1.699	59/1	0.288
210/4	0.222	59/2	0.215
405/1	0.324	59/8	0.125
405/4	0.607	74/18	0.162
406/2	1.214	237/5	0.091
389/2	0.607	237/6	0.085
404/2	1.198	237/7	0.137
144/3	0.250	237/8	0.053
75	0.364	13/1	0.554
84/1	0.797	15	0.040
7/2	0.708	52/2	0.899
7/3	0.303	53/2	0.462
40/1	0.433	222/14	0.060
46/2	0.138	368/1	0.153
62/4	0.150	368/2	0.720
139/3	0.526	368/4	0.568
144/5	0.769	371/3	0.336
144/6	0.081	29/2	0.556
144/7	0.324	350/1, 350/2	0.975
60/5	0.377	79/2	0.130
60/8	0.320	97/6	0.118
78/1	0.334	98/1	0.182
86/3	0.138	77	0.628
79/3	0.130	371/2	0.505
97/4	0.137	369/1	0.469
98/3	0.163	374/4	0.073
374/2	0.502	378/1	0.765
393/4	0.226	392/3	0.211
394/4	0.303	375/4	0.121
375/6	0.121	189/1	0.352
375/7	0.325	192/1	0.696
392/5	0.186	195	0.761
375/1	0.081	198	0.405
392/6	0.020	105/3	0.238
375/2	0.364	106/3	0.288
375/5	0.121	109/3	0.251
148/9	1.060	126/1	0.493
168/2	0.324	133/6	0.224
169	0.028	146/2	0.615
170	0.032	105/1	0.146
99	0.501	106/1	0.113

(1)	(2)	(1)	(2)
109/1	0.146	392/2	0.364
115	1.084	223/1	1.416
133/1	0.587	93	0.089
105/2	0.146	129	0.223
106/4	0.016	130/1	0.485
106/2	0.113	74/8	0.162
109/2	0.125	122/1	0.547
126/2	0.263	383/5	0.712
133/2	0.426	397/2	0.518
133/3	0.235	401/2	0.648
133/4	0.198	403/2	0.385
135/5	0.038	74/4	0.728
126/3	0.146	74/6	0.175
6	0.036	74/11	0.162
7/7	0.118	74/12	0.093
7/11	0.281	210/3	0.315
7/18	0.101	220/2	0.567
7/19	0.101	221/2	0.413
7/23	0.182	222/1 ख	0.486
7/25	0.101	237/4	0.607
406/1	0.068	130/2	0.405
132	1.356	383/2	1.348
136	0.243	12/1	1.011
419/1	0.121	30	1.186
419/8	0.142	34	0.081
421/1	0.089	220/1	0.627
409	0.648	223/2	1.328
411	0.214	157	0.757
412/2	0.383	60/2	0.352
416/2	0.397	60/3	0.279
389/1	1.664	64/5	0.417
7/1	0.023	86/2	0.139
122/6	1.315	88/1	0.121
114/2	0.732	114/1	0.728
116/2	0.298	64/1	0.304
299	0.032	148/3	0.668
370/1	0.113	148/5	0.769
371/1	0.162	148/10	0.526
374/1	0.129	149/1	0.485
375/3	0.121	148/13-14	0.546
392/1	0.190	160/2	0.983
393/1	0.162	122/3	2.631
394/1	0.283	148/1	0.506
386/2	0.809	148/11	0.020
386/3	0.708	143/3	0.205

(1)	(2)	(1)	(2)
143/4	0.050	200/2	0.501
148/2	0.506	215/1	0.554
148/12	0.640	218/7	0.231
148/8	1.217	407/6	1.802
148/15	0.405	80/1	0.514
148/16	0.278	80/3	0.405
149/2	0.486	81/2	0.817
149/3	0.065	82/1	0.449
58	0.486	82/3	0.324
360/1	0.494	83	0.243
373/1	0.192	87/1	0.243
376/1	0.753	91/1	0.202
379/1	0.554	145/4	0.591
380/1	0.389	234/6	0.850
380/4	0.331	234/8	0.159
372/1	0.676	234/10	0.344
4	3.084	234/16	0.040
69/1	0.010	235/1	0.549
80/2	0.919	235/8	0.450
81/1	0.283	417/4	0.372
82/2	0.773	417/7	0.122
87/2	0.243	418/2	0.421
91/2	0.405	60/1	0.752
204/9	0.112	60/4	0.209
204/10	0.041	64/2	0.304
205/3	0.014	64/6	0.417
206/4	0.137	86/1	0.138
207/4	0.106	88/2	0.122
210/10	0.093	116/1	0.297
222/9	0.161	138/1	0.416
222/15	0.114	89	0.138
310/9	0.207	92	0.101
310/12	0.177	108	0.522
310/13	0.145	137	1.547
310/16	0.101	154	0.279
310/8	0.233	155	1.133
222/7	0.243	156	0.291
222/8	0.162	38	0.676
231/1, 231/2	0.971	39	0.020
348/3	0.002	40/2	0.433
349/3	0.002	46/3	0.138
359/4	0.186	49/1	0.198
234/4	2.347	50/1	0.158
197	1.523	51/1	0.429
234/18	0.081	63/1	0.385

(1)	(2)	(1)	(2)
62/5	0.150	229/5	0.608
146/5	0.396	229/7, 230/2, 230/4,	0.324
179/1	0.106	230/6 230/8	
234/17	0.029	233/2	0.405
235/10	1.554	174	0.401
122/2	2.631	390	1.917
368/3	0.720	110/1	0.462
241/8	0.263	111/1	0.300
151/1	0.324	113/1	2.403
182/1	0.810	360/2	0.020
182/2	0.846	361	0.740
183/2	0.809	370/3	0.113
84/3	1.134	371/4	0.081
85	1.461	372/2	0.271
384/2	0.004	373/2	0.192
389/3	0.606	376/3	0.398
416/1	2.165	380/2	0.283
360/3	0.473	380/3	0.442
363	0.554	382	0.922
372/3	0.405	147/1 क	0.550
376/2	0.399	150	1.380
379/2	0.550	153	0.158
371/5	0.081	158/3	0.101
146/1	0.648	158/4	0.101
175/1	0.231	159	0.789
177/2	0.226	176	0.676
177/3	0.073	194	0.121
177/5	0.357	196	0.607
179/2	0.101	199	0.506
179/3	0.101	131	0.299
229/8, 230/1, 230/3,	0.955	134	0.729
230/5, 230/7		189/3	0.405
231/3	0.401	192/2	0.696
233/1	0.291	145/3	0.648
146/3	0.655	234/5	0.344
146/4	0.016	234/9	0.344
175/2	0.125	234/12	0.829
177/1	0.234	234/14	0.061
177/4	0.073	235/6	0.450
178	0.357	377/4	0.344
180	0.032	417/3	0.368
226/1	0.170	417/6	0.122
226/2	0.174	418/3	0.413
229/2	0.910	204/1	0.607
229/3	0.175	204/3	1.603

(1)	(2)	(1)	(2)
172	2.283	214/2	0.040
186	0.785	222/5	0.518
8/1	1.182	357	0.012
358	0.454	387/1	0.445
391/1	3.018	398	0.849
393/3	0.154	399	0.324
394/3	0.309	402	1.514
395/1	1.194	405/3	0.530
395/3	0.405	234/7	0.668
204/4	0.101	234/11	0.384
205/2	0.032	234/13	0.040
206/1	0.137	235/4-5	0.651
204/6	0.408	235/9	0.450
204/8	0.081	119	0.061
207/1	0.145	120	0.061
210/1	0.174	121	0.785
222/2	0.445	124	0.162
310/3	0.809	148/4	0.668
310/5	0.327	148/6	0.972
310/7	0.454	158/1	0.860
310/11	0.101	160/1	0.870
348/2, 349/2, 359/2	0.290	161/1	0.024
367	0.223	162/2	0.182
381/3	0.608	163	0.049
215/2	0.243	164	0.053
218/2	0.364	165/2	0.539
218/6	0.531	166	0.024
222/12	0.534	167	0.024
407/4	0.546	168/1	0.316
407/7	0.405	210/8	0.206
407/9	0.789	211/3	0.016
151/3	0.303	212/1	0.041
173	0.401	221/1	0.113
183/1	0.700	222/4	0.576
184	0.979	222/3	0.077
188	0.073	224/1	0.413
189/2	0.384	228/1	0.324
185	0.235	388/1	0.429
190	0.344	221/6	0.153
144/2	1.497	405/2	0.437
139/2	0.688	236	1.347
144/1	1.829	384/3	0.714
210/5	0.405	215/3	0.243
211/2	0.016	218/3	0.303
212/2	0.081	218/5	0.465

(1)	(2)	(1)	(2)
218/9	0.113	52/1	0.455
222/1 क	0.486	52/3	0.455
407/2	0.263	50/2	0.158
407/3	0.546	51/2	0.424
407/10	0.789	53/1	0.226
216/1	0.364	53/3	0.230
217/1	0.381	61	1.437
356/1	0.768	62/1	0.303
408/1	0.445	62/2	0.319
135/1	0.202	62/3	0.304
396	3.411	63/2	0.388
122/5	1.275	144/8	0.579
122/7	0.809	204/5	0.223
10	0.166	206/3	0.275
11	1.214	207/3	0.211
12/2	0.040	210/7	0.166
14	1.558	310/2	0.344
32	0.020	310/4	0.931
33	2.158	310/6	0.327
74/5	1.011	310/10	0.101
74/9	0.268	362	0.275
74/7	0.162	145/2	0.716
36	1.861	234/1	1.214
37	0.304	234/15	0.040
216/2	0.369	235/7	0.409
217/2	0.372	377/3	0.344
356/2	0.765	417/2	0.368
408/2	0.449	417/5	0.121
118	0.785	418/4	0.413
123	0.162	383/1	0.409
148/7	1.359	383/3	0.727
158/2	0.635	391/2	0.493
158/5	0.153	391/3	0.417
161/2	0.320	395/2	1.780
162/1	0.162	234/3	1.400
165/1	0.101	215/4	0.121
42	0.555	218/1	0.283
44/1	0.110	218/4	0.445
44/2	0.109	218/8	0.122
46/1	0.149	218/10	0.113
47/1	0.210	222/13	0.417
47/2	0.211	407/1	0.526
48/1	0.300	407/5	0.587
48/2	0.299	407/8	0.951
49/2	0.199	235/3	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
96	0.615	237/1	0.136
101	0.312	237/3	0.053
100	1.380	237/9	0.153
102	0.409	392/4	0.186
103	0.551	229/4	0.227
104	0.352	227/1	0.231
107	0.462	227/2	0.231
139/1	0.915	229/1	0.203
204/2	0.111	229/6	1.079
204/7	0.020	229/9, 230/9	1.161
205/1	0.035	117	0.648
206/2	0.138	151/2	0.291
207/2	0.106	152	1.210
210/6	0.083	383/4	0.405
222/6	0.210		
310/1	0.150		
310/14	0.110		
310/15	0.126	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
310/17	0.233		
310/18	0.207		
348/1	0.002		
349/1	0.002		
359/1	0.186	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
193	1.392		
237/2	0.097		
370/2	0.402		
381/2	0.429		
54/3	0.283	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
55/1	0.271		
59/3	0.090		
59/5	0.271		
59/7	0.023		
59/9	0.207		
74/1	0.083	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
74/17	0.182		
300/1	0.206		
300/2	0.080		
301/3	0.306		
306	0.095		
307	0.280		
308	0.450		
144/9	0.405		
384/4	0.405		

कुल : 317.799

क्र. 1361-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—बिल्वा, प. ह. नं.-31,

ब. नं.-391, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—32.572 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

3/1

0.311

3/2

0.308

3/3

0.405

4/3

0.069

4/1

0.473

1

1.388

4/2

0.530

5

1.064

6/1

0.972

6/2

0.809

6/4

0.105

6/3

0.704

7/1

1.145

11/2

1.517

17/1

0.075

7/2

1.145

11/1

1.518

17/2

0.050

157/1

0.200

12

5.716

13

0.567

20

3.400

19

0.800

14

1.189

57/1

0.777

58/2

1.481

58/3

1.481

57/2

0.697

(1)

(2)

58/4

1.482

58/1

1.482

16

0.264

60/1

0.024

8/1

0.050

8/2

0.050

7/3

0.324

कुल : 32.572

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 1362-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—राजाखोह, प. ह. नं.-27,

ब. नं.-503, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—31.266 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		(1)	(2)
प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
		455/1	0.162
		455/5	0.202
		456	0.239
		455/2	0.324
		455/3	0.170
239/1	0.462	458/1	0.210
239/2	0.410	459/1	0.150
241/1	0.500	458/2	0.110
241/2	0.520	459/2	0.230
363	0.352	465/1	0.140
383/4	0.284	465/2	0.284
383/1	0.080	465/3	0.010
384/1	0.100	468	0.142
383/2	0.405	469	0.594
384/2	0.080	484/1	0.617
385/1	0.295	484/2	0.259
383/3	0.500	486	0.140
383/5	0.284	492/2	0.446
385/2	0.296	485	0.210
395/5	0.081	493	1.574
397/1	0.060	494	0.607
397/2	0.218	492/1	0.790
401/1	0.963	492/5	0.020
401/3	0.121	496	0.547
403/1	0.121	492/3	0.100
401/2	0.429	497/1	0.348
402/1	0.162	497/3	0.331
396/5	0.202	497/5	0.129
401/4	0.202	498/1	0.024
403/2	0.850	497/2	0.197
403/3	0.405	502/3	0.726
401/5	0.429	502/7	0.258
402/2	0.162	502/10	0.162
396/6	0.404	502/12	0.160
404/1	1.032	497/4	0.117
404/2	0.950	498/4	0.050
405/1	0.053	502/5	0.465
406/1	0.326	497/6	0.119
407/1	0.740	397/3	0.170
405/2	0.052	502/6	0.607
406/2	0.326	498/3	0.020
407/2	0.640	502/1	0.368
453/1	0.202	502/2	0.214
453/2	0.639	502/4	0.325
453/3	0.525	502/8	0.648

(1)	(2)	(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—246.728 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
			(1)	(2)
502/11	0.620		2	0.405
503	0.340		3/1	0.262
464/1	0.061		5/2	0.453
483	0.430		38	0.142
411/3	0.284		39/1	0.354
454/3	0.090		42/1	1.780
454/1	0.090		42/3	0.703
237/1	0.405		44	0.093
502/13	0.369		45	1.351
	योग : 31.266		47/2	0.285
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।			51	0.785
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।			114/3	0.709
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्रि, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।			179/1	0.439
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।			180	0.243
			4	1.733
			6	0.109
			202	0.198
			203	0.186
			206	0.198
			207	0.409
			208	1.510
			5/1	0.364
			3/2	0.256
			39/2	0.306
			41	0.182
			42/2	3.603
			47/1	0.241
			114/2	0.708
			179/2	0.346
			7	0.478
			8/2	0.405
			8/1	0.259
			9	0.983
			114/1	1.416
(1) भूमि का वर्णन—			10	0.065
(क) जिला—छिन्दवाड़ा			16	0.498
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा			11	0.089
(ग) नगर/ग्राम—ककई, प. ह. नं.-32,			12/1	0.190
ब. नं.-36, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1			18	0.316
			21/1	0.417

(1)	(2)	(1)	(2)
155/1	0.587	56	6.131
229/2	0.304	57/1	0.554
12/2	0.280	58/2	0.765
21/2	0.416	60/1	0.740
194/2	0.688	57/2	0.745
13	0.401	58/1	0.765
23	1.048	59/2	1.250
24	0.267	59/1	0.231
26	0.235	60/2	0.741
14	0.558	130/1	2.542
15	0.045	135	4.063
22	0.922	342	0.817
25	0.287	343	1.084
28	0.219	344	1.825
17	0.093	57/3	0.186
27	0.202	62/1	0.182
32	0.032	65/3	0.546
194/1	0.769	70/2	0.264
229/1	0.308	107/1	0.659
19	0.587	62/2	0.223
20	0.259	65/2	0.546
49	0.445	70/3	0.271
29/1	0.429	124	0.781
34/1	0.214	62/3	0.813
36/1	0.122	65/1	0.809
78	0.421	70/1	0.263
79	0.562	107/2	0.659
34/3	0.215	66	2.728
36/2	0.121	69	1.388
77	0.453	67	0.372
34/2	0.223	68	0.210
35	0.304	71	0.340
37	0.364	73	0.833
46/1	0.332	72/1	0.466
50/1	0.452	75/1	0.243
43	0.053	105/1	0.397
46/2	0.627	105/3	0.401
50/2	0.567	72/2	0.582
54	0.380	75/2	0.308
46/3	0.328	74	0.263
48	0.190	76	1.121
52	1.214	80	1.781
53	0.405	81/1-2	1.806
55	0.445	352	0.425
		82/1	0.975

(1)	(2)	(1)	(2)
348	0.332	106	1.514
82/2	1.271	108	1.311
83/1	1.846	109	1.619
83/2	1.845	110	0.190
84	0.377	111/1	1.222
86	0.348	112/2	0.688
88/3	0.486	115	0.243
88/4	0.850	120	1.578
335/3	0.028	116	0.284
87	1.250	118	1.157
88/1	0.081	117	0.988
89/1	1.416	126	0.660
91/2	0.502	177	2.076
88/2	1.011	119/1	0.413
89/2	0.446	119/2	0.500
90/1	0.809	121/2	0.768
90/2	1.052	121/1	0.774
91/1	0.761	122	5.468
91/3	0.494	123/1	1.137
335/2	0.025	123/2	1.137
336/1	0.213	125	0.781
91/4	0.526	127	0.660
91/5	0.760	131/1	0.405
93	1.400	131/3	0.405
94	1.360	133/2	1.214
95/1	0.740	130/2	1.983
95/2	0.741	131/2	0.809
97	0.441	133/1	0.931
100/1	0.695	150	0.845
98	0.340	132/2	0.283
99	0.316	134/1	0.040
128	0.781	146/1	0.053
129	1.772	146/2	0.052
100/2	0.697	158/1	0.211
138	0.494	158/2	0.210
101	2.071	163/1	0.162
102	0.850	163/2	0.162
103	0.474	162/2	0.862
104	0.470	168/1	0.275
105/2	0.397	168/2	0.275
105/4	0.396	169/1	0.020
337/1	0.284	169/2	0.020
338/1	1.985	170/1	0.243
338/2	1.254	170/2	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
188/1	0.126	166/3	0.311
188/2	0.125	189	0.632
191/1	0.303	201/1	0.324
191/2	0.304	204/3	0.449
139	0.120	153	0.555
152	0.328	161	2.112
165	0.356	162/1	0.809
137/1	0.251	162/4	1.259
137/2	0.251	175	0.938
145/1	0.174	162/3	0.809
154/2	0.207	132/1	1.255
172/3	0.688	162/5	0.405
172/6	0.278	156/1	0.405
173/3	0.032	166/1	0.303
186/2	0.121	204/1	0.769
186/6	0.567	167	2.456
145/2	0.174	178	1.736
154/1	0.202	174	2.221
172/1	0.648	181/1	0.892
172/4	0.299	181/2	0.892
173/1	0.097	193	3.120
186/1	0.161	195	1.302
186/5	0.567	198	0.737
154/3	0.202	196	0.405
172/2	0.631	197	0.497
172/5	0.241	199	0.401
173/2	0.080	200	0.497
186/3	0.121	209	1.056
186/4	0.640	211	0.239
147	0.105	212	0.198
157	0.202	213	0.251
159	0.389	227	0.910
164	0.332	228	1.125
171	0.486	223/1	0.122
187	0.291	223/3	1.335
190	0.445	225	0.817
149	0.413	226	0.709
156/2	0.444	345	0.494
166/2	0.325	346	0.923
201/2	0.162	347	0.833
204/2	0.526	349/1	4.623
151	0.352	349/2	4.624
156/3	0.405	350	1.283
160	0.328	353	1.348

(1)	(2)
356/1	1.931
356/2	0.485
357	1.214
358/1	0.643
385/2	0.644
358/3	0.004
359/1	0.049
359/3	0.777
359/4	0.809
359/2	1.634
360/1	1.121
360/2	1.489
367/1	1.073
367/5	1.335
367/3	0.141
367/6	1.093
367/4	0.809
367/2	0.405
29/2	0.144
31/1	0.036
30/3	1.590
113/1	0.805
30/2	0.288
31/2	0.040
113/2	0.005
29/3	0.285
30/1	0.935
31/3	0.041
111/2	0.599
112/1	0.373
113/3	1.614
337/2	0.061
338/3	1.254
338/4	1.254
338/5	1.254
336	2.117
230	0.649
351	1.659
155/2	0.587
63	0.412
100/3	0.696
योग : 246.728	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यववर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यववर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यववर्तन, कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1364-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—कलकोटी, प. ह. नं.-02,
ब. नं.-119, रा. नि. मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—72.682 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.340
5	0.692
11	0.158
15	0.146

(1)	(2)	(1)	(2)
17	0.097	10	1.088
18	0.125	14	0.494
19	0.129	23	0.105
21	0.121	30	0.073
26	0.304	36/4	0.070
27	0.028	32/1	0.109
28	0.210	35/1-2-3, 36/2	2.812
31	0.141	84/4	0.930
4	0.271	38	0.785
6/2	0.324	217, 218	0.040
16/1	0.206	224	1.870
24	0.032	58/1	0.518
25/1	0.081	59/1	0.134
20	0.175	61	1.497
32/2	0.109	58/2	0.554
6/1	0.324	59/2	0.138
12	0.320	60/1, 70/1	0.922
13/2	0.231	202/2, 203/2, 204/2,	0.340
16/2	0.142	205/2, 227/3	
22	0.077	227/1ख	0.611
25/2	0.129	227/2क	0.210
7	0.833	239/4, 240/1	0.081
9/1	0.376	67/1	0.202
37/1	0.308	68/1	0.745
44/1	0.813	82/2	1.011
225/1	1.267	60/2, 70/2	0.182
226/1	0.206	71	0.210
222/1-2ग	0.895	72	0.688
6/3	0.004	202/1, 203/1, 204/1	2.100
8	0.603	205/1, 227/2घ	
41/1	0.121	227/1क	0.709
42/1	0.352	227/1घ	0.356
43/2	0.199	73/1	0.866
222/1-2क	1.520	77	4.881
223/1	0.460	83	0.146
214/1	0.040	88/2, 90/3	2.542
37/2	0.711	73/2	1.368
47	0.729	76/1-2	0.652
41/2	0.320	73/3	0.202
42/2	0.724	82/1	0.809
43/3	0.020	74/2	0.040
223/2	0.543	80/2	0.607
9/2	0.777	85/2	0.057
39	0.283	85/4	0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
95/2	0.324	227/1ज	0.356
354/2	0.049	214/4	0.575
78	0.223	215/3	0.028
79	1.396	225/2	1.173
86	1.323	226/2	0.154
227/2ख	0.906	229/3, 230/2, 231/2, 234/3	1.511
95/3	0.923	229/2, 230/2, 231/2, 234/2	0.495
197/2	0.243	233	0.189
200/1	0.465		योग : 72.682
200/2	0.607		
42/2	0.368	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.	
220	0.227		
221	0.312	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	
222/1-2ख	1.968		
80/1	1.473		
85/3	0.251	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधान संभाग क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
95/1	0.125		
354/1	0.077		
85/5	0.263		
88/1	0.930	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध, उप संभाग क्रमांक-2, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	
90/2	0.259		
91	0.530		
95/4, 354/11	0.210		
84/2-3	0.202		
85/1	0.218		
87	0.352		
114/1ख	0.105		
114/1घ	0.510		
114/2क	1.400		
114/2ख	0.219		
197/4, 198	0.300		
202/3	0.195		
227/2ग	0.676		
228/2	0.065		
202/4, 203/4, 204/4,	0.202		
205/4, 227/5			
206/1	0.080		
227/1ग	0.357		
227/1च	0.356		
202/5, 203/3, 204/3,	0.244		
205/3, 227/4			
227/1छ	0.356		

क्र. 1365-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—जमुनिया, प. ह. नं.-28, ब. नं.-191, रा. नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1	(1)	(2)
	378/4	0.100
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—36.761 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	379/1	0.235
	380/1	0.668
	382/1	1.064
प्रस्तावित खसरा नंबर	386/1	0.016
	379/2	0.120
(1)	379/3	0.566
	380/2	0.664
287/2	382/2	1.068
294/1	386/2	0.016
294/2	387	1.502
295	415	0.405
296	416/1	0.250
299/3	416/2	0.861
299/6	416/3	0.201
299/7	418	0.120
302/1	419	0.040
302/2	424/1	0.647
302/3	424/3	0.100
303/1	425/1	0.223
303/2	425/2	0.202
305	426/1-2	2.060
306	427	2.023
307	429/1, 429/2, 429/3	2.023
308	430	1.959
330		
333		योग : 36.761
375/2		
331/4		
332/2		
375/4		
332/1		
334/3		
334/4		
375/1		
377/2		
374		
377/1		
375/3		
376		
377/3		
378/2		
378/5		
388		
378/6		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधान संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक-1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1366-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—अमरवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—महेन्द्रवाड़ा, प. ह. नं. 40, ब. नं. 226
 रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-2.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —02.138 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/2	0.200
8/1	0.200
5/1,5/2	0.230
5/3,6, 8/3	0.760
3	0.384
13/2	0.075
24	0.049
29,30	0.040
26	0.050
31	0.150
योग . .	02.138

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1367-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—अमरवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—खकराचौरई, प. ह. नं. 40, ब. नं. 94,
 रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा-2.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —06.550 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
659, 660, 661	0.405
758/1	0.400
758/2	0.200
790/2	0.370
793/2, 794, 795/2	0.050
790/3	0.075
799	0.480
798	1.501
801,802, 803	3.069
योग . .	06.550

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(1) 23/2 26/1 4	(2) 0.586 1.744 1.092
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	7/1 55/7 5/1 5/2 5/3 5/4	0.756 0.137 0.477 0.251 0.243 0.235
क्र. 1368-प्रस्तु-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	29/3 30/1 6 7/2 54 55/8 11 13 17 18 21 23/1 23/4 56/2 56/3 56/7 212 229/1 229/2 231/2 236/2 237/2 232/2 234/2 235 238/1 239/2 240/2 241/3 243/1 23/3 23/5 23/7 23/9 56/1	0.303 0.405 0.275 0.757 1.367 0.138 0.121 0.121 2.388 1.619 1.672 0.670 0.151 0.243 0.243 0.142 0.324 0.219 0.182 0.122 0.020 0.101 0.202 0.202 0.085 0.202 0.166 0.188 0.263 0.125 0.300 0.668 0.171 0.283 0.261
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा		
(ग) नगर/ग्राम—जम्होड़ी पण्डा, प. ह. नं. 31, ब. नं. 186, रा. नि. मंडल—छिन्दवाड़ा-1.		
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —275.049 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
2/1	0.530	
2/2	0.263	
8	0.065	
10	0.121	
16	0.607	
20	1.862	
44	1.052	
176	0.324	
178/1	0.721	
3	1.060	
9	1.094	
12	0.049	
14	0.619	
15	0.769	
22	2.186	

(1)	(2)	(1)	(2)
56/4	0.243	428/12	0.258
56/6	0.164	154/460/9	0.187
207	0.283	100/3	0.797
230/2	0.243	154/8	0.700
231/1	0.121	296/6	0.291
236/1	0.020	26/3	0.405
237/1	0.121	78/2	0.211
238/3	0.288	151	0.711
239/1	0.142	154/7	0.700
243/3	0.141	190/2	0.466
23/6	0.672	149/4	0.324
23/8	0.202	181/1	0.647
27	0.789	195/1	0.496
56/5	0.162	296/5	0.243
213	0.324	425/1	0.134
231/3	0.081	428/3	0.272
232/1	0.203	428/1	0.056
234/1	0.214	428/5	0.258
236/3	0.045	154/460/3	0.809
237/3	0.158	154/460/4	0.372
238/2	0.243	77	0.304
240/1	0.180	28	0.497
243/2	0.126	29/2	0.498
24/1	0.356	30/2	0.090
24/2	0.170	29/1	0.441
25/1	0.036	30/4	0.085
58/2	0.547	30/3	1.112
90/1	0.594	439	1.239
58/1	0.202	32	0.591
25/2	0.207	172	3.299
58/1	0.546	173	0.648
90/2	0.595	33	0.587
26/2	0.405	34	1.121
78/1	1.043	76/2	0.939
78/3	0.515	102/1	1.109
149/2	0.324	35	0.368
190/1	0.465	36	0.194
195/2	0.496	37	0.490
152	0.028	38	1.161
153	0.798	40	1.193
296/2	0.113	75	1.072
296/8	0.243	39/1	0.242
428/10	0.057	39/2	0.381
428/11	0.273	39/4	0.797

(1)	(2)	(1)	(2)
39/3	0.219	165	0.765
76/1	0.296	61	0.700
262	1.133	62	0.283
263	0.539	65	0.227
41/1	0.741	66	0.121
42/1	0.696	67	0.089
41/2	0.740	68	0.210
42/2	0.692	127/1	0.243
104/1	1.461	129	0.497
43/1	0.113	130	0.223
55/2	0.618	131	0.121
55/4	1.206	132	0.112
43/2	0.093	134/2	1.170
55/1	0.656	136	0.057
55/6	0.906	166	0.773
96/3	0.802	209/2	0.028
45/1	1.384	210/1	0.040
47	0.020	69	1.299
48	0.032	70/1	0.093
49	1.724	70/5	0.073
141/2	0.054	70/7	0.182
45/2	1.384	209/1	0.380
50	1.554	219/1	0.045
51	0.028	219/4	0.304
46	2.776	220/2	0.210
52	2.359	241/2	0.275
55/3	0.806	70/2	0.089
96/1	0.897	70/4	0.077
55/5	0.405	209/3	0.061
57/1	0.867	219/2	0.048
57/2	0.607	219/3	0.381
233/1	0.121	220/1	0.230
233/2	0.283	70/3	0.178
59	0.445	70/6	0.546
60	0.452	241/1	0.546
63	0.458	70/8	0.203
64	0.295	72/1	0.486
128	0.428	72/4	0.567
134/1	1.081	97/3	0.417
133	0.914	72/2	0.518
135	0.206	72/5	0.485
161	0.081	73/1	0.127
162	0.065	97/2	0.409
163	0.061	72/3	0.518

(1)	(2)	(1)	(2)
72/6	0.465	110	0.065
73/2	0.152	108	0.849
97/1	0.409	109	0.016
74	2.468	112/2	0.085
76/3	0.020	116/2	0.081
154/1, 154/3	0.810	119/2	0.081
79	2.108	144	0.210
82	1.173	147/2	0.247
83	1.214	302/1, 302/2, 302/3	0.425
155	1.659	302/5, 304/1	0.251
156	0.963	85/1	1.160
80	0.729	89/1	0.070
81	0.947	91/1	0.907
84/1	0.809	111/1	0.101
92	0.482	117/1	0.725
93/1	0.194	146/1	0.215
93/2	0.040	149/1	0.397
105	0.959	150	0.890
106	0.813	85/2	0.386
112/1	0.150	89/2	0.023
112/3	0.137	91/2	0.303
115	0.384	111/2	0.033
116/1	0.081	117/2	0.242
284	0.061	146/2	0.072
298	1.356	149/3	0.132
301/1	0.866	86	0.886
302/4	0.558	138	0.081
302/6	0.291	139	1.874
303	0.089	140	1.271
304/2	0.057	87	1.829
304/3	0.032	113	0.304
84/2	0.415	114	0.781
123	0.065	88	0.348
124	0.231	93/3	0.608
216	1.080	94/1	0.445
222	0.632	94/3	0.707
223	0.445	94/2	0.708
224	0.510	94/4	0.445
225	0.551	95	0.859
226	0.368	96/2	0.486
302/7	1.117	98	2.278
302/8, 304/4	0.089	99/1	0.863
84/3	0.415	99/2	0.696
107	1.032	100/1	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
154/4	0.688	100/5	0.223
296/3	0.121	154/2	0.688
296/8	0.128	296/7	0.254
460/154/2	0.263	428/7	0.162
460/154/6	0.365	428/8	0.081
425/2	0.129	460/154/1	0.435
428/2	0.174	460/154/8	0.304
428/4	0.503	154/6	0.072
100/2	0.113	157/1	0.325
101/2	0.405	168/2	0.421
101/4	0.445	168/3	0.490
431/2	0.790	169/1	0.184
100/4	0.215	157/2	0.381
154/5	0.688	157/3	0.352
296/4	0.121	157/4	0.284
296/9	0.128	157/5	0.246
428/6	0.081	158/1	0.668
460/154/5	0.365	191/1	0.041
460/154/7	0.242	158/2	0.670
428/9	0.162	159/1	0.144
101/1	0.405	159/4	0.263
101/5	0.331	159/6	0.263
431/1	0.789	159/8	0.142
101/3	0.405	159/2	0.144
101/6	0.331	159/3	0.263
431/3	0.790	159/5	0.263
431/4	0.202	159/7	0.141
102/2	0.381	164	0.049
103/1	0.809	167/1	0.202
103/2	0.405	167/4	0.526
103/3	0.405	170/1	0.178
104/2	0.324	171/2	0.749
118	0.053	171/4	0.470
119/1	0.931	183/2	0.854
141/1	0.777	189/1	0.809
120	1.295	189/3	0.704
122	0.210	167/2	0.186
125	0.450	167/3	0.527
126	0.640	170/2	0.186
127/2	0.732	171/1	0.638
141/3	0.715	171/3	0.474
147/1	0.081	183/1	0.846
148/1	0.861	189/2	1.264
148/2	1.255	168/1	0.352

(1)	(2)	(1)	(2)
168/4	0.474	221/2	0.121
169/2	0.184	260/2	0.304
175	0.328	261/2	0.345
174	0.283	260/4	0.202
177/1	0.849	261/1	0.364
179/1	0.282	199/2	0.647
177/2	0.405	203/2	0.094
179/2	0.405	203/4	0.461
182/9	1.231	221/1	0.121
178/2	0.405	201/1	1.011
205/1	1.332	201/2	0.809
179/3	0.405	201/3	1.024
205/2	1.331	204/1	1.048
180/1	0.364	299/1	0.704
180/2	0.405	204/2	1.053
182/1	0.121	299/2	0.704
182/4	0.971	209/4	0.162
181/2	0.397	210/2	0.121
181/3	0.169	211	0.624
182/2	0.141	217	0.081
182/5	0.433	218	0.251
182/3	0.121	214	1.757
182/6	0.445	228/1	0.618
182/8	1.235	215	0.424
182/7	1.839	221/3	0.086
184/1	0.486	227	0.903
185/1	0.859	228/2	0.405
185/3	0.130	230/1	0.413
184/2	0.752	238/4	0.101
185/2	0.535	244/1	0.320
185/4	0.132	245/1	0.040
186	0.045	247	0.089
191/2	1.011	251/1	0.324
191/3	0.991	254/1	0.142
191/4	0.020	281/1	0.405
192	0.105	281/3	0.849
202	1.326	289/1	0.040
193	0.914	244/2	0.081
194	0.320	245/2	0.405
198	0.462	251/2	0.182
199/1	0.421	254/2	0.142
203/1	0.210	281/2	0.607
203/3	0.226	281/4	0.660
203/5	0.340	289/2	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
246	0.073	290/2	0.089
249	0.562	265/2	0.445
253	0.053	266/2	0.275
280/1	1.254	279/2	0.312
248	0.155	288	0.243
250/2	0.607	269/2	0.213
258/2	0.364	269/4	0.212
260/3	0.251	285/5	0.048
261/3	0.514	286/3, 286/4	0.162
266/4	0.162	292/2	0.234
268/2	0.251	292/4	0.048
270/1	0.495	269/3	0.223
282/2	0.420	285/3	0.081
250/1	0.469	286/1	0.065
256	0.032	286/6	0.162
257/1	0.295	290/3	0.223
257/2	0.163	291	0.142
258/1	0.324	292/1	0.162
258/3	0.073	297/4	0.251
260/1	0.316	272	0.486
265/1	0.081	274	0.085
266/1	0.138	275/1	0.182
266/3	0.121	275/2	0.162
266/5	0.121	276/1	0.222
267	0.162	276/2	0.222
268/1	0.202	277/1	0.170
269/1	0.314	278/2	0.113
270/2	0.393	278/7	0.020
271	0.526	283/1	0.295
273	0.486	283/2	0.300
277/2	0.154	285/4	0.073
277/3	0.393	286/2	0.065
278/1	0.089	286/5	0.048
278/3	0.081	292/3	0.321
278/4	0.081	293/1	0.501
278/5	0.024	294/1	0.190
278/6	0.020	295/1	0.789
279/1	0.129	293/2	0.709
280/2	0.445	294/2	0.008
282/1	0.486	295/2	0.251
282/3	0.364	293/3	0.283
285/1	0.202	301/2	0.854
285/2	0.202	301/3	0.234
290/1	0.162	301/4	0.344

(1)	(2)
301/5	0.405
301/6	0.324
296/1	0.405
297/2	0.121
297/1	1.202
300	1.388
363	0.682
206	0.328

योग . . 275.049

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्र, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1369-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई

- (ग) नगर/ग्राम—बारहबरयारी प. ह. नं. 08, ब. नं. 203, रा. नि. मंडल-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —532.200 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
48/1	0.538
52/1	0.215
382	0.065
21/3	0.042
407	0.040
409	0.032
21/2	0.490
335/2	0.121
547	0.100
548/1	0.153
566/1	0.307
567/1	0.587
568/1	0.567
570/1	0.473
584/1	0.049
585/1, 586/1	0.218
21/1	0.807
138	0.348
180	0.636
181/3	0.263
183	1.522
403/1	0.024
404/1	0.008
403/2	0.020
23/7	0.235
28/2	0.600
445/1, 446/1	0.040
17/3, 18/2	0.365
381/1	0.054
381/2	0.027
22/2, 44/1, 46/6, 47/2	0.843
46/3	0.809
50	0.146
52/2	0.081
76/1	0.664
413/1	0.008
451/2	0.283
451/5	0.160

(1)	(2)	(1)	(2)
22/3	0.073	444/3	0.035
46/7	1.071	23/6	0.206
47/1	0.243	36, 37/1, 37/2, 38/1-2	0.326
46/2	1.497	432	0.061
46/5	0.930	443/1	0.040
48/2	0.664	443/2	0.040
76/2, 77/2	1.567	445/3-4, 446/3-4	0.072
437	0.125	26/2	0.941
451/1	0.486	65/1क	0.304
451/3	0.526	65/1ख	0.304
451/4	1.003	65/2	0.263
452/2	0.081	65/3	0.263
22/4, 44/2, 46/2क, 47/3	0.837	64/4क	0.178
42/2, 80/2	0.637	65/4ख	0.138
46/8	1.011	65/4ग	0.121
76/3, 77/3	0.849	65/4घ	0.134
80/3	0.890	184/4	0.785
90/1	0.004	42/1, 80/1, 81	1.440
222/2	0.303	43, 46/4	1.310
413/2	0.008	46/1	1.983
440	0.036	321/9, 360/1	1.809
441	0.125	335/1	0.040
451/6	0.247	411	0.065
613	0.073	48/3	0.668
614	0.028	90/3	0.032
615	0.190	608	0.093
625	0.263	617	0.162
452/1	0.077	618	1.672
22/5, 44/3,	0.618	612/1	0.092
46/10, 47/4		76/4, 77/4	0.668
46/9	0.365	187/2	0.645
23/1	0.118	219/1, 220/1	1.898
444/1	0.069	222/3	0.303
23/2	0.587	413/3	0.008
23/3	0.361	448	0.101
26/1	1.052	449	0.016
23/4, 24/1	0.787	450	0.006
28/1, 29	0.060	451/7	0.324
444/2	0.034	451/8	0.155
445/2, 446/2	0.036	51/3	1.615
23/5	0.162	51/5	0.300
24/2, 25	0.625	177, 178/2	1.120
28/3,	0.525	271/2	0.421
34	0.170	287/5-6	1.165

(1)	(2)	(1)	(2)
292/2	0.169	70/7	0.405
321/8	0.551	75/1	0.113
365	0.049	70/8	0.028
454/7	0.231	396/1	0.028
454/6	0.466	71/2	0.040
456/4	0.632	71/3	0.040
691/3	0.195	398/1	0.028
707/3	1.028	398/2	0.024
56/4	0.043	429/1	0.016
140/1, 182/1	0.663	429/2	0.020
140/2, 182/2	1.150	72/1	0.085
410	0.024	136/1	0.366
57/1	0.997	171/2	0.081
66/2	0.121	172/2	0.243
67/2	0.634	72/3	0.085
135/4	0.844	136/6	0.367
135/3	0.844	417/1	0.012
135/5	0.844	418	0.008
135/1-2	0.843	72/4	0.085
59, 60/1, 61	2.860	136/5	0.220
62/1, 63/1		136/7	0.366
60/2, 62/2, 63/2	0.270	73	0.486
60/3, 62/3, 63/3	0.630	137/2	2.306
60/4, 63/4	0.260	416/2	0.028
66/1	0.251	187/1	0.652
67/1	1.268	287/1	0.729
70/5	0.405	324/1	0.987
70/6	0.243	332/1	1.133
69/1	0.129	333/1	2.626
70/2	0.478	399/1	0.077
69/2	0.070	414	0.045
70/3	2.854	78	0.219
75/2	0.243	285, 323	2.258
294/3	1.981	286	0.874
301/1	0.763	321/6	1.165
391/2	0.008	322/2	0.142
396/2	0.045	322/3	1.056
69/3, 70/9, 75/3	0.427	220/2	0.607
294/6	0.447	96, 97/1, 98, 100	2.840
301/2	0.127	422/1	0.056
70/4	1.416	97/2, 99, 125/3	2.490
294/4	0.769	422/2	0.057
295/1	0.275	89	0.384
391/4, 396/4	0.028	90/2	0.375

(1)	(2)	(1)	(2)
513	0.109	200/1	0.615
514	0.898	282	0.121
515/1, 523, 524	1.082	322/1	1.457
219/2, 220/3	0.283	457	0.024
222/4	0.101	113/2, 114/2, 509/2	0.563
612/3, 619/1, 620/1	0.673	117/2	0.836
622/1, 623/1, 624/1		372	0.053
93/1	0.060	502/2, 504/2,	0.636
105	0.700	506/2, 507/2	
106	0.445	113/3, 114/3, 509/3	0.563
111	0.429	117/3	0.836
112	0.077	502/3, 504/3,	0.636
113/1, 114/1, 509/1	0.563	506/3, 507/3	
117/1	0.836	113/4, 114/4, 509/4	0.563
389	0.032	117/4	0.836
502/1, 504/1	0.636	502/4, 504/4,	1.477
506/1, 507/1		506/4, 507/4	
35	0.100	113/5, 114/5, 509	0.559
127/1	1.011	117/5	0.837
101, 102	0.927	502/5, 504/5,	0.632
124/1	0.283	506/5, 507/5	
124/9	0.376	115	2.286
103	0.498	383	0.081
104/2	0.304	491	3.153
123	2.784	534	0.138
124/7	0.567	120/1	0.344
125/2	0.053	120/2	0.356
420/3	0.036	121	0.441
104/1	0.324	122	0.575
124/3	0.219	384/1	0.052
124/6	0.971	384/2	0.049
124/10	1.352		
420/1	0.040		
107, 108, 109	0.069		
181/2	0.324		

(1)	(2)	(1)	(2)
498/3	1.133	206	0.089
500	0.789	400/1	0.024
501	0.328	159/2	0.247
503/1	0.324	168	0.821
503/2	0.360	169/1	0.162
124/4	1.335	170/1	0.259
126/2	2.428	192/4	0.567
127/2	2.395	192/5	1.335
129/1	1.254	202/3	0.121
129/2	1.153	198	0.117
176/1	0.725	200/2	0.081
281/1	0.152	201/1	0.170
184/1	0.232	400/3	0.045
184/7	0.233	158, 159/1	0.610
199/1	0.163	161	0.150
268/1	0.260	162	0.202
269/1	0.085	163/1	0.178
271/1	0.101	163/2	0.279
283/2	0.229	164	1.384
288/1	0.383	165/1	0.162
292/1	0.733	166/1	0.049
439/1	0.056	167/1	0.162
456/5	0.162	169/2	0.041
463/2	0.202	170/2	0.178
691/1	0.243	165/2	0.089
707/1	0.337	166/2	0.190
129/3	1.133	167/2	0.142
130/1	2.477	192/2	0.810
132	0.162	176/2, 176/6	2.148
184/3	0.793	195	0.117
130/2	1.619	197	0.603
136/2	1.461	176/3	1.140
136/3	0.304	176/7	0.486
139	0.247	176/8	0.315
419/1	0.059	196/2	0.242
419/2	0.058	176/4	0.971
336	0.097	176/5	1.789
393/1	0.012	184/5	1.052
192/1	0.890	196/1	0.216
192/3	0.364	268/3	0.073
202/2	0.081	269/3	0.146
203	0.684	270	0.543
204	0.202	271/3	0.644
205	0.324	272	0.539

(1)	(2)	(1)	(2)
276	0.053	288/3	0.383
277	0.239	292/7	0.732
278	0.142	439/3	0.057
279	0.032	456/6	0.162
280	0.049	691/7	0.243
281/5	0.457	707/5	0.337
284/2	0.364	184/2	1.173
291	0.741	391/1	0.028
292/3	0.502	184/6	1.011
293	0.798	187/3	0.658
296/3	0.040	192/6	0.634
321/5	0.470	194	0.150
377	0.057	202/1	0.328
456/1	0.356	192/7	0.809
456/2	0.271	51/1	1.615
463/3	0.494	51/4	0.545
691/2	0.607	71/1	0.324
707/2	0.809	131	3.400
176/9	0.816	415	0.040
184/8	0.233	72/2	0.085
184/9	0.233	136/4	0.441
199/2	0.163	417/2	0.032
268/4	0.261	126/1	2.683
269/4	0.085	471/3	0.101
271/4	0.102	473/3	0.065
281/2	0.153	137/1	0.291
283/4	0.229	137/3	1.335
287/2	0.729	416/1	0.028
288/2	0.383	208/3	0.829
292/6	0.732	208/2	0.073
439/2	0.057	211/2	0.089
691/6	0.243	211/3	0.178
707/4	0.337	211/4	0.809
176/10	0.816	212/2	0.295
184/10	0.233	211/1	0.089
184/11	0.232	210/3-4	0.769
199/3	0.164	405/1	0.065
281/3	0.153	210/1	0.729
268/5	0.260	210/2	0.721
269/5	0.085	210/5, 210/6	0.769
271/5	0.101	212/1	0.170
283/5	0.230	212/3	0.162
283/3	0.121	485/1	0.894
284/1	0.482	213	0.214

(1)	(2)	(1)	(2)
405/2	0.061	227/8	0.190
485/2	0.894	227/10	0.237
70/1	0.809	228/1	0.445
294/2	1.538	229/2	0.024
299	0.190	228/2	0.384
391/3, 396/3	0.028	229/3	0.235
379	0.045	233/2	0.129
393/2	0.324	229/1	0.255
218	0.032	230	0.328
412	0.065	231/2	0.121
659/1	0.328	232	0.117
660	0.235	237/1	0.142
661	0.454	239/1	0.081
662	0.271	239/3	1.578
659/2	1.579	240/3	0.146
663/1	0.829	239/5	0.324
667/1	2.144	245/3	0.749
665	1.400	246	0.097
666	2.391	247	0.210
767/1	0.733	248	0.243
768	0.036	249/3	0.032
770	0.607	327	1.443
221	0.947	328	0.713
222/1	0.914	329	1.348
219/3, 220/4	0.283	338	0.105
222/5	0.101	231/3	0.036
612/4, 619/2, 620/2,	0.673	236	1.094
622/2, 623/2, 624/2		237/2	0.142
219/4, 220/5	0.283	238	0.085
222/6	0.102	239/2	1.538
619/3, 620/3, 622/3	0.673	240/1	0.490
623/3, 624/3		241/1	0.486
226	0.085	245/2	0.551
227/2	1.938	341	0.129
235	0.320	390	0.032
227/1	1.412	654/1-2	0.802
227/3	0.801	675	0.036
233/1	0.125	676	0.101
234	0.372	677	0.170
227/4	1.028	678	0.024
227/5	0.161	679	0.441
227/6	0.053	680	0.040
227/9	0.237	681/2	1.869
227/7	0.053	239/4	0.340

(1)	(2)	(1)	(2)
242, 243, 244, 245/1	2.671	256/7	1.352
240/2, 241/2	0.271	257/2	2.967
339, 340	0.251	261/3	1.457
249/2	0.069	262/3	0.405
250	0.506	268/2	0.182
255/6, 256/6	0.522	289/2, 290/2	1.028
257/7	0.683	296/4	0.121
257/8	0.914	463/4	0.445
258/3	0.380	691/5	0.198
274	0.729	269/2	0.332
326/3, 330/3, 331/3	0.729	292/4	0.454
438/5	0.057	429/3	0.024
254/1	0.486	430	0.049
255/2, 256/2	0.526	463/1	0.445
257/3	0.674	463/5	0.409
257/4	0.918	691/4	0.194
258/1	0.380	273	2.614
326/1, 330/1, 331/1	0.720	399/2	0.077
438/2	0.061	281/4	0.457
254/2	0.486	287/3	0.259
255/5, 256/5	0.526	287/4	0.283
257/6	0.676	321/3-4	0.348
258/2	0.385	289/1, 290/1	1.027
325/4	0.049	292/5	0.454
326/2, 330/2, 331/2	1.416	294/1	1.376
438/4	0.061	294/5	0.849
255/1, 256/3	1.108	295/2	0.081
255/3	0.875	297	0.012
260	1.348	298	0.166
261/1	0.619	303	0.368
262/1	0.214	304	0.364
438/3	0.182	305	0.085
255/4	0.384	306	0.413
256/1	0.534	307	3.116
481/2	1.266	311	1.882
256/4	1.348	312	0.093
257/1	0.809	313	0.093
257/5	0.809	314	0.085
261/2	1.092	315	0.077
262/2	0.849	316	1.923
265	0.664	317	1.821
266	1.991	401	0.081
267	1.068	309/2, 310/3	1.825
438/1	0.170	310/2	3.723

(1)	(2)	(1)	(2)
319	1.619	563/2	0.121
354/2	0.049	572/4	0.303
759/2, 760/2	0.835	573/4	0.681
320/1	1.392	574/4	0.202
467/2	0.405	344/1	0.086
472/2	0.101	476/3	0.041
473/2	0.069	480/1, 490/2, 492/1	2.440
320/2	1.388	694/3	0.147
355	0.049	497/2	1.035
465/1	0.841	703/1, 704/1	0.136
465/2, 467/1	0.405	705/1	0.718
469/1	0.213	706/1	0.101
427/1	0.100	709/1	0.613
739	0.190	344/2	0.100
762	0.320	476/4	0.040
763	0.344	477	0.077
764	0.364	480/2, 492/2, 490/3	2.440
766/2	0.008	497/1	1.000
321/1	2.630	705/2	0.555
321/2	0.501	706/2	0.097
321/7	0.607	709/2	0.610
456/3	0.324	345	0.206
318	1.068	346	0.129
321/10-11	0.696	653/2	1.000
321/12	1.781	685/2	0.081
360/2	0.040	347	0.142
321/13	0.004	577	1.108
321/14	0.004	610	0.376
337	0.061	658	0.142
689, 690	1.073	671/1, 673/1	2.442
342/2, 343/2	0.125	681/1	1.259
571/1, 572/2	0.486	348/1	0.085
573/2	0.680	632/2	0.769
574/2	0.210	632/5	1.133
561	0.166	634/1	0.259
342/3, 343/2	0.129	635/1	0.065
558	0.061	642/1	0.567
571/2, 572/3	0.490	785	0.206
573/3	0.680	786/1	0.809
574/3	0.206	792/1	0.299
581	0.191	793	0.384
562	0.065	789/2	0.648
324/4, 343/4	0.121	348/2	0.040
559/2, 560/2	0.546	632/3	0.647

(1)	(2)	(1)	(2)
636	0.854	750/2	0.631
634/2	0.215	361	0.024
635/2	0.081	358/1	0.040
642/2	0.518	358/2	0.049
782	0.073	363	0.065
783/1	0.409	364	0.065
794	0.308	366	0.028
348/3	0.045	367	0.028
632/4	0.688	515/2, 522	0.718
634/3	0.295	368	0.020
642/3	0.518	459/2	0.709
783/2	0.485	460	0.587
788/2	0.567	462	0.619
349/1	0.055	369	0.028
759/1, 760/1	0.835	512	0.400
349/2	0.020	515/3, 516, 517,	1.910
349/3	0.054	518, 519, 520, 521	
759/3, 760/3	0.835	370/1	0.010
350	0.072	459/1	0.275
576	0.255	370/2	0.022
591	0.356	371	0.036
592	1.207	668	1.651
600	0.190	373	0.045
602	0.085	375	0.065
351	0.049	376	0.049
469/2	0.034	378/1	0.053
473/3	0.066	378/2	0.049
352	0.073	385	0.008
471/2	0.202	386	0.020
353	0.065	387	0.016
354/1	0.049	388	0.020
356	0.040	392	0.020
473/1	0.137	394	0.020
357	0.045	552/1	0.368
359	0.077	553	0.445
461	0.951	554	0.376
464	0.449	583/1	0.413
468	0.247	395	0.032
498/1	1.445	397/1	0.032
498/2	1.518	397/2	0.040
499/1	0.662	400/2	0.065
683	0.146	400/4	0.024
684	1.044	404/2	0.016
746	0.146	406	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
408	0.045	435	0.049
643, 644	0.938	433	0.081
663/2	0.866	478/1	0.089
664	0.890	710	0.729
667/2	1.672	714	0.809
767/2, 769	0.433	711	0.299
423	0.093	713	0.474
424/1	0.018	436	0.049
732/1	0.156	57/2	0.985
733/1	0.025	442	0.117
720, 721/1	1.638	453/1	1.003
721/5, 724/1	0.483	453/2	0.225
424/2	0.009	453/4	0.225
721/3	0.545	454/1	0.445
726	0.162	533/1	0.095
727	0.146	453/3	0.452
729	0.024	454/8	0.445
730	0.615	454/4	0.234
732/2	0.156	533/2	0.255
733/2	0.024	454/5	0.809
721/7, 724/3	0.506	454/2	0.202
737	0.510	454/3	0.713
748	0.579	459/3	0.566
424/3	0.009	470	0.636
686	0.283	471/1	0.498
721/6, 724/2	0.475	682	0.429
425/1	0.020	474/1	1.704
687/1	1.258	476/2	0.202
716/1	1.159	474/2	0.458
718/1	0.063	475	0.178
722/1	0.083	478/2	0.028
425/2	0.020	479/2	1.892
687/2	1.259	494/2	
716/2	1.159	495, 496	2.234
718/2	0.062	735	0.279
722/2	0.083	736	0.910
426	0.032	478/3	0.057
427/1-2	0.053	479/3, 494/3	0.821
427/3	0.024	479/1, 494/1	2.705
486/3	0.729	481/1	0.947
486/5	0.607	482	0.125
431	0.049	483	0.194
484	2.420	655	0.652
434	0.113	656	0.142

(1)	(2)	(1)	(2)
671/3	0.647	596	1.497
672/1	0.340	597	0.231
672/2	0.340	598	1.096
673/2	0.344	603	0.053
486/1	0.906	604	0.360
486/6	0.688	605	0.045
486/2	2.347	607	0.040
486/4-7	1.335	593/2	0.809
478/1	1.230	609	0.190
487/2	1.234	611	0.413
488	0.854	670	1.032
489/1	0.688	612/2	1.466
489/2	0.890	627/1	0.069
499/2	0.661	628/1	0.364
532/2	0.202	628/2	0.121
546/3	0.275	628/3	0.854
685/3	0.405	630/1	0.154
752	0.097	633	0.081
753	0.445	632/1	0.688
548/2	0.312	632/6	0.182
564	0.291	632/7	0.607
566/2	0.312	632/8	0.053
567/2	0.590	786/2	0.567
568/2	0.566	792/2	0.243
570/2	0.474	787/1	0.202
584/2	0.045	788/1	0.235
585/2, 586/2	0.217	789/1	0.053
587	0.065	789/3	0.688
549	0.486	627/2	0.069
550	0.328	628/4	0.364
551	0.841	628/5	0.405
552/3	0.368	628/6	0.854
552/2	1.000	630/2	0.150
565	0.340	631	0.129
589	0.486	632/9	0.688
590	0.255	632/10	0.809
569	0.938	632/11	0.910
575/2	0.405	786/3	0.563
575/3	0.405	792/3	0.239
575/4	0.515	787/2	0.016
583/2	0.473	788/3	0.121
593/1	1.250	789/4	0.352
594	0.049	789/5	0.688
595	0.061	374	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
638	2.549	324/2, 332/2, 333/2	0.101
639	1.015	208/1	0.863
640	1.056	104/3	0.085
774	0.247	124/2	0.202
775	1.388	124/5	0.105
779	0.223	124/8	0.935
780	5.062	420/2	0.040
781	0.275	342/1, 343/1	0.121
795	0.125	559/1, 560/1	0.547
777	0.372	563/1	0.117
797	0.210	572/1	0.303
798	1.931	573/1	0.680
671/2	1.801	574/1	0.202
692	1.295	309/1, 310/1	1.825
703/1, 704/1	0.075	309/3, 310/4	1.826
717	0.214	380	0.045
721/2	0.607	189/1	कच्चे मकान-05
721/4	0.809		ग्राम पंचायत भवन
734	0.069		पक्का-01 शाला
741	0.328		भवन पक्के-03
742	0.101		चबूतरा पक्का-01.
743	0.680	217	कच्चे मकान-05
744	0.413		कुंआ पक्का-01.
750/1	0.583	334	कच्चे मकान-07 शाला
749	0.202		भवन कच्चा-01.
750/3	1.432	362	कच्चे मकान-66
750/4	0.716	402	कच्चे मकान-24
754	0.073	428	कच्चे मकान-34
756	0.599	447	कच्चे मकान-03
757	0.190	458	कच्चे मकान-15
765	0.721		योग . . . 532.200
51/2	1.033		
188/1	0.594		
188/5	0.349		
190/1	0.020		
188/3	0.594		
186/6	0.440		
190/2	0.020		
188/2	0.594		
188/4	0.250		
190/3	0.021		

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी कृषि भूमि का अर्जन.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन संभाग चौरई, जिला छिन्दवाड़ा में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन उपसंभाग क्रं.1 चौरई, जिला-छिंदवाड़ा में भी देखा जा सकता है।

क्र. 1370-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिंदवाड़ा
 (ख) तहसील—छिंदवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—नगझिर प.ह.नं.-27
 ब.नं.-285 रा.नि.मंडल-छिंदवाड़ा-1
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —11.980 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
98	0.180
169	1.598
99/1	0.350
101	0.283
107/2	1.878
106	0.360
108	0.348
110/1	0.050
166	0.045
167	0.681
168	0.166
182/1	1.202
182/2	0.256
183	0.066
188	0.100
189	1.396
190/1, 191/1	1.117
190/2, 191/2	1.118
107/1	0.390
110/2	0.396
योग . .	11.980

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

क्र. 1371-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिंदवाड़ा
 (ख) तहसील—अमरवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—बांदरा प.ह.नं.-42 ब.नं.-200
 रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-2
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —14.946 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
277/1	0.622
278/1	0.053
279/1	0.077
277/2	0.466
277/3	0.417

(1)	(2)	(1)	(2)
250/3	0.225	728	0.180
277/4	0.041	726/2	0.475
278/2	0.036	726/3	0.525
279/2	0.036	732	0.200
285/1	0.225	744	0.900
281/1	0.204	746	0.110
282/1	0.200	748/1, 749/1, 750/1	0.300
281/2	0.205	748/2, 749/2, 750/2	0.100
282/2	0.327		
283	0.957		योग . . 14.946
284/2	0.287	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
284/1	0.130	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
285/2	0.501	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
285/6	0.159	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
286/1	1.013		
285/3	0.348		
285/4	0.028		
285/5	0.311		
285/7	0.041		
286/3	0.220		
286/2	0.250		
250/1	0.065		
251/4, 252/19	0.480		
251/10, 252/18	0.543		
252/4	0.150		
327/13	0.041		
328	0.713		
327/4	0.121		
327/3	0.113		
327/6	0.032		
327/5	0.024		
721	0.300		
722	0.150		
329/2	0.036		
329/3	0.037		
329/4	0.037		
723/1	0.507		
723/2	0.761		
725	0.065		
727	0.190		
726/1	0.412		

क्र. 1372-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई

		(1)	(2)
(ग)	नगर/ग्राम—हिवरखेड़ी, प.ह.नं.-01, ब.नं.- 316, रा.नि.मंडल-चौरई.		
(घ)	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —110.328 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	541/1	0.330
		544/3	0.628
		541/2	0.364
प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकबा	965/2	1.165
नम्बर	(हेक्टर में)	974/1	2.586
(1)	(2)	541/3	0.888
372/4	0.510	543	0.101
369	0.060	544/1	1.031
373/2	0.541	544/2	0.931
373/3	0.340	545	0.190
374	1.300	546/2	1.910
375/1	0.526	546/1	0.567
375/2	0.664	549/1	1.360
496/4	0.482	547/2	0.748
498/2	0.040	549/2	1.786
499/2	0.409	549/3	0.649
500/2	0.332	549/8	0.121
940/1	0.484	549/9	1.342
376, 377/1	0.440	934/1	0.801
537/1, 537/2	1.986	940/2	0.093
942/2	0.101	935/1	0.232
496/3	0.360	935/2	0.232
501/4	0.045	947/3	0.230
501/3	0.324	948/2, 949/2, 950/2,	0.101
502/1, 503/3	0.150	952/2, 953/2	
536/2	0.233	954/1	0.150
536/6	0.233	957/1	0.382
496/5	0.486	956/6	0.217
496/6	0.717	935/3	0.232
498/1	0.036	936	0.789
501/1	0.745	938	0.279
499/2	0.409	937	0.757
500/1	0.081	960	0.680
536/5	0.202	939	0.745
500/3	0.085	956/1	0.331
536/3	0.202	940/3	0.013
500/4	0.166	943/3	0.344
536/4	0.405	943/1	0.607
501/2	0.421	944/1	0.308
502/2	0.077	940/4	0.433
503/2	0.069	941/1	0.279
536/1	1.279	956/2	0.850
538	0.384	941/2	0.280
537/3	2.579	956/5	0.850

(1)	(2)	(1)	(2)
		970/1	0.049
942/1	0.033	971/1	0.057
943/2	0.769	971/2	0.388
943/4	0.729	972/2	0.539
944/2	0.405	1016/3	0.040
946/1	0.809	1017/4	0.890
946/2	4.796	1017/3	0.449
955	0.222	969/4	0.121
965/3	0.486	969/5	0.243
947/1	0.230	969/6	0.101
948/4, 949/4, 950/4	0.100	969/7	0.101
952/4, 953/4		969/8	0.101
956/4	0.220	969/11	0.121
947/2	0.531	969/2	1.085
948/3, 949/3, 950/3	0.162	969/3	0.514
952/2, 953/2		972/1	0.466
948/1, 949/1, 950/1	0.410	970/2	0.081
952/1, 953/1		971/3	0.036
951	0.049	974/2	0.065
954/2	0.101	975	0.962
957/2	0.383	977	0.890
963/1	0.938	990	1.505
956/3	0.405	992	0.393
958	0.643	993/1	1.887
959	0.744	996	0.040
961/1-2	1.356	1022,1023	1.500
962/1-2	0.400	978	0.101
963/3	0.070	979/7	2.104
961/3	0.494	994/3	0.057
963/2	1.214	979/4	0.120
964	2.667	979/5	0.340
965/1	0.090	979/6	0.014
965/4	0.485	979/8	1.200
966	2.936	993/2	0.471
967/1	1.303	994/2	0.029
1019/1	1.053	991/2	0.200
1020/1	2.954	991/3	0.450
967/2	1.000	995/5, 997/5, 998/3	0.120
967/3	0.809	995/6	0.160
1019/3	0.809	995/7	0.829
1020/2	1.214	995/13	0.830
969/1	0.162	1010/1	0.870
969/9	0.101	1010/2	0.040
969/10	0.486	1011	0.922

की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—केवलारी, संभा, प.ह.नं.-2/4, ब.नं.- 32,
 रा.नि.मंडल-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —256.609
 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा प्रस्तावित क्षेत्रफल
 नम्बर (हेक्टर में)

(1) (2)

573/4, 574/4 0.284

282/2 0.259

252/1 0.057

253/1 0.052

340/3, 390/3 0.180

349/2 0.951

349/1-6घ 0.089

349/13 ख 0.050

448/2, 449/2, 450/2 0.729

458/9

448/4, 449/4, 450/4 0.535

458/11

448/6, 449/6, 450/6, 0.065

458/13

283/2, 284, 285/1 0.737

464/2 0.308

467/1 0.862

405/1-3 0.421

68/1 1.578

72/4 0.761

72/3 0.777

398/2, 399/2, 400/2 0.729

400/5 0.040

402 0.473

403/1 0.073

403/2 0.202

451/3, 452/1, 454/3 0.365

455/3, 456/3

458/4 0.061

73/7 0.324

416/2-3 0.372

451/1, 454/1, 0.547

455/1, 456/1

(1)	(2)
1012	0.607
1013	1.647
1014	1.084
1015	0.170
1017/7	0.409
1016/2	0.089
1017/2	0.979
1019/2	2.159
1021	2.657
989/1	0.180
1017/1	0.404
1017/5	0.224
1017/6	0.225
523	0.130
524	0.050
525	0.250

योग . . . 110.328

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 1373-प्रस्तु-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि

(1)	(2)	(1)	(2)
463/2	0.567	546/1-4, 547/1-4,	0.960
538	0.845	548/1-4, 549/1-4	
259	0.040	573/1, 574/1	0.405
438/1	0.237	546/5, 547/5, 548/5,	0.407
438/3	0.330	549/5	
484/3	0.227	294/4	0.028
503/1	0.624	413/3	0.991
269/3	0.812	404	0.243
511/4, 512/2	0.401	405/2	0.182
511/7, 512/4	0.401	290	0.085
397/3	0.153	256/2	0.049
520/2, 521/2	1.171	264/3	0.004
421	0.625	265/1	0.008
423	0.129	266/1-2	0.024
546/8, 547/8, 548/8	0.028	267/1	0.020
549/8		285/2	0.032
546/3, 547/3, 548/3	0.469	286/1	0.041
549/3		285/3	0.065
546/6, 547/6, 548/6	0.647	286/4	0.028
549/6		288/2	0.016
546/7, 547/7, 548/7	0.065	453/1, 455/5	0.445
549/7		268/1	0.405
282/3	0.021	60/1-2	0.607
283/1	0.040	66/2	0.234
407/1	0.049	573/3, 574/3	0.117
638/20	0.809	287	0.166
77/1, 78/1	0.083	180/2क	0.409
77/3, 78/4	0.494	248	0.016
294/3	0.004	239	0.283
418/2	0.183	397/1	0.524
569/1-2	0.179	397/2	0.371
571/1-2-3-4-5	0.267	264/5	0.020
571/7-8-9-10-11	0.729	466/1	0.230
394/5	0.012	638/4	0.333
511/8	0.405	638/13	0.282
470	0.519	638/16	0.405
69/1	0.717	638/19	0.736
77/6, 78/5	0.084	394/6, 395/4	0.048
294/6	0.004	638/23	0.918
499/1	0.154	507/1, 577/1	0.576
500	0.210	522/1	0.259
502	0.607	532	0.299
484/2	0.227	533/3	0.182
73/2-3	0.777	535/2	0.769

(1)	(2)	(1)	(2)
73/6	0.777	638/27	0.607
420/2	0.419	441/2	0.263
420/1	0.416	441/1	0.259
486/3	0.223	459/4	1.577
499/2	0.157	222	0.101
526/3	0.061	71	0.785
529/2	0.065	72/5	0.384
531/2	0.089	281/2	0.053
511/9	0.097	514/1	0.753
526/4	0.061	232	0.069
529/3	0.065	496/1	0.202
531/3	0.089	277/1	0.101
501/1-3	0.113	278/2-4	0.134
503/2	0.548	457	0.486
442/1	0.323	463/1	0.655
569/3क	0.040	340/1, 390/1	0.028
571/11क	0.383	425	0.194
571/12क	0.149	546/2, 547/2,	1.282
473	0.153	548/2, 549/2	
479	0.845	573/2, 574/2	0.401
484/1	0.458	526/5	0.061
62, 63, 64	0.057	529/4	0.065
464/1	0.308	531/4	0.089
467/2	0.866	416/4	0.251
570	0.688	451/2क, 452/3क,	
488	0.433	454/2क 455/2क,	0.141
581	0.134	456/2क, 458/7क	
524/1	0.313	394/3, 395/1	0.348
77/7	0.577	394/4, 395/3	0.215
77/8, 78/6	0.085	638/26	4.050
294/7	0.004	301/1	0.010
73/5	0.397	370	0.858
392/3	0.158	373/3	0.093
446/2	0.521	374	0.354
280/1	0.162	378/2	0.287
282/1	0.295	380	0.372
282/4	0.040	401	0.045
272	0.372	419	0.943
525	0.069	422	0.486
526/1	0.230	458/2	0.049
529/5	0.060	513/1	0.205
531/5	0.085	396/2	0.405
260/1	0.024	630	0.121
72/1	0.856	631	0.142
		637/4	0.085

(1)	(2)	(1)	(2)
638/21	0.607	575	0.966
638/28	1.142	179/1क	0.433
250	0.030	180/4ख	0.324
347/4	0.235	180/6-7-8	1.056
348/4	0.227	180/5	0.607
394/1	0.526	638/25	2.425
411/3	0.328	518/2	0.405
458/3	0.053	181/1	0.069
61, 65/2, 66/2	0.766	181/2	0.146
67	0.490	181/4	0.013
83, 84	1.760	234	0.069
86, 87	1.986	271, 274/1, 275/1	0.822
55/2	0.850	274/2	0.271
387	0.235	338/1ख	0.142
392/1	0.162	338/2ख	0.214
403/3	0.130	338/3ख	1.647
424/1	0.284	339/2ख	0.275
426, 436/1	0.566	375	0.105
436/3	0.405	381	0.393
494/1	0.326	372/1	0.263
579/3	0.175	372/2	0.680
434/1	0.235	58, 91, 92, 93, 94	1.220
447	1.635	72/2	2.000
579/1	0.350	73/1	1.716
220/3	0.011	73/4	0.364
252/2, 253/2	0.032	292/1	0.020
342	0.490	293	0.024
343	0.745	298	0.117
346	0.368	376/3, 398/1,	0.962
349/3	0.688	399/1, 400/1	
394/4	0.688	376/5, 398/3,	0.736
349/5, 349/8,	1.935	399/3, 400/3	
349/9, 349/12		377, 393	1.012
349/7	0.223	388	0.150
349/11, 349/14	0.607	391/1	0.280
410	1.299	398/4, 399/4, 400/4	0.032
245/1, 246	0.006	407/2	1.133
338/1क	0.118	459/1-2-3	3.141
338/2क	0.065	640, 643	2.048
338/2ख	1.335	511/6, 512/3	0.802
339/2क	0.283	74/1ख, 75	1.612
571/6	0.523	80/2	1.659
572	3.166	440/2	0.340
573/3	0.307	443/2, 444/2	0.597

(1)	(2)	(1)	(2)
478/2	0.162	341/1ख	0.413
485/1	0.206	344	0.247
486/2	0.194	345	0.190
491/2	0.152	347/1-2-3, 348/1-2-3	0.902
496/2	0.105	351/3, 352/2,	0.283
504/1, 505/1	0.965	356/1ग, 356/1घ	
507/2, 577/2	0.210	358/3	0.275
637/2-3	0.085	251	0.040
638/3	0.775	258	0.073
461	0.498	294/1	0.061
462	0.462	350	0.097
468, 469	0.822	351/1	0.849
475, 477	0.465	356/1क	0.162
495/3	0.008	394/2	0.190
641, 642	0.789	396/1	0.073
424/2	0.283	451/2क, 452/3क,	
436/4, 437	0.721	454/2क, 455/2क,	0.500
494/2	0.326	456/2क, 458/7क	
579/2	0.175	451/5, 453/4, 455/5,	0.142
436/2	0.364	456/5, 458/2	
636/2	0.401	509/3	0.178
638/8	0.202	509/5	0.324
638/10	0.333	511/2	0.717
638/14	0.647	511/5	0.712
638/18	0.567	281/3	0.049
639/2	0.069	279/2, 280/2	0.215
277/2	0.162	445	0.737
277/3	0.020	263	0.040
278/3	0.081	444/2	0.324
278/4	0.105	522/4, 523/2	2.508
279/1	0.081	220/2, 221	0.154
280/3	0.040	228	0.298
513/5	0.949	230, 231/1-2, 235/1-2	0.486
513/6	0.684	238	0.158
514/2	0.485	254, 255	0.050
418/1	0.898	273	0.352
490/1	0.100	275/2	0.227
584/1, 585/1	0.222	278/1, 281/1	0.255
296	0.032	515, 516/1-2-3-4-	
349/16	0.093	5-6-7-8	2.194
349/17	0.125	517/1-2-3	
349/10	0.607	440/3	0.340
349/1-6ग	0.320	443/3, 444/4	0.273
349/13क	1.190	478/3	0.162
341/1क	0.417	485/3	0.207

(1)	(2)	(1)	(2)
491/3	0.152	416/1	0.129
496/3	0.105	416/5	0.757
504/2, 505/2	0.965	417/1-2	0.352
507/3, 577/3	0.210	442/2	0.321
223	0.121	524/2	0.244
224	0.478	528/1	1.445
269/1, 270/1-2	1.691	530/2, 533/2	0.494
268/2	0.008	535/1	0.943
359	1.408	229	0.151
439	1.631	236	0.093
444/1	0.324	518/1, 519/1	0.798
444/3	0.202	627, 628, 629	1.150
483	0.413	633	0.470
491/1	0.356	638/5	0.203
501/2	0.057	638/6	2.024
578, 580	0.684	269/2	0.807
249	0.032	260/3	0.024
395/2	0.713	358/2	0.283
451/4, 452/2, 453/2, 454/4, 455/4, 456/4, 458/5	0.212	511/1	0.729
509/2	0.275	247	0.010
509/4	0.243	291	0.028
511/3, 512/1	1.456	360	0.676
440/1	0.611	361, 363	1.032
443/1	0.771	364	0.229
485/2	0.502	365	0.498
486/1, 487	0.551	366	0.672
478/1	0.384	367/1	0.299
480	0.582	446/3	0.346
481	0.185	407/7	0.125
498	0.821	411/1	0.878
501/4, 501/5	0.138	636/1	0.190
180/2ख	0.020	637/1	0.210
180/3ख	0.308	638/2	0.536
181/8	0.222	638/9	0.687
179/1ख	0.020	638/12	0.282
179/2घ	0.299	638/15	0.282
180/3क	0.073	638/22	0.800
180/4क	0.607	639/1	0.069
170/1, 171/3, 172, 173	0.085	178	0.339
446/1	0.172	180/1	0.454
181/3	0.632	181/7	0.296
299/2	0.029	522/2	0.615
371/2	0.498	524/3	0.080
		528/2	0.607
		530/3, 533/4	0.202

(1)	(2)	(1)	(2)
533/1	0.081	373/2	0.372
220/1	0.011	373/5	0.332
438/4	0.101	378/1	0.053
438/5	0.089	379/2	0.145
482	1.007	379/4	0.178
59	0.720	382/2	0.547
69/2	0.713	408	0.024
294/5	0.008	411/2	0.482
336/1, 337	0.130	413/1-2	0.979
77/2, 78/2	0.270	471/1	0.914
77/4, 78/3	0.496	474/1	0.259
77/5	0.561	476/1	0.219
294/2	0.008	384	0.655
391/2	0.085	392/2	0.202
297	0.088	407/3	0.283
522/3, 523/1	1.515	407/5	0.243
74/1क, 76	1.805	409	0.125
79	0.563	407/4, 407/6,	0.260
300/2	0.010	406	0.624
80/1, 81/1	0.873	407/8	0.242
339/1	0.299	638/1	0.405
68/2	0.785	638/7	0.283
70	0.621	638/11	0.283
427, 428, 429/1-2,		638/17	0.242
431, 430/1-2 432,	2.850	80/3, 81/2	0.870
433, 434/2, 435		295	0.032
438/2	0.870	349/1-6क	0.081
357	0.771	349/15	0.065
276	0.341	349/1-6ख	0.433
527	0.425	340/1, 390/1	0.026
536, 537, 544, 545	1.708	349/16	0.093
472/2	1.193	448/1, 449/1,	0.729
513/2, 513/7	0.931	450/1, 458/6	
513/3, 513/4	0.301	448/3, 449/3, 450/3,	0.535
220/4	0.011	458/10	
220/5	0.011	448/5, 449/5,	0.065
412, 414, 415	1.558	450/5, 458/12	
493	1.165	260/2	0.024
465/2, 466/2	0.741	261	0.008
471/2	0.918	264/4, 265/2,	0.118
474/2	0.253	266/3-4, 267/2	
476/2	0.221	264/6, 265/3,	0.056
256/1	0.045	266/5, 267/3	
257	0.036	286/2	0.057
292/2	0.020	285/4, 286/3	0.080

क्र. 1374-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-मोंआर प.ह.नं.-02 ब.नं.-238
 रा.नि.मंडल-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —311.459 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित क्षेत्रफल

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2/1-2, 3/1

1.833

162/4

0.405

168

0.271

169/1

1.092

486/3

0.369

524/3, 526/1, 527/1,

2.078

528/1, 529/1, 530/1-2

532/2-3, 555/1, 556/1

515/9

0.360

515/10

0.115

485/2

0.027

515/2

1.180

2/3, 3/2

1.833

171

1.396

389/2

0.015

390

0.015

485/3

0.027

515/7

1.670

486/4

0.365

524/4, 526/3, 527/3

1.738

2/4, 3/3

0.458

5/2

0.122

9/1-3-4

0.689

387/1

0.006

416/2

0.036

(1)

(2)

485/4

0.027

515/8

1.191

515/11

0.480

2/5, 3/4

0.457

5/5

0.121

9/10

0.688

387/2

0.005

524/5क, 526/4क,

527/4क, 528/3क,

529/2क, 529/3क,

0.764

530/3-4क, 532/4क

555/4क, 556/4क

2/7, 3/6

0.457

5/7

0.122

9/12

0.688

387/4

0.005

524/5ग, 526/4ग

527/4ग, 528/3ग

529/3ग, 530/3-4ग

0.765

532/4ग, 555/4ग,

556/4ग

2/6, 3/5

0.456

5/6

0.121

9/11

0.688

387/3

0.005

524/5ख, 526/4ख,

528/3ख, 529/2ख,

529/3ख, 530/3-4ख,

0.765

532/4ख, 555/4ख,

556/4ख

4/1

1.615

5/1

0.364

9/6

0.041

4/2

1.036

9/7

0.567

4/3

0.930

4/6

0.202

413

0.025

4/4

0.914

5/3

0.461

9/8

0.324

4/5

0.203

5/4

0.405

9/9

0.364

(1)	(2)	(1)	(2)
6	0.401	268/3	0.012
15/2	2.343	372	0.016
65	0.142	374	0.020
66	0.243	290/2	0.040
162/5-6	1.337	17	1.773
244	0.186	20	1.918
271	0.210	21	0.372
272	0.170	531	0.049
273	0.093	544/1	1.068
402	0.015	545, 546	0.130
7/1	0.737	550	0.160
7/3	0.045	538/1	0.089
9/5	0.004	538/2	0.089
8	0.275	18/1-2	0.625
12	0.421	19/1-2	0.328
13	0.360	22/1	0.196
15/1	5.423	163/1	0.328
399, 400, 401/1	0.100	191/1-6	0.064
7/2	0.047	200/1	0.020
9/2	0.087	166/1	0.624
234/4	0.065	166/3	0.320
234/5	0.065	167/1	0.295
248	0.310	189/1	0.405
250	0.510	190/1	0.322
259/2	0.081	192	0.182
278	0.148	18/3	0.953
398	0.053	22/2	0.197
263	0.117	163/2	0.263
380	0.032	163/3	0.045
381/1	0.032	191/7	0.065
230	0.308	200/2	0.020
409/3	0.006	165	0.696
410/3	0.008	166/2	0.227
411/3	0.008	191/3	0.010
422/2	0.053	167/2	0.296
527/2	0.040	189/2	0.404
15/3	2.356	190/2	0.322
15/4	2.359	193/1	0.028
15/5	2.359	193/2	0.029
15/6	2.359	23	0.425
15/7	0.647	59	0.495
120, 121, 122	0.543	101/5	0.101
139/2	0.251	102/4	0.040
159/1	0.242	101/6	0.186

(1)	(2)	(1)	(2)
102/5	0.073	41/8	0.202
103/1	0.162	45/3	0.308
104/1	0.235	207/2	0.705
24	0.461	214/7	0.162
25/2	0.849	217/2	0.162
25/1	1.307	41/5	0.251
26/1	1.374	44/2	0.223
34/1	1.211	509/2-3ख, 510/2	1.526
35/1	0.163	512/2	3.095
37/2	1.145	41/3	0.607
26/2	2.273	71/1	0.089
27	0.773	72/1	0.128
28	0.121	107/4	0.464
29	0.263	108/4	0.178
34/2	0.809	203/4	0.121
35/2	0.120	205/1	0.729
30	0.206	205/6	0.210
31	0.202	208/1	0.615
32	0.081	209/1	0.069
33	0.849	216/3	0.328
38/1	1.958	164	0.757
37/1	1.254	191/2	0.049
68	0.255	199	0.024
77	0.559	41/1	0.729
79	0.287	62	0.502
417/4	0.046	71/3-5	0.016
38/2	0.453	101/2, 102/1	0.048
39/1	1.744	101/4, 102/3	0.089
64	0.255	203/2	0.250
67	0.259	205/3	0.026
75	0.097	204/1	0.101
76	0.109	205/5, 209/2	0.026
78	0.118	40/3	0.518
80	0.384	41/2	0.251
39/2	0.510	41/7	0.174
40/1	0.526	45/2	0.194
41/6	0.251	57/1	0.146
44/3	0.040	63/1	0.049
45/1	0.211	63/2	0.275
213/3	0.032	73/2	0.053
214/3	0.028	73/3	0.053
214/5	0.486	73/4	0.053
40/2	0.644	93/1	0.145
40/4	0.624	103/2	0.239

(1)	(2)	(1)	(2)
104/2	0.182	204/5, 205/13, 209/5	0.101
103/3	0.209	205/11	0.037
104/4	0.350	203/6	0.138
207/1	0.040	216/1	0.142
212/1	0.219	252/2	0.025
212/2	0.275	41/11	0.688
213/1	0.020	71/6	0.061
214/1	0.020	203/5	0.045
212/3	0.040	205/9	0.344
213/2	0.089	205/14	0.167
214/2	0.121	216/2	0.141
214/4	0.324	252/1	0.028
214/6	0.661	46/1	0.809
215	0.040	46/2	1.248
217/1, 218	0.385	46/3	1.248
41/4	0.688	46/4	1.248
41/9	0.445	47/2क	0.389
42/1	0.291	47/4क	0.363
43	0.328	142/1	0.050
44/1	0.101	49/1	0.405
60/1	0.109	55/1	0.117
61	0.717	133/2, 134,	0.789
71/2	0.206	136/2, 138/1	
72/2	0.049	391/1क	0.008
71/8	0.020	47/2ख	0.382
101/7, 102/6	0.045	47/4ख	0.366
101/9, 102/8	0.081	141	0.036
203/3	0.097	142/2	0.051
205/2	0.567	49/2	0.587
204/4, 205/12, 209/4	0.026	55/2	0.121
205/7	0.210	132, 133/1, 136/1,	0.467
205/8	0.283	137/1, 138/2	
206	0.150	391/1ख	0.008
208/2	0.849	47/1	0.456
211	0.040	47/3	0.183
41/10	0.485	143/1	0.020
42/2	0.291	391/2	0.004
60/2	0.110	47/5	0.142
71/7	0.020	143/2	0.020
101/8, 102/7	0.048	144	0.211
101/10, 102/9	0.089	145	0.117
105/2, 106/2,	0.346	156/3	0.162
107/1, 108/1		499/1	0.142
204/3, 205/10, 209/3	0.101	500/1	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
501/1	0.214	94/1	0.121
502/1	0.117	409/4	0.010
505/1	0.353	410/4	0.008
47/6	0.474	411/4	0.004
47/7	0.404	93/2	0.048
48/1	0.889	104/3	0.384
140/1	0.202	409/2	0.006
50	0.226	410/2	0.004
51/1	0.186	411/2	0.008
52	0.134	107/3	0.405
54	0.081	108/3	0.162
135	0.291	109, 110	0.060
69/2	0.412	123/1	0.971
48/2	1.348	123/3	0.889
140/2	0.405	268/2	0.036
51/2	0.405	375/2	0.012
53	0.283	376/2	0.008
56	0.312	377/2	0.008
69/1	0.409	378/2	0.008
57/2	0.040	376/3	0.008
73/1	0.049	377/3	0.008
58	0.376	378/3	0.008
71/4	0.081	123/2	1.074
96, 97	0.196	274/2	0.028
100	0.057	253/3	0.101
101/1	0.364	288/4, 289/4, 290/7	1.085
101/3, 102/2	0.202	123/4	1.112
107/2	0.405	274/1	0.032
108/2	0.142	288/11	1.214
202	0.032	124	0.348
203/1	0.080	126/2	0.425
204/2	0.279	130/3क	0.254
205/4	1.352	131/1क	0.028
72/3	0.231	137/2	0.053
74	0.162	139/1	0.202
99	0.315	156/2	0.501
105/1	0.138	159/6	0.255
106/1	0.067	159/7	0.480
107/5	0.101	160/2	0.202
108/5	0.020	160/3	0.365
262/3	0.037	125, 126/1	0.608
484/3	1.037	127/1	0.220
552/2, 553/2	0.260	130/2	0.699
92/4	0.440	139/3	0.251

(1)	(2)	(1)	(2)
156/1	0.526	157/3	0.510
159/9	0.215	157/4	0.517
160/1	0.918	158/5	0.397
127/2	0.150	158/7	0.376
159/5	0.445	157/5	0.494
129	0.080	158/1	0.518
130/3ख, 131/1ख	0.035	158/3	0.388
139/4	0.303	158/6	0.376
157/2	0.405	159/2	0.195
159/3	0.093	292/2	0.152
146/3	0.373	159/4	0.094
172	0.129	159/8	0.175
173/4	0.142	160/4	0.081
176	0.069	162/1	1.562
184/2	0.563	288/5, 289/5, 290/8	0.550
146/2	0.374	162/2	0.729
180	0.028	242/1छ	0.121
181	0.247	428/1ग	0.178
185	0.534	245	0.194
186/2	0.433	247/1-3	0.930
373/1	0.012	249/7	0.073
147	1.433	255/1	1.092
148	0.393	162/3	2.144
155	0.458	242/1च	0.178
173/3	0.146	428/1ख	0.032
175	0.065	265/2	0.243
178	0.231	251/2	0.016
179	0.061	254/2	0.809
187	0.653	255/2	0.474
219	0.093	256/2	0.364
221	0.360	266	0.324
222	0.178	267	0.557
149	0.267	428/1ज	0.162
151	0.211	173/1	0.129
152	0.198	173/2	0.137
150	0.235	174	0.660
153	0.227	177	0.097
154	0.210	182	0.255
146/4	0.345	183	0.020
201/3	0.393	184/1	0.219
157/1	0.522	186/1	0.222
158/2	0.526	201/1	0.493
158/4	0.388	228	0.150
158/8	0.372	194	1.765

(1)	(2)	(1)	(2)
210	0.267	377/1	0.004
195	0.028	378/1	0.004
196	0.020	392/2	0.020
197	0.077	428/1	0.101
198	0.045	249/2-4	0.465
201/2	0.392	251/3	0.089
223	0.364	254/3	1.052
224	0.049	256/3	1.902
146/1	0.345	394	0.040
225	0.085	414	0.053
226	0.441	253/1ख	0.057
373/2	0.016	434/3ग	0.040
231	0.983	257	5.824
234/1	0.065	262/1	0.291
232/1	0.546	265/1	0.251
232/2	0.303	392/1	0.010
234/2	0.299	265/3	0.243
236/1	0.081	416/1	0.959
237/1क	0.299	416/4	0.053
236/2	0.506	258/1, 259/1	1.453
236/3	0.344	268/1	0.697
237/1ख	0.081	269/2	0.121
242/1ख	0.405	270	0.150
479/2	0.048	276	0.069
481/1	0.032	479/1	0.053
235	1.214	484/2	1.038
431	1.157	552/1, 553/1	0.135
238	0.073	277	0.070
240	0.902	288/12	0.281
241	0.028	288/2, 289/2, 290/5	0.145
242/1ग	0.194	288/7, 289/7, 290/10	1.327
243	0.150	288/8, 289/8, 290/11	0.755
258/2, 259/3	1.452	375/1	0.012
261	0.223	381/2	0.004
262/2	0.162	388	0.015
242/1घ	0.454	419/3	0.223
428/1घ	0.008	389/1	0.015
247/2	0.729	291	0.214
256/1	0.514	393	0.030
251/1ख	0.162	396/1, 395/1, 397/1	0.024
253/1ग	0.020	515/1	1.720
253/2	0.089	516/1	0.424
254/1	1.315	517/1	0.547
376/1	0.008	524/2, 525/3-4	2.013

(1)	(2)	(1)	(2)
396/2, 395/2, 397/2	0.012	423/1क	0.125
396/3, 395/3, 397/3	0.012	434/3क	0.494
403	0.040	441/1	0.749
509/2-3क, 510/1	1.760	422/1क	1.099
512/1	3.178	423/2क	0.129
420/1	0.315	426/2	0.053
421/1	0.040	426/3	0.048
422/1ग	0.053	434/4क	0.405
422/3	0.053	434/1	0.138
423/2ख	0.125	444/1	0.713
423/1ख, 434/3ख	0.316	443/2	0.040
434/4ख	0.849	444/2	0.583
488/1	0.331	422/1ख	0.061
405/1, 406/1, 407/1	0.016	424/1-2, 425/1-2	1.252
419/1	0.308	445/1	0.344
496/2	0.648	435/3, 436/3, 437/3,	1.619
502/5, 505/5	0.405	438/3, 439/3, 440/3	
490/1, 491/1, 497/1	1.035	428/1छ	0.121
405/2, 406/2, 407/2	0.032	428/2	0.182
496/3	0.817	428/3	0.182
496/1	0.818	429	1.586
405/3, 406/3, 407/3	0.016	430	1.258
405/4, 406/4, 407/4	0.016	433/1	0.425
490/2, 491/2, 497/2	0.145	433/2	0.441
490/3, 491/3, 497/3	1.034	435/1, 436/1, 437/1,	0.833
408	0.035	438/1, 439/1, 440/1	
409/1	0.006	441/2	0.753
410/1	0.004	435/2, 436/2, 437/2,	2.468
411/1	0.004	438/2, 439/2, 440/2	
412/1-2	0.055	523/2	0.325
415	0.030	442/1	1.736
416/3	0.032	444/3	0.738
417/1	0.033	442/3	1.396
417/3	0.045	445/2ख	0.194
417/5	0.058	445/2क	0.194
418/4	0.081	482/1क	0.134
419/2	0.344	480/1	0.075
442/4	1.376	480/2	0.075
485/3	0.040	481/2	0.032
485/4	0.041	481/4	0.032
418/2	0.081	495/1	0.198
419/4	0.344	507/1	0.405
442/2	1.376	508/2	0.841
420/2, 421/2	1.099	514	2.379

(1)	(2)	(1)	(2)
518/1	0.243	512/3	0.405
520/1	0.372	513/1	1.234
520/2	0.121	513/2	1.214
521/1	0.385	519/1	1.356
559, 560	1.062	519/3	0.405
495/2	0.203	561/2	0.647
507/2	0.930	561/3	0.140
508/1	0.918	515/3, 516/2, 517/2	0.630
508/3	0.123	524/1, 525/1	0.451
518/2	2.788	515/4क, 516/3क,	0.388
522	0.053	517/3क	
520/3	0.373	524/6क, 525/5क	0.299
521/2	0.404	515/5, 516/4, 517/4	0.994
523/1	0.607	524/7, 525/6	0.502
484/1	1.037	515/6, 516/5, 517/5	0.364
534/1-2	0.271	533/2	0.101
533/1	0.688	536/1, 537/1	0.490
481/3	0.032	544/2	0.057
483	0.611	547, 548	0.090
486/1	0.101	549/1	0.091
492	1.051	564/1	0.070
493	0.040	549/2	0.090
494	0.283	549/3	0.090
486/2	1.019	551	0.061
486/5	0.365	562/1	0.140
488/2	0.749	562/2	0.030
488/3	0.466	204/6, 205/16, 209/6	0.101
490/4, 491/4	0.890	288/1	0.405
515/4ख, 516/3ख,	0.607	281/2 (आबादी)	मकान कच्चे 10
517/3ख		448 (आबादी)	मकान कच्चे 14
524/6ख, 525/5ख	0.203	418/3 (घास)	मकान कच्चे 01
499/2, 500/2, 501/2	0.866		योग . . 311.459 हेक्टर एवं प्रस्तावित
499/3, 500/3, 501/3	0.866		क्षेत्रफल पर आने
502/2, 505/2	1.033		वाली संपत्तियां
502/3, 505/3	0.122		
502/4, 505/4	0.507	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक	
523/3	0.531	प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता	
504	1.748	है.—पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध	
506	0.138	निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण	
513/3	2.959	किये जाने के संबंध में.	
519/2	1.266	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का	
561/1	0.647	नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा	
561/4	0.945	छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा	
509/2-3ग, 510/3	0.405	सकता है.	

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित नक्शा भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(1)	(2)
	260	0.801
	262/2	1.618
	769/2	1.497
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्रमांक 2, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	780/1	0.749
	780/2	0.684
	216	1.627
	868/2	0.234
	862/3	0.809
	854/1	1.316
क्र. 1375-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	830/4	0.405
	830/5	0.405
	831/2	0.405
	779/2	0.558
	873/3	0.728
	758/2	0.709
	758/4	2.023
	758/6	0.291
	858/2	0.607
	853/2	1.299
	843	2.416
	854/3	0.992
	863/1	0.786
	830/1	0.851
	292/2	1.797
	52/2	1.619
	207/2	0.809
	208/2	0.373
	212	0.040
	2/3	0.331
	4/3	0.911
	217	3.468
	269/1	0.591
	270/2	0.522
	304/1	2.186
	305/1	0.891
	304/2	0.704
	775	1.052
	753/4	0.744
	264/1	1.619
	847/2	0.016
	849/2	0.190
	850/2	0.388
	850/4	0.080
	874/3	0.687
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा		
(ग) नगर/ग्राम—सिहोरा, प.ह.नं.-29, ब.नं.- 576, रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.		
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —399.778 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.		
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
267	0.166	
275/1	0.202	
280	0.551	
306/2	0.028	
306/4	0.122	
806/4	0.225	
827	0.773	
829	0.737	
755/2	0.405	
2/2	0.331	
4/2	0.911	
198	0.785	
199/2	0.304	
199/1	0.405	
200	0.709	

(1)	(2)	(1)	(2)
817/1	0.073	293	1.339
818/1	1.246	831/1	2.229
867/1	0.219	245	0.275
710/1	0.616	246/1	0.200
247	0.300	758/3	1.374
834	0.938	819/5	0.202
835	0.324	819/6	0.202
836	0.539	819/7	0.202
837	3.755	819/8	0.045
839	2.258	820/4	0.158
840	0.914	820/5	0.202
271	0.765	766	0.146
300	1.425	767	0.040
825	1.789	872	0.882
777/2	1.011	881	0.295
877/2	0.997	884/1	1.493
854/4	0.995	867/2	0.567
309	0.465	869	1.064
310/1	0.283	848/3	0.454
310/2	0.360	873/6	1.144
266/2	0.061	819/1	0.227
307/2	0.575	857/1	1.424
314, 315	0.105	867/4	0.218
26/2	1.134	259/1	0.363
27	0.186	259/2	0.405
28/1	0.506	259/3	0.405
842/2	0.627	262/1	2.833
855/3	1.821	287	0.304
204/1	0.534	290/2	0.105
205/1	0.473	296	0.388
206/1	0.243	298/2	0.450
270/3	0.283	298/3	0.591
304/3	0.704	282/1	0.081
195/2, 196/2	0.996	283/1	0.194
201/2	0.874	285/2	0.141
202/2	0.191	819/4	0.048
203/2	0.692	820/2	0.141
741	0.563	822/4	0.036
785	2.221	793/1	0.405
788	1.855	796/1	1.489
779/4	0.364	48/3	0.640
257	0.729	50/2	1.405
774	0.534	221	2.201
876	1.611	195/1, 196/1	0.995

(1)	(2)	(1)	(2)
764	0.101	851/4	0.712
765/1	0.525	873/7	0.057
769/1	2.155	301	0.458
769/4	0.587	824	2.015
887	0.624	745/3	0.368
848/1	0.445	838/3	1.416
862/2	1.214	841/3	0.546
873/2	1.145	754	0.922
884/3	1.181	778	2.023
758/1	1.217	862/4	1.011
875	1.579	863/3	1.011
886	0.194	32	0.599
847/1	0.057	197	2.890
849/3	0.191	821/1	1.214
850/1	0.349	821/2	1.012
850/5	0.077	822/2	0.263
874/2	0.687	762	2.614
873/4	1.619	793/2	0.987
264/2	0.845	794	0.878
830/2	1.262	795	0.729
874/1	0.040	758/7	0.405
871	0.279	49	0.101
873/5	0.474	48/1	0.649
786	0.061	50/1	1.283
847/3	0.121	52/1	1.618
850/3	0.150	28/2	1.817
830/3	1.262	12/2, 12/3	0.956
31/3	0.243	12/5	1.210
33/3	1.570	33/4	1.214
854/2	0.992	8/1, 8/2	3.984
855/1	0.579	47	0.198
860	0.243	48/2	1.418
861	0.040	270/1	0.283
862/1	0.685	304/4	0.712
863/2	0.547	853/1	1.300
31/2	0.243	858/1	0.607
204/2	0.534	815	0.462
205/2	0.474	820/3	0.036
206/2	0.243	822/1	2.007
859	2.012	820/6	0.551
848/2	1.206	865/3	0.178
848/4	0.773	864	0.097
218/1	1.320	865/1	0.429
856/1	0.040	866/3	0.517

(1)	(2)	(1)	(2)
303	0.291	842/3	0.364
306/1	0.211	855/2	1.821
306/3	0.093	218/2	0.670
806/2	0.061	35/4	0.387
806/3	0.040	35/5	0.446
806/5	0.122	23/1	1.164
823/2	0.930	25/1	0.339
826	1.740	5	2.379
765/2	0.494	6	0.757
768	0.162	7	0.882
769/3	0.295	34	0.070
756	0.259	36	0.283
752	2.922	194	0.551
841/2	0.146	276	0.250
760	0.267	278	0.210
761	0.891	281	0.223
763	1.809	284	0.182
266/1	0.064	285/1	1.093
307/1	0.574	286	0.299
808	0.543	2/1	0.665
199/1	0.405	4/1	1.809
200	0.709	265	0.113
866/1	0.729	288	1.113
856/2	0.749	313	0.041
851/2	0.712	289	0.409
771	0.793	255	0.450
877/3	1.043	292/4	1.485
878	0.113	292/1	0.769
851/3	0.712	292/3	1.259
873/1	0.057	823/1	0.783
31/1	0.243	823/4	0.911
33/1	0.356	740	1.801
207/1	1.246	822/3	0.405
209	0.405	879	0.231
735/1	0.425	880	0.020
838/1	1.416	883	0.312
841/1	0.546	884/2	3.857
844	0.962	885	0.061
857/3	1.113	797/2	0.100
819/2	0.227	848/5	0.882
865/2	0.041	848/6	0.882
866/2	0.648	851/1	2.096
867/3	0.259	957/2	0.991
842/1	0.652	816	1.018

(1)	(2)	(1)	(2)
770	1.619	74	0.530
772	0.057	26/1	0.963
773/1-2	1.890	35/2	1.398
877/1	1.077	12/1	0.860
845	3.087	12/4	1.206
846	0.312	35/7	1.349
852	2.104	67	1.820
29	2.432	782/1	1.214
31/4	0.420	782/2	1.209
23/3	0.205	783	0.158
25/4	0.207	784	0.247
25/2	0.101	208/3	0.809
52/3	1.619	828	2.975
201/1	0.720	832	1.724
202/1	0.234	210	0.543
203/1	0.797	211	0.057
748	0.829	214	1.044
751	0.243	256	0.320
749	0.514	269/2	0.611
750	0.202	262/3	1.153
273/1	0.342	262/4	0.809
282/2	0.081	25/3	0.170
283/2	0.194	23/4	0.417
285/3	0.142	53/1	1.619
290/1	0.105	208/1	0.809
819/3	0.223	777/1	1.931
820/1	0.004	779/6	0.226
830/6	0.809	779/7	0.458
298/1	1.432	779/8	0.458
273/2	0.342	781	1.424
274	0.040	779/1	0.555
275/2	0.166	711	1.052
279	0.825	790	0.081
299/1	1.271	758/5	2.023
299/2	1.679	246/2	0.190
779/5	0.964	792	1.959
779/3	0.962	57	0.213
66	0.316	135/1	0.070
817/2	0.081	135/3	0.160
818/2	0.340	76/1	0.405
849/1	0.275	54/1	0.340
70	0.567	63	0.202
71	0.243	54/2	0.295
69	0.974	54/3	0.479

(1)	(2)	(1)	(2)
53/2	0.226	583/2	0.850
248	0.113	541/3	0.032
251	1.623	565	0.988
252	0.213	568/2	0.413
253	0.204	571/3	0.266
249	0.656	559	2.027
250	0.364	566	1.308
244/1	0.170	731/4	0.405
244/2	0.562	731/5	0.518
26/3	0.629	542	0.240
14	0.223	731/1	0.385
15	0.110	731/3	0.072
311	0.300	725	0.608
807	0.462	724/2	0.015
305/2	0.862	724/3	0.405
569	1.187	724/4	0.696
574	0.798	724/5	0.809
581	2.477	724/1	0.030
557/2	0.280	724/6	1.214
558/2	0.243	724/7	0.486
558/1	0.325	728	0.705
568/1	0.918	720/1	0.129
541/2	0.202	720/3	0.357
571/2	0.263	720/2	0.506
552/1	0.808	716	0.450
552/2	0.794	715/1	0.305
552/3	0.693	798/1	0.075
564/1	0.290	798/2	0.030
567/1	1.081	809	0.462
570/1	0.863	810	0.547
561/1	0.306	737	0.752
573/1	0.792	823/1	0.783
564/2	0.289	854/5	0.995
567/2	1.060	745/4	0.737
570/2	0.650	583/3	0.202
561/2	0.305	575/2	0.397
573/2	0.791	580/2	1.237
735/2	0.404	557/1	0.145
841/4	0.406	578/2-4	0.384
554	0.320	722/1	0.483
551/2	0.567	723/1	0.408
541/1	0.203	796/2	0.497
563	0.967	745/1	0.004
571/1	0.264	714	1.121

(1)	(2)	(1)	(2)
577/2	0.263	577/1	0.131
578/3	1.263	578/1	0.441
582	0.858	742/2	0.086
583/1	0.643	742/3	0.172
745/2	0.368	744/2	0.424
731/6	0.517	744/3	0.847
814	0.664	551/3	0.984
753/1	0.283	746/1	0.882
722/3	0.483	747/1	0.203
723/3	0.409	735/3	0.020
578/5	0.441	838/2	0.790
577/3	0.132	586	0.150
823/3	1.578	551/1	0.426
742/1	0.086	521	0.089
744/1	0.424	136	0.245
813/2	0.001	73	0.220
575/1	0.396	33/2	1.575
580/1	1.243	25/5	0.206
562	0.809		
755/1	0.097		
823/5	1.862		योग . . . 399.778
813/1	0.061		
746/2	0.883	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
747/3	0.202	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
722/2	0.483	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
723/2	0.409	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
572	0.761		
732	0.749		
736	0.749		
738	2.135		
739	0.364		
747/2	0.558		
710/2	0.101		
715/2	0.303		
743/1	0.332		
743/2	0.429		
743/3	0.247		
743/4	0.251		
576	0.526		
579	2.529		
734	0.785		
753/2	1.000		
753/3	1.000		

क्र. 1376-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—छिन्दवाड़ा
 (ग) नगर/ग्राम—खैरीलदू, प.ह.नं.-32, ब.नं.- 118,
 रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा 1.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —183.003 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	119/2	0.809
76	3.666	120	0.194
264	0.716	121	1.015
263	0.090	4/7	0.303
1	0.129	4/8	0.061
2	0.753	30	1.708
4/1	1.619	31	0.344
4/2	0.486	32	0.332
4/9	0.405	78/2	0.708
4/3	0.809	78/5	0.230
4/4	0.142	80	1.461
4/5	0.061	33	0.352
4/6	0.303	34	0.369
8	0.690	36	1.140
91	0.474	37/1	0.113
92/2	0.230	37/2	0.242
111	0.287	39	0.295
113	0.194	151/2	0.353
115	0.219	152	0.380
117	0.081	73/1	0.971
118/2	0.199	73/2	0.239
118/3	0.199	78/1	0.709
118/4	0.201	78/8	0.291
118/5	0.202	78/4	0.709
118/6	0.202	78/7	0.121
118/7	0.200	79	1.558
		82/1	0.890
		82/2	0.405
		83	1.263
		129	1.883
		130	0.150
		133	0.283
		134	1.457
		135	0.081
		241	0.040
		84	1.173
		136	0.198
		137	1.598
		138	0.405
		157	0.506
		158	0.510
		85	1.092
		122	0.429
		131/2	0.162
		132/2	0.364

(1)	(2)	(1)	(2)
87/1	0.445	141	0.089
87/2	0.170	142	0.093
90/2	0.405	143	0.008
90/3	0.230	128/1	1.290
88/1	0.195	128/2	1.291
88/2	0.445	128/3	1.290
89	2.375	128/4	1.291
99	1.639	131/1	0.162
102	0.579	132/1	0.769
105	0.364	132/3	0.405
106/2	1.850	155	0.510
161	1.979	240	0.080
90/1	0.486	72	0.648
100/1	0.628	38	0.081
94/1	2.326	45	0.060
95/1	0.388	171	0.381
98/1	0.451	172/2	2.833
101	0.983	173	1.619
106/1	1.849	149	0.510
108	0.089	150	0.388
109	0.704	151/1	0.352
110	1.133	156/1	0.336
98/2	0.617	227/1	0.074
103	0.194	156/2	0.170
104	0.214	227/2	0.153
100/2	0.809	159	1.084
107/2	1.214	160/1	0.153
107/1	1.284	160/3	0.769
118/1	0.401	160/4	0.244
119/1	0.179	160/5	0.202
119/3	0.534	166	0.987
92/1	0.507	167	1.619
93	0.567	194/1	2.533
123	0.445	168	0.430
242	0.050	169	0.049
124/1	0.764	170	0.806
124/2	0.764	174	0.324
125/2	0.445	180/2	0.696
160/2	0.809	172/1	2.833
124/3	0.763	179	0.040
125/3	0.449	175	1.736
125/1	0.445	176	1.457
126	0.898	178	0.607
127	1.437	198/1	1.408

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(1) 5/5 7/5 2/4 3/2 7/2 4/6 5/4 7/4 6 9/2 10/2 16/4	(2) 0.183 0.035 0.361 0.150 0.287 0.160 0.033 0.089 0.222 0.538 0.650
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 1, सिंगना चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	8/2 9/1 10/1 16/1-2 20/1 304/2 318/1 319/1 357/1 359/2 22/1ख, 22/2ख 22/3ख, 22/4ख 23/1ख 11/1 12/1 13/2 302/1 303/2 304/4 356/3, 358/3 359/4 356/12, 358/12 259/13 11/2 13/1-3-4क 14/1, 303/1क 304/1क 11/3 13/1-3-4ख 14/3 303/1ख 304/1ख	0.073 0.453 0.040 1.456 0.390 0.708 0.745 0.089 0.578 0.129 0.465 0.334 0.085 0.710 1.287 0.088 0.088 0.110 0.450 0.597 0.107 0.443 0.596

क्र. 1377-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—चौरई
 (ग) नगर/ग्राम—देवरीकला, प.ह.नं.-02, ब.नं.- 133, रा.नि.मंडल-चौरई.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —68.365 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
2/1	0.192	304/4	
4/2	0.196	356/3, 358/3	0.088
19/2		359/4	
4/3	0.082	356/12, 358/12	0.088
19/3		259/13	
5/1	0.117	11/2	0.110
5/2	0.165	13/1-3-4क	0.450
7/1	0.049	14/1, 303/1क	0.597
2/2	0.030	304/1क	
3/1	0.299	11/3	0.107
4/1	0.093	13/1-3-4ख	0.443
5/3	0.149	14/3	
7/3	0.119	303/1ख	0.596
2/3	0.162	304/1ख	

(1)	(2)	(1)	(2)
15	0.287	20/3	0.285
16/3	0.120	304/6, 305/3	0.335
356/2क, 357/2क	0.125	309/6	0.263
358/2क, 359/3क	0.113	22/7	0.625
357/3क	0.107	22/1-2-3-4क	0.134
11/4	0.447	23/1 क	0.172
13/1-3-4ग	0.475	22/6क, 23/3क	0.170
356/2ख, 357/2ख	0.454	22/1-2-3-4ख	0.080
358/2ख, 359/2ख	0.107	23/1ख	0.327
357/3ख	0.447	22/6, 23/3ख	0.441
11/5	0.597	38/1-2-3-4-5-6क	0.040
13/1-3-4घ	0.154	39/1क, 39/2क	0.016
14/4, 303/1ग	0.107	110, 111	0.016
304/1ग	0.447	121	0.010
14/2, 303/2	0.597	109/3	0.016
304/6	0.334	117/1	0.010
11/6	0.085	119/1	0.016
13/1-3-4ङ	0.497	117/2	0.010
14/5, 303/1घ	0.597	119/2	0.670
304/1घ	0.334	304/5, 305/2	0.032
11/7	0.088	309/5	0.255
12/2	1.007	120	0.729
13/7, 302/6	0.088	326	0.696
303/3, 304/7	0.089	186/1	0.255
356/9, 358/9	0.335	391	1.420
359/10	0.085	392	3.241
356/13, 358/13	0.088	186/2	0.073
359/14	0.335	350/3	0.781
11/8	0.085	351/2	0.012
12/3	0.501	355	0.081
13/8, 302/7	0.081	187/1	0.012
13/5	0.073	191/1	0.179
13/6	0.263	187/7	0.110
302/2-3-4-5	0.603	191/4	0.410
303/4, 304/8	0.088	191/2	0.413
356/10, 358/10	0.088	202/1, 243/1	1.161
359/11	0.088	249	0.151
356/11, 358/11	0.088	250	0.405
359/12	0.215	252, 253	0.029
20/2	0.335	304/4	0.308
304/3, 305/1	0.057	309/2	0.971
309/3		315/1	0.048
307		318/3	0.417
		319/3	0.579
		316	0.170
		321	
		328/1	

(1)	(2)	(1)	(2)
329/1-2-3	2.591	400/2	0.139
332	0.142	401/3	0.665
334/1-2	2.220	356/5; 358/5	0.094
349/4	0.385	359/6	
350/1	1.164	356/6, 358/6	0.095
322/1	0.336	359/7	
323/1	0.065	400/1	0.140
329/5	1.144	401/1	0.666
329/6	1.000	393	0.571
334/3	1.220	394	0.413
349/3	0.771	395	0.109
350/6	1.163	396	0.093
349/10	0.384	397	0.543
318/2	0.259	401/2	1.579
319/2	0.040	328/2	0.081
320	0.421	329/7	0.071
329/8	0.020	329/9	0.050
322/2	0.024		
323/2	0.396		योग . . . 68.365
353	0.255	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
335	0.158	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
336/2, 342/2	0.100	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
348, 349/5	0.411	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन कच्चा बांध उप संभाग क्रमांक 2, सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
349/1	1.146		
349/2	0.430		
349/9	0.052		
349/7, 349/8	0.485		
349/6	1.076		
349/11	0.607		
350/2	0.915		
351/1	0.069		
350/4	1.619		
350/5	0.708		
254/2	0.580		
356/1, 358/1	0.094		
359/1			
356/8, 358/8	0.095		
359/9			
356/4, 358/4	0.094		
359/4			
356/7, 358/7	0.095		
359/8			

क्र. 1378-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

(1) (2)

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—देवर्धा, प.ह.नं.-28, ब.नं.- 273,
रा.नि.मंडल-छिन्दवाड़ा-1.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल —161.522
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

30/1

0.048

93/3

0.217

30/3

0.093

24

0.150

25/3

0.405

26/3

0.121

391/10

0.202

117

0.599

118

0.894

26/2

0.121

28/4

1.011

32/1

0.060

32/4

0.050

516/1

0.657

135/3

0.002

386

0.243

389/2

0.520

378/5

0.095

381/8

0.036

381/2

0.182

381/7

0.078

382/2

0.655

85/1

0.506

86/1

0.506

96/1

0.093

97

0.162

98

0.202

102

0.789

106/5

0.105

103/1

0.421

105

0.049

106/1

0.109

107

0.061

108/3

0.466

109

0.764

65/2

0.127

65/3

0.264

65/4

0.462

65/5

0.202

65/6

0.405

504

0.305

70/3-4

0.798

127

0.061

130

0.768

133

0.162

134

0.405

384/1

0.273

113

0.283

121

0.607

123/1

0.886

123/3

0.890

125

0.445

138

1.457

139/2

0.774

378/1

0.320

63/3

0.222

227/1

0.101

235

0.575

238/1

0.579

239

0.113

508

1.169

115/1

0.142

122/1

0.385

123/4

0.578

126/1

0.247

136/1

0.255

137/1

0.562

139/1

0.235

201/2

0.651

222/1

0.117

368/1

0.090

370

0.955

210/1

0.080

211/2

0.165

213

0.080

(1)	(2)	(1)	(2)
91/2	1.283	228/2	0.065
220/1	0.263	81/2	0.013
25/1	0.205	15/1	0.069
26/1	0.121	500/1	1.146
30/2	0.093	509/1	0.250
32/2	0.133	391/8	0.202
90	0.563	72/2	0.334
111	2.549	83	0.049
112	0.364	140/4	0.121
119	0.587	141/1	0.405
123/2	0.709	510/2	0.160
223	0.097	174/1	0.506
66/4	0.646	373	2.481
66/5	1.052	144/2	0.105
66/8	0.162	142/2	0.028
66/10	0.246	509/3	0.773
381/4	0.239	509/5	0.202
381/3	0.665	59/2	0.130
383/2	0.004	204/1	1.663
205/2	0.415	72/3	0.336
91/1	0.640	72/4	0.334
93/1	0.409	25/2	0.405
203	0.370	80/1	0.324
205/1	0.809	81/1	0.380
205/3	0.813	140/1	0.813
226/1	0.081	141/3	0.162
372/1	0.357	228/1	0.064
140/2	0.040	229/1	0.550
140/7	0.095	230	0.283
141/2	0.135	135/1	3.226
145/2	0.126	383/1	0.259
64/2	0.130	88/2	0.202
106/4	0.105	81/3	0.392
68/1	0.886	145/1	0.110
67/2	0.138	229/3	0.809
103/2	0.214	64/1	0.330
104/1	0.012	389/1	1.463
80/2	0.324	135/2	0.002
140/6	0.416	385	0.352
513/2	0.809	393/1	0.100
33/4	0.600	394/1	0.170
33/6	0.898	87/2	0.530
140/5	0.398	87/4	0.405
141/4	0.162	108/2	0.234

(1)	(2)	(1)	(2)
99/2	0.486	512/1	0.205
108/1	0.235	515	1.165
110/2	0.243	516/2	0.658
96/3	0.048	484	0.040
129/1	0.717	514/2	0.405
129/2	0.717	481/2, 482/2	0.304
15/2	0.073	480/3	0.680
499/2	0.648	517/1	1.044
500/2	0.854	517/2	1.048
87/3	0.405	394/2	0.090
221	0.223	87/1	0.530
201/1	0.655	96/2	0.045
74	0.121	99/1	0.486
236	0.158	110/1	0.243
44	0.012	114	0.320
238/2	0.291	120	0.620
227/2	0.223	124	0.647
220/2	0.263	128	0.142
208/1	0.025	368/2	0.500
219/2	0.152	115/2	0.141
92	0.142	122/2	0.384
89	0.825	123/5	0.578
93/2	0.409	126/2	0.247
94	0.283	136/2	0.251
106/2	0.105	137/2	0.563
28/1	0.586	139/3	0.235
45/3	0.007	222/2	0.118
28/7	0.589	368/3	1.364
29/1	0.931	67/1	0.142
148/2	0.062	68/2	0.862
231/3	0.121	103/3	0.210
234/3	0.108	104/2	0.016
61/2	0.100	106/3	0.097
70/1-2	0.798	140/3	0.173
72/1	0.502	85/2	0.344
388/2	0.162	86/2	0.365
387	0.332	100	0.133
393/2	0.085	101	0.113
15/3	0.073	95/1	0.243
500/3	0.506	95/3	0.615
499/1	0.689	88/1	0.505
391/9	0.202	30/4	0.049
509/2	0.829	93/4	0.200
509/6	1.410	28/3	1.430

(1)	(2)	(1)	(2)
28/6	0.305	148/1	0.080
29/2	0.789	231/1	0.122
28/2	1.376	234/1	0.108
28/5	0.365	45/2	0.008
27	0.534	231/2	0.121
20/2	2.601	234/2	0.108
18/3	0.800	142/1	0.032
20/1	0.678	206	1.205
17/1	0.271	204/2	0.405
18/1	0.650	202	0.830
20/3	0.530	75	1.665
18/4	1.047	76	0.324
20/4	0.300	79	0.656
78/2	0.454	82	0.789
78/3	0.373	73	1.853
78/5	0.134	74	0.121
78/6	0.121	66/9	0.576
78/7	0.202	69/1	0.890
78/8	0.405	69/2	0.886
78/9	0.443	78/1	0.729
78/10	0.429	78/4	0.202
78/11	0.421	78/13	0.599
78/12	0.534	78/14	0.267
374	0.081	199	0.940
16	0.174	173	0.372
17/2	0.101	197	0.710
18/2	1.215	232/1	0.210
20/5	0.125	66/6	0.485
171	0.040	144/1	0.105
172	0.427	149/1	1.930
198	0.729	146	0.180
224	0.352	63/1	0.105
225	0.202	62/1	0.185
62/2	0.150	147/1	0.070
147/2	0.070	47	0.605
232/2	0.200	52	0.344
233	0.324	48/1	0.145
237	0.158	46/1	0.077
208/3	0.031	46/2	0.073
226/3	0.081	65/1	0.021
208/2	0.134	66/1	1.456
226/2	0.077	66/3	0.567
45/1	0.007	66/2	0.563
61/1	0.083	51/2	0.085

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 1 मार्च 2012

क्र. 142-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिंगरौली

(ख) तहसील—देवसर

(ग) पटवारी हल्का नं.—पापल क्रमांक 43

(घ) ग्राम का नाम—गोरगी

(ङ) लगभग क्षेत्रफल—52.425 (हे.में.)

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

121	0.160	181	0.400
122	0.150	183	0.810
123	0.150	186/1	0.320
124	0.160	188/1	0.150
126	0.090	188/3	0.080
127	0.090	188/4	0.080
128	0.160	190	0.870
129	0.110	191	0.700
130	0.110	192	0.030
131	0.060	193	0.020
133	0.040	194/1	0.400
134	0.410	194/2	0.180
135	0.110	194/3	0.170
136	0.120	194/4	0.170
137	0.540	194/5	0.100
138/1	0.650	194/6	0.100
139	0.330	195	0.450
140	0.030	197/2	0.010
141	0.030	202	0.160
		203/1	0.190
		203/2	0.200
		229	0.810
		231/1	0.470
		232/1	0.015
		233/1	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
233/2	0.030	384/2	0.050
234/1	0.500	385/2	0.260
236	0.270	396	0.700
237/1	0.190	397/2	0.170
239	0.130	398/1	0.110
245/1	0.150	398/2	0.060
245/2	0.080	399	0.400
245/3	0.080	404/1	2.350
246	0.310	407	1.560
247/2	0.150	434/1	0.040
248/1	0.240	448	0.560
250	0.280	449/1	0.190
252	0.240	450/1	0.750
253	0.130	453/1	0.770
255	0.200	488/1	0.570
256/1	0.100	451	0.030
256/2	0.130	454/1	1.300
261/1	0.490	456	0.320
262	0.250	463	3.230
263	0.810	466/1	0.110
264	0.280	466/3	0.230
267	0.610	466/4	0.230
269/2	0.110	472	0.310
269/3	0.100	473/2	0.405
270	0.780	473/3	0.100
271	0.030	474	0.650
277	0.800	475	0.660
278/1	0.140	476	0.010
278/2	0.200	477	1.180
283	0.090	478	1.310
284	0.220	489	2.820
285	0.230	490/2	1.140
286	0.800	492	0.050
289/4	0.400		योग . . . 52.425
289/2	0.140		
289/3	0.200	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— डी.बी. पावर (म.प्र.) लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट विद्युत् उत्पादन के लिए पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु।
290/1	0.115		
291	0.750		
292	0.810		
293/2	0.080	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान), अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी डी.बी. पावर (म.प्र.) लिमिटेड, गोरगी, तहसील देवसर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।
377	0.100		
380/2	0.300		
381/1	0.650		
381/3	0.130		
382	0.340		
384/1	0.430		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.